लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5TH LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
12-8-97
Digitized On 8-2-81
Parliament Library

दूसरा सत्र
Second Session

सत्यमेव जयते

खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 52 सोमवार 2 अगस्त, 1971/11 श्रावण, 1893 (शक)
No. 52, Monday, 2 August 1971/Sravana 11, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या
S. Q. No.

S. Q. No.	विषय	SUBJECT	
1502.	"मिग" विमानों का निर्माण	Manufacture of MIGs	
1503.	संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव	Election of Secretary General of UNO	3
1505.	"बंगला देश" के शरणार्थियों के बारे में बी. बी. सी. के भारत विरोधी प्रसारण	Anti Indian BBC Broadcasts Re: Bangla Desh Refugees	4
1508.	विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का भारत और बंगला देश का दौरा	Visit of Foreign Parliamentary Delegations to India and Bangla Desh	4
1509.	नये डेस्ट्रायरों तथा फ्रिगेटों की आवश्यकता.	Replacement of Destroyers and Frigates	6
1510.	पश्चिम बंगाल में चौथी योजना के दौरान मेडिकल कालेजों की स्थापना	Establishment of New Medical Colleges during Fourth Plan in West Bengal	7
1511.	पाकिस्तानी नेताओं द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में प्रचार	Propaganda by Pak Leaders re: Indo-Pak War	8
1512.	मैक्सवेल द्वारा लिखित "इण्डियाज चाईना वार" नामक पुस्तक	Completion of Enquiry regarding Maxwel's Book India's China War	12
1513.	विदेशी तेल कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Release of Foreign Exchange to Foreign Oil Companies	14
1514.	चौथी योजना में आवास के लिये ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों को पृथक पृथक आवंटन	Separate Allotment for Rural and Urban Sectors for Housing in the Fourth Plan	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या U.S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1517.	जकार्ता को प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना	Delegation to Jakarta	17
1518.	ग्रामीण क्षेत्रों में नियन्त्रित मूल्य पर मिट्टी के तेल की बिक्री	Sale of kerosene oil at controlled price in rural areas	18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1501.	लाओस के सम्बन्ध में जेनेवा प्रकार का सम्मेलन	Geneva Type Conference on Laos	19
1504.	नगरों के विकास के लिये योजना	Scheme for Development of Cities	19
1506.	भारत द्वारा दिये गये ऋणों को लौटाने से कुछ देशों का इन्कार करना	Refusal by some countries to repay loans advanced by India	19
1507.	भठिंडा में नेप्था पर आधारित उर्वरक कारखाना	Naptha based Fertiliser Factory at Bhatinda	20
1515.	राजधानी में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक आइसक्रीम की बिक्री पर रोक	Curb on Sale of Unhygienic Ice cream in the Capital	20
1516.	सेवामुक्त एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये पुनः रोजगार की व्यवस्था	Rehabilitation of released Emergency Commissioned Officers	20
1519.	इजराइल द्वारा बंगला देश का समर्थन	Support to Bangla Desh by Israel	21
1520.	सेना परिवार छावनी बनाने हेतु नेफा की खावा तथा सारदुपेण आदिम जातियों का निकाला जाना	Eviction of Khawa and Sardupen Tribes of NEFA for construction of Family Cantonment	21
1521.	जनगणना सम्बन्धी फार्मों के गलत छप जाने से हुई हानि	Losses due to defective printing of Census Forms	22
1522.	डिप्थीरिया और काली खांसी का उन्मूलन	Eradication of Diphtheria and Whooping Cough	23
1523.	फिलामेंट नायलोन यार्न के निर्माण के लिये कारखाना	Plant for manufacture of filament Nylon Yarn	23
1524.	देश में प्राइवेट मेडिकल कालेजों को नियन्त्रण में लेना	Taking over of private Medical Colleges in the country	23
1525.	पंजाब में पालिस्टर फाइवर कारखाना लगाने के लिये आशय पत्र जारी करना	Issue of letters of intent for setting up Polyester Fibre Plant in Punjab	24

ता.प्र. संख्या S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1526.	अमरीका द्वारा भारत को इलैक्ट्रोनिक उपकरण की सप्लाई	Supply of Electronic Equipment to India by USA	24
1527.	गोआ में कैवेलोसिम में भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land in Cavelossim in Goa	25
1528.	क्लोरोफार्मन के मूल्य के वृद्धि	Rise in Price of Cholroformin	25
1529.	डीजल आयल के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Diesel Oil	26
1530.	ग्रांध्र प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय आवास कार्यक्रम के लिये ऋण	Loan for Rural and Urban Housing Programmes in Andhra Pradesh	26

अता. प्र. संख्या U.S, Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6581.	विश्व बैंक द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of an Indian Audit and Accounts Service Officer by the World Bank	27
6582.	सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली में मार्केटिंग सेंटर की स्थापना	Setting up of Marketing Centre in Safdarjung Enclave, New Delhi	27
6583.	डा० भुवनेश्वर बरुआ केन्सर अस्पताल, गोहाटी के लिये अनुदान	Grant for Dr. Bhubeneswar Boruah Cancer Hospital Gauhati	28
6584.	धूत कलां (पंजाब) में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centre at Dhoot Kalan (Punjab)	28
6585.	लेखापानी में सैनिक छावनी मुख्यालय के चारों ओर बाढ़ लगाना	Fencing around Military Cantonment Headuuarters of Lekhapani	28
6586.	लेखापानी छावनी के लिये अधिकार में ली गई भूमि के लिये ग्रामीणों को मुआवजे की अदायगी	Payment of Compensation to Villagers for land acquired for Lekhapani Cantonment	29
6587.	चौथी योजना के दौरान केरल में सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिये धन का नियतन	Allocation of funds for cooperative House Building Socieities in Kerala during Fourth Plan	29
6588.	अपहृत विमान के लिये मुआवजा	Compensation for Hijacked Plane	30
6589.	केरल में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोगशालाओं की स्थापना	Setting up of Health Laboratories in Kerala	30
6590.	तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम में पूर्णकालिक अध्यक्ष का नियुक्त न किया जाना	ONGC without full time Chairman	31
6591.	अशोधित तेल की रायल्टी बढ़ाने के लिये आसाम सरकार का अनुरोध	Request from Assam Government to Raise Crude Oil Royalty	31

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6592.	आसाम में दूसरा तेलशोधक कारखाना	Second Refinery in Assam	32
6593.	डीजल के धुए का मानव जीवन पर प्रभाव	Effects of Diesel Smokes on Human Life	32
659	नई दिल्ली स्थिति विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में बेहतर कार्य करण के लिये एक बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Board for better Working of Willingdon and Safdarjung Hospitals, New Delhi	33
6595.	आँध्र प्रदेश में ग्राम्य और नागरीय जल सप्लाई योजनायें	Rural and Urban Water Supply Schemes in Andhra Pradesh	34
6596.	भारतीय सीमा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों को तैनात करना	Posting of UN Observers on Indian Border	34
6597.	गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के बारे में अनिर्णीत मामले	Pending cases Regarding Gujaranwala House Building Cooperative Society Delhi	35
6598.	गुजरांवाला गृह निर्मण सहकारी समिति, दिल्ली का उपनियम	Bye Laws of the Gujaranwala House Building Society, Delhi	35
6599.	गैर सरकारी चिकित्सकों द्वारा नसबन्दी के असफल आपरेशन	Unsuccessful Sterlisation operations by Private Medical Persons	36
6600.	दिल्ली में हस्तशिल्प एम्पोरियम के लिये वैकल्पिक प्लाट हेतु मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध	Request by Madhya Pradesh Government for alternative plot for Handicrafts Emporium in Delhi	36
6601.	भारतीय नौ सेना को आवंटित मुद्रा का दुरुपयोग	Misuse of Foreign Exchange Allotted to Indian Navy	36
6602.	केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में पुनर्नियुक्त सेना के पेंशनभोगी	Military Pensioners re-Employed in Central and State Governments	37
6603.	कोटा में माला रोड़ का बन्द किया जाना	Closure of Mala Road, Kota	37
6604.	दिल्ली में झोंपड़ी एवं विश्राम गृह	Huts cum Rest House in Delhi	38
6605.	विदेशी दूतावासों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों का मूल्य	Value of Advertisements Published by Foreign Embassies in Indian Newspapers	38
6606.	निमोनिा और श्वाँस रोगों से पीड़ित बंगला देश से आये शरणार्थी	Refugees from Bangla Desh suffering from Pneumonia and Bronchitis	39
6607.	भारत पाक संघर्ष में हताहत हुए लोगों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land Indo-Pak. Conflict Victims	39
6608.	पश्चिम बंगाल का विकाश	Development of West Bengal	39
6609.	बंगला देश के मामले पर राष्ट्रमंडलीय देशों की प्रतिक्रिया	Response by Commonwealth Countries on Bangla Desh Issue	39

अता. प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6610.	संक्रामक रोगों को समाप्त करना	Eradication of Communicable Diseases	40
6611.	नशीली औषधियों के उपयोग पर रोक	Curb on use of intoxicating drugs	41
6612.	मैसूर में मकानो का निर्माण	Construction of Houses in Mysore	42
6613.	उत्तरी दक्षिणी कोरिया का दौरा करने वाले भारतीय	Indians who visited North/South Korea	42
6614.	दानापुर छावनी द्वारा दायर किया गया मुकदमा	Suit field by Danapur cantonment	43
6615.	पटना नगर में पीने के पानी की कमी	Scarcity of drinking water in Patna Town	43
6616.	प्रधान मंत्री को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से प्राप्त पत्र	Letter received by P.M. from British Prime Minister	43
6617.	विभिन्न पैट्रो रसायन उद्योग समूहों के बारे में निर्णय करने के लिये एक होल्डिग कम्पनी की स्थापना करना	Setting up of holding company to take decisions for various petro-chemical complexes	44
6618.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा सुझाये गये सस्ते तथा सुन्दर मकानों का दिल्ली में निर्माण	Construction of cheap and beautiful Houses in Delhi as suggested by N.B.O.	
6619.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा की गई प्रगति	Progress made by H.A.L.	45
6620.	सरकारी क्षेत्र में आयुध उत्पादन उपक्रम	Defence production establishments in Public Sector	45
6621.	कच्चातीवूद्वीप के मामले का निपटारा	Settlement of Kachehativu Island Issue	46
6622.	भारत एलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को बिक्री से प्राप्ति	Sale proceeds of Bharat Electronics Ltd.	46
6623.	पंजाब में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकान की अधिकतम लागत में वृद्धि	Increase in ceiling cost of tenement under Industrial Housing Scheme in Punjab	47
6624.	पाकिस्तानी जेलों में भारतीय नागरिक	Indian Nationals in Pakistan Jails	48
6625.	हल्दिया में पेट्रो रसायन और उर्वरक उद्योग समूह	Petro-Chemical and Fertilizer complex at Haldia	48
6626.	चितरंजन सेवा सदन और कैंसर इन्स्टीट्यूट पश्चिम बंगाल का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Chittaranjan Sevasadan and Cancer Institute, West Bengal	48
6627.	पश्चिम बंगाल के नेशनल मेडिकल कालेज और हास्पीटल का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of National Medical College and Hospital, West Bengal	49

अता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6628.	गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र कोटा को दूध और मांस की सप्लाई	Supply of Milk and Meat to Guard Training Centre, Kota	49
6629.	पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में धनवन्तरि औषधालय	Dhanwantri Dispensary at Pauri Garhwal. U.P.	50
6631.	पाकिस्तान सेनाओं द्वारा मन्दिरों मस्जिदों गिरजाघरों को नष्ट भ्रष्ट करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन और अन्य देशों का ध्यान आकर्षित करना	Bringing to noticc of UNESCO and other countries destruction of temples mosques/Churches of Bangla Desh by Pakistan Army	50
663?.	भारत पाक सीमा का सीमांकन	Demarcation of Indo Pak Borders	51
6633.	नेपाल में भारतीय अधिकारी	Indian Officers in Nepal	52
6635.	भारतीय जवानों को अच्छे किस्म की स्वचालित राइफलों की सप्लाई	Supply of Superior Automatic Rifles to Indian Jawans	52
6636.	पाक सेना द्वारा मीजो की भर्ती	Recruitment of Mizos by Pak Army	53
6637.	संयुक्त राष्ट्र का विशेष अधिवेशन बुलाने का प्रस्ताव	Proposal for special U.N. Session	53
6638.	दार्जिलिंग और जलपाईगुडी में तेल क्षेत्र का पता लगाया जाना	Location of Oil Belts in Darjeeling and Jalpaiguri	53
6639.	पेरेफिन मोम की आवश्यकताओं और सप्लाई के बारे में सर्वेक्षण	Survey for Requirements and Supply of Parafin Wax	54
6640.	ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी सप्लाई करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई योजनाएं	Schemes included in Fourth Plan for Supply of Drinking Water in Rural Areas	54
6641.	नगरीय क्षेत्रों में पीने की सप्लाई के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई योजनायें	Schemes included in Fourth Plan for Supply of Drinking Water in Urban Areas	55
6642.	मध्य प्रदेश में बेरोजगार दन्त चिकित्सक	Unemployed Dentists in Madhya Pradesh	56
6643.	उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना	Central Government Health Scheme in U.P.	56
6644.	मनीपुर में नागा संघीय सेना द्वारा विशेष दस्तों का तैनात किया जाना	Deployment of special squads by Federal Naga Army in Manipur	57
6645.	भारत में विदेशी औषध निर्माण कम्पनियां	Foreign Pharmaceutical Companies in India	57

अता. प्र संख्या U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6646.	स्थल सेनाउड्डयन कोर की आवश्यकता	Need for Army Aviation Corps	58
6647.	लघु उद्योग क्षेत्र के लिये औषधियों के कुछ फार्मूले का आरक्षण	Reservation of Formulations of Drugs for Small Scale Sector	58
6648.	विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली की लापता महिला डाक्टर की तलाश	Trace of Missing Lady Doctor of Willingdon Hospital, New Delhi	58
6649.	पैंसिलिन के टीके का प्रभाव	Effect of Pencillin injection	59
6650.	गैर सरकारी संगठनों को साउथ एवेन्यू और विट्ठलभाई पटेल हाउस में फ्लैटों का आवंटन	Allotment of flats in South Avenue and Vithalbhai Patel House to non-official organisations	60
6651.	रक्षा कर्मचारी वर्ग के वेतनमानों में वृद्धि	Increase in Pay Scales of Defence personnel	60
6652.	पंजाब के मैडिकल कालेज में स्थानों की संख्या कम करना	Reduction of seats in Medical Colleges of Punjab	62
6653.	बालासौर जिले में घमरा में नौसेना अड्डा	Naval base at Ghamara in Balasore District	62
6654.	दंत चिकित्सा की शिक्षा के लिये आयुर्वेदिक कालेज	Ayurvedic coliege for education in Dentistry	62
6655.	संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में बंगला देश के शरणार्थियों को वापस भेजने का प्रस्ताव	Proposal for sending Bangla Desh Refugees back under U.N. protection	62
6656.	बंगला देश में राजनैतिक समाधान के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन के मध्य कथित संयुक्त करार	Alleged Joint agreement between India and Britain on Political settlement in Bangla Desh	63
6657.	डी. डी. टी. से फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य बीमारियां होना	D.D.T. casuing Lung cancer and other Diseases	63
6658.	राजदूतों का प्रशिक्षण	Training of Ambassadors	64
6659.	अस्पतालों में सुविधायें देने के लिये राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से अधिक धन राशि की मांग	Demands for more funds from Centre by State Governments for providing Facilities in Hospitals	65
6660.	चम्पारन में वायु सेना के अड्डे की स्थापना	Setting up air base at Champaran	65
6661.	संसद सदस्यों को पुराने बंगलों का उपयुक्त होना	Suitability of Old Bungalows of Members of Parliament	65
6662.	कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertiliser plant at Korba	65

अता.प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6663.	तीसरे वेतन आयोग के समक्ष गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस के प्रूफ रीडरों के मामले का प्रस्तुत किया जाना	Submission of case of proof Readers in Government of India Presses before third Pay Commission	66
6664.	गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैसों में पदों के बारे में वर्गीकरण समिति की सिफारिशें	Recommendations of Categorization Committee Re. posts in Government of India Presses	66
6665.	मनीपुर में स्कूल के भवन का निर्माण	Construction of School Buildings in Manipur	66
6666.	मनीपुर लोक निर्माण विभाग के स्टोर्स एण्ड वर्कशाप डिवीजन	Stores and Workshop Division of Manipur PWD	67
6667.	मनीपुर लोक निर्माण विभाग के स्टोर्स एण्ड वर्कशाप डिवीजन में हुई अनियमिततायें	Irregularities in Stores and Workshop Division of Manipur P.W.D.	67
6668.	उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर सिद्धार्थ राज मार्ग का निर्माण	Construction of Siddhartha Raj Marg on U.P. Nepal Border	67
6669.	रक्त की बीमारियों के इलाज के लिये रुधिर विज्ञान के उच्चस्तरीय केन्द्र	Advanced Centre of Haematology for Treatment of Blood Diseases	68
6670.	भारतीय तेल निगम द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Research Laboratory by Indian Oil Corporation	68
6671.	आयातित रुस्तम अशोधित तेल का मूल्य	Price of Imported Rostam Crude Oil	69
6672.	संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत ईरान द्वारा भारत में अमोनिया कारखाने की स्थापना	Setting up of Ammonia Factory by Iran in India under Joint Venture	69
6673.	हाउसिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड का केन्द्रीय सरकार से ऋण के लिये अनुरोध	Request for Loan from Central Government by Housing Corporation of India (Private) Ltd.	69
6675.	जनरल याह्याखां और प्रधान मंत्री के बीच बात चीत	Meeting between General Yahya Khan and Prime Minister	70
6676.	दुर्गम क्षेत्र भत्ते के बारे में ऊधमपुर के एम.ई.एस. कर्मचारियों से अभ्यावेदन	Representation from MES Employees of Udhampur Re: Hard Station Allowance	70
6677.	भ्रष्टाचार, गबन और अधिकारों के दुरुपयोग के लिये अम्बाला के कैंटोनमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कथिक आरोप	Alleged charges against Senior Officers of Ambala Cantonment Board for Corruption, Embezzlement and Misuse of Power	71

ता.प्र. संख्या S,Q. No,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
6678.	पोवाई, बम्बई में नेवल हाउसिंग कालोनी में सेंट्रल स्कूल की स्थापना	Establishment of Central School at Naval Housing Colony in Powai, Bombay	71
6679.	दिल्ली में अध्यापकों के लिये सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to Teachers in Delhi	72
6680.	दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to Nurses in Delhi Hospitals	72
6681.	दिल्ली में मकानों के लिये स्थायी पट्टा	Permanent Lease for Houses in Delhi	74
6682.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के आयुर्वेदिक औषधालयों के कर्मचारी	Employees of CGHS Ayurvedic Dispensaries	74
6683.	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों के कर्मचारियों के वेतन मान	Pay Scales of Employees of CGHS Ayurvedic Dispensaries	74
6684.	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों का कार्यकरण	Working of CGHS Ayurvedic Dispensari in Delhi	75
6685.	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालयों में कर्मचारियों के लिये आवास तथा अन्य सुविधायें	Provision of Housing and other Facilities to Employees of CGHS Ayurvedic Dispensaries	75
6686.	चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में तेल-शोधक कारखानों की स्थापना	Setting up of Oil Refineries during Fourth Plan	76
6687.	कटरा बल्लामल वार्ड नं० 6 दिल्ली का सुधार	Improvement of Katra Balla Mall Ward No. 6 Delhi	76
6688.	दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिये वैकल्पिक आवास की व्यवस्था	Alternative Accommodation for Jhuggi Jhonpris in Delhi	77
6689.	हिमाचल प्रदेश में कठोली जल सप्लाई योजना	Katholi water supply scheme in Himachal Pradesh	78
6690.	रोडेशिया में अफ्रीकी बहुमत वाला शासन	African majority rule in Rhodesia	78
6691.	पंजाब सरकार द्वारा सीरा खरीदने में अनियमिततायें	Irregularities in purchase of Molasses by Punjab Government	78
6692.	सर्वोदव गृह निर्माण सहकारी समिति, नई की रिहायशी बस्ती में पीने के पानी सप्लाई	Supply of drinking water in Sarvadaya Housing Cooperative society Colony, New Delhi	79

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	80-84
पटना के निकट गंगा नदी में पूर्वोत्तर रेलवे की स्टीमर सेवा अव्यवस्थित होने का समाचार	Reported dislocation of N.E. Railway Steamer Service in the Ganges nearP atna	80-84
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	80
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaya	80
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	84
राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	85
सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति	Leave of Absence from sittings of the House	85
उल्टाडांगा स्टेशन पर रेलगाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बारे में वक्तव्य	Statement re. collision of Railway Trains at Ultadanga Station	85-86
श्री हनुमन्तैय्या	Shri Hanumanthaya	85
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee:-	86-87
ट्यूबक्यूलोसिस एसोसियेशन आफ इण्डिया की केन्द्रीय समिति	Central Committee of the T.B. Association of India	86
कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन तथा विधिमान्यकरण विधेयक पुरःस्थापित	Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment and Validation Bill Introduced	87
रेलवे कन्वेंशन कमेटी के गठन के बारे मे संकल्प स्वीकृत	Resolutions Re. Constitution of Railway Convention Committee Adopted	87-92
श्री हनुमन्तैय्या	Shri Hanumanthaya	87
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	88
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	89
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	89
श्री आर.पी. उलगनम्बी	Shri R.P. Ulaganambi	90
प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना	Prof S.L. Saksena	90
डा. मेलकोटे	Dr. Melkote	91
गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक	Medical Termination of Pregnancy Bill	92-103
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider as passed by Rajya Sabha	92
श्री डी.पी. चट्टोपाध्याय	Shri D P. Chattopadhyaya	92
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya	94
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	94
श्री एस०एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	95
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	95

विषय	Subject	पृष्ठ Page
श्री जे०एम० गौडर	Shri J.M. Gowder	96
श्री नवलकिशोर सिंह	Shri N.K. Sinha	96
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे	Dr. Laxminarain Pandey	97
श्रीमती टी. लक्ष्मी कान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	97
डा० जी०एस० मेलकोटे	Dr. Melkote	98
श्री विश्व नारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	98
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	99
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R.S. Pandy	99
श्री डी०डी० देसाई	Shri D.D. Desai	100
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	100
श्री एम०एम० जोजफ	Shri M.M. Joseph	100
श्री मुहम्मद शरीफ	Shri Muhammed Sheriff	101
खंड 2 से 8 तक और 1	Clauses 2 to 8 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	103
गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Gujarat State Legislature (Delegation of Powers) Bill	103-109
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	103
श्री गदाधार साहा	Shri Gadadhar Saha	104
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K.M. Madhukar	104
श्री वैकारिया	Shri Vekaria	105
श्री जे०एम० गौडर	Shri J.M. Gowder	105
श्री भालजी भाई परमार	Shri Bhaljibhai Parmar	106
श्री डी०डी० देसाई	Shri D.D. Desai	107
खंड 2,3 और 1	Clauses 2, 3, and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	108
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	109
श्री कृष्णचन्द्र पन्त	Shri R.C. Pant	109
पंजाब राज्य और पंजाब राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक के सम्बन्ध में उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Proclamation in Relation to the State of Punjab; and Punjab State Legislature(Delegation of Powers) Bill	109-111
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	109
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	109

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	110
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	110
लीड बैंक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re. Lead Bank Scheme	111-114
श्री सी०के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	111
श्री के०आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	113

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 2 अगस्त, 1971/11 श्रावण, 1893 (शक)
Monday, August 2, 1971/Sravana 11, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chai*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मिग विमानों का निर्माण

***1502. श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री मूलचन्द डागा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिग विमानों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है;

(ख) क्या सभी कारखानों में निर्माण कार्य चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षाउत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मिग-21 विमान का निर्माण-कार्य मोटे तौर पर नियत प्रोग्राम के अनुसार हो रहा है। इस विमान के परिवर्तित किस्म के निर्माण के लिए एक करारनामा किया गया है। आशा है कि परिवर्तित विमान 1973-74 से तैयार किए जाने लगेंगे।

(ख) और (ग) : सारे एककों में उत्पादन कार्य हो रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि हमारे सामने बंगला देश के प्रश्न पर पाकिस्तान और चीन के सम्बन्ध में गंभीर स्थिति आ गई है और चूंकि याह्या खां प्रतिदिन व्यावहारिक रूप से संपूर्ण युद्ध की बात कर रहा है तो क्या मिग-21 विमान का निश्चित समय से पूर्व शीघ्र उत्पादन करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पाकिस्तानी सैनिक शासन द्वारा जो धमकी दी जा रही है, हम उसके बारे में सोचते हैं और हम अपनी वायु सेना को सुव्यवस्थित रखने के लिए तथा सीमा पर कहीं से किसी भी धमकी का सामना करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं परन्तु इस सम्बन्ध में वे सभी कदम जो हम उठा रहे हैं, बताना मेरे लिये उचित नहीं होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि इस सभा में मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड अथवा निगम में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा यद्यपि रक्षा उद्योग में ऐसा नहीं होगा तो क्या "मिग" विमानों के उत्पादन के लिये उत्तरदायी इस विशेष बोर्ड में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसा कि सभा जानती है कि मिग विमान "हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड" के "मिग डिवीजन में बनाये जा रहे हैं; और यह प्रश्न थोड़े समय तक सरकार के विचाराधीन रहा है तथा इस विषय पर हम कोशिश करेंगे और शीघ्र निर्णय लेंगे। परन्तु अभी तक कोई दृढ़ निर्णय नहीं किया गया है।

Shri. M. C. Daga : The hon. Minister has just now stated that the work is experted to commence from 1973-74 while on the other hand he says that an agreement has been signed. When the agreement has been signed, why the hon. Minister has used the words 'is expected to commence'? While agreement has been signed, the work should be started accordingly. The hon. Minister should give categorical answer.

Shri. Vidya Charan Shukla : In the first part of the answer, I have said that according to the agreement, which we have signed the production of 'MIG-21' aircraft has been completed but the production of its new version MIG-21-M about which an agreement has been signed is expected to commence from 1973-74. Our hopes will be fulfilled undonbtedly.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, We are manufacturing MIG-21 aircraft and there are 'MIG-23' aircrafts in other countries of the world and we are going to commence the production from '1973-74. will not by then other developed MIG. aircraft come in the field ? Will the 'MIG-21' aircraft be able to complete with the MIRAGE aircrafts acquired by Pakistan from France ?

Shri. Vidya Charan Shukla : Yes, Sir. We do try to fenefit from the latest researches and developments in aeronotics in our new manufacture programmes. I assure the hon. Member that we are quite vigilant about it and we do not want to manufacture such aircrafts as are likely to be used for modern warfare purposes.

Shri. B. P. Maurya : May I know whether certain components will have to be imported for manufacturing MIG aircraft for which unit has been set up and without which this MIG manufacturing unit will remaim idle ?

Shri. Vidiya Charan Shukla : The unit for manufacturing MIGS has been established since long and several MIG aircraft have been manufactured in our unit. It is also true that there are certain components which are not produced in each aircraft manufacturing unit either those components have to be imported or manufactured in other units.

This is the position in almost all the modern aircraft manufacturing units, be they in U.S.A., or in U.S.S.R. The Americans have to import certain components for manufacturing aircraft. This is absolutely true and if the hon. Member, wants he can find out. We want to produce as much components indigenously as possible and for those components which are to be imported, we want to import them from such countries in whose friendship we have faith.

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चुनाव

***1503. श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊथांट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने वर्तमान कार्यकाल के समाप्त हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद के लिए पुनः चुनाव नहीं लड़ेंगे;

(ख) क्या इस पद के लिये पहले ही से कुछ उम्मीदवार मैदान में है; और

(ग) क्या भारत भी इस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : "नहीं" का अर्थ यह है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए भारत चुनाव नहीं लड़ रहा है। जैसा कि यह महत्वपूर्ण पद है और जो कोई भी इस पद पर कार्य करेगा वह विश्व के मामलों में बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है इस मामले में भारत की क्या नीति है ? क्या हमने इस मामले में कोई राजनीतिक पहल की है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह एक महत्वपूर्ण पद है जिसके लिए पदाधिकारी का चुनाव करने का प्रस्ताव हमारे सामने है। जहां तक हमारे स्वयं के प्रत्याशी के बारे में भारत के निर्णय का सम्बन्ध है, मैंने मूल उत्तर में नहीं कहा है। इस मामले में बहुत से सदस्यों से परामर्श लिया जा रहा है, और हमसे भी परामर्श लिया जा रहा है, हम बहुत से देशों के साथ सम्पर्क बनाये हुये हैं और उचित समय पर निर्णय किया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या भारत सरकार ऐसे महासचिव को चुनवाने के लिए, जो प्रायः हमारी पसंद का हो, अफ्रीकी-एशियाई और लैटिन अमरीकी देशों के साथ राजनयिक पहल करने का प्रयास करेगी ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस मामले में बहुत से अनौपचारिक परामर्श लिए जाते हैं और जब भी महासभा का चुनाव आता है तो यह प्रायः औपचारिक बात होती है। इस मामले में काफी परामर्श किया जा रहा है और सुरक्षा परिषद को भी पहले सहमत होना आवश्यक है जिसका अर्थ है कि स्थायी सदस्यों को पहले मतैक्य विकसित करना है। अतः यह ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुमत से चुन लिया जाये।

श्री के० लकप्पा : कुछ समय पूर्व कई देशों में महासचिव के इस पद को हमारे विदेश मन्त्री श्री स्वर्ण सिंह को प्रदान करने के लिए एकमत था। सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे लिए कोई भी बात कहना थोड़ा कठिन है परन्तु मैं कतई प्रत्याशी नहीं हूँ।

श्री के० लकप्पा : मन्त्री महोदय का नाम औपचारिक रूप से प्रस्तावित नहीं किया गया था अपितु एकमत से किया गया था। भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्णसिह : किसी की प्रतिक्रिया होने से पूर्व मुझे स्वयं को पहले सहमत होना है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : चूंकि महासचिव के पद के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है, क्या सरकार ने इस बात को विश्व मंच पर रखा है कि वर्तमान पदाधिकारी ने पाकिस्तानी सरकार द्वारा बंगला देश में किये अत्याचार और आतंक में जानबूझकर पाकिस्तान का साथ दिया है और स्वयं को नियमों की परिधियों से बाहर रखा है ? मैं आशा करता हूं कि इस मामले में भारत प्रयत्न कर रहा है क्यों कि भारत ने ऊथांट को अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव के लिये जवाहरलाल नेहरू पुरुस्कार प्रदान किया था । क्या भारत सरकार इस विशेष सज्जन के दोष के बारे में विश्व समुदाय को कह रही है और ऐसा करके उस दृष्टिकोण को प्रकाश में लाने का प्रयत्न कर रही है जिस दृष्टिकोण में महासचिव का चुनाव होना चाहिये ?

श्री स्वर्ण सिंह : महासचिव, ऊथांट ने पहले ही स्पष्ट वक्तव्य में कहा है कि वह प्रत्याशी नहीं है । अतः माननीय सदस्य ने जिस पहलू का उल्लेख किया है उस पर प्रकाश डालने में हमारे प्रयास की कोई बात नहीं है । हम अन्तर्राष्ट्रीय सिविल कर्मचारी द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण से चाहें सहमत न हों परन्तु हमें अपना रूख अपनाते समय काफी सावधान रहना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय सिविल कर्मचारी को कठिन कार्य करने पड़ते हैं और ऐसा वक्तव्य देना शायद बुद्धिमत्तापूर्ण न हो ।

बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में बी० बी० सी० के भारत विरोधी प्रसारण

***1505 श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री नुग्घल्ली शिवप्पा

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में बी०बी०सी० भारत विरोधी कार्यक्रम प्रसारित करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मोटे तौर पर बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या पर बी०बी०सी० का रुख भारत विरोधी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों का भारत और बंगला देश का दौरा

***1508. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों के अनेक संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों ने बंगला देश से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत और बंगला देश का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से कितने प्रतिनिधिमंडल आये थे और उनकी क्या धारणाएं बनीं ।

विदेश मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) : जी हां ।

(ख) इंगलैण्ड, कनाडा और पश्चिम जर्मनी के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने भारत और बंगला देश का दौरा किया था । आयरलैण्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया ।

ये सभी प्रतिनिधिमंडल इस मुख्य प्रश्न से सहमत थे कि एक ऐसा राजनीतिक समझौता आवश्यक है जिसमें बंगला देश के लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाये ।

एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें और ब्यौरा दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 785/71]

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : उत्तर से यह पता चलता है कि प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य राजनीतिक हल की बात पर एकमत थे । मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने अपने देशों में क्या किया, क्या उन्होंने अपनी सरकारों से राष्ट्रपति याह्या खां पर राजनीतिक हल निकालने के लिए दबाव डालने को कहा और यदि वह ऐसा न करे तो क्या उस दशा में पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी सहायता बन्द करने का आग्रह किया था ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जितने भी प्रतिनिधिमंडल यहां आये उन्होंने स्वयं स्थिति को देखा, अपना एक मत बनाया तथा उसे भारत और अपने देशों में प्रकट किया । मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस मत से सही जनमत तैयार करने में मदद मिलेगी । यह बताना बड़ा कठिन है कि उनके विचारों का उनकी अपनी सरकारों पर क्या असर पड़ा है क्योंकि ऐसी बातों के सम्बन्ध में सरकारों के रुख को बताना सदैव मुश्किल होता है । पर इसमें कोई शक नहीं कि उनके विचारों से अपने देशों में सही जनमत पैदा करने में मदद मिली है ।

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : यदि उन्होंने भारत के शरणार्थियों को आश्रय देने की सराहना की है तो क्या उन्होंने इस स्थिति का सामना करने में हमारी मदद करने के लिए अपनी-अपनी सरकारों से कहा है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जी हाँ, उन्होंने भारत के प्रयत्नों की सराहना की है तथा उन्होंने ऐसा यहां तथा अपने देश में दोनों जगह कहा है । मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस विचार को अपनी-अपनी सरकारों को भी बताया होगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विवरण में चार देशों के प्रति निधि मण्डलों का जिक्र किया गया है । क्या ये प्रतिनिधि मण्डल स्वेच्छा से यहां आये थे या हमने उन्हें आमन्त्रित किया था और क्या भारत सरकार अन्य देशों के संसद विज्ञ अथवा प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रतिनिधि मण्डलों को बुलाने के लिए कोई कार्रवाही कर रही है, विशेषकर पाकिस्तान के इस प्रचार को दृष्टि में रखते हुए कि शरणार्थियों को जबर्दस्ती वापिस जाने से रोका जा रहा है यद्यपि वे वापिस जाना चाहते हैं । क्या सरकार स्थितिको स्वयं देखने और वापिस जाकर इस सम्बन्धमें अपनी सरकार को सूचित करने की दृष्टि से और प्रतिनिधि मण्डलों को आमंत्रित करने के लिए कोई प्रयत्न करने जा रही है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : विदेशों में स्थित अपने राजदूतावासों और उच्चायोगों द्वारा हमने सभी मित्र देशों को बता दिया है कि हमें उनके भारत आने और स्थिति का स्वयं अध्ययन करने पर अत्यन्त प्रसन्नता होगी । यह उन बहुत से लोगों की इच्छा के परिणाम में किया गया है जिन्होंने यहां आने की इच्छा प्रगट की थी । हमने उन्हें घूम फिर कर देखने की पूरी पूरी सुविधाएं

प्रदान कीं। हम अपने देश में लोगों के आने और स्वयं वस्तु स्थिति को देखने के विचार का स्वागत करते हैं। केवल ये चार प्रतिनिधि मण्डल ही भारत नहीं आये वरन् कई अन्य संसद सदस्य व्यक्तिगत रूप में यहां आये हैं।

श्री दशरथ देव : वक्तव्य से यह पता चलता है कि कनाडा के प्रतिनिधि मण्डल ने सम्बन्धित पार्टियों अर्थात पाकिस्तान सरकार और पूर्व पाकिस्तान के प्रतिनिधियों पर जोर दिया कि कोई राजतिक समझौता होना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक स्वायत्तता और अपने मामलों में योगदान के लिए पिछले दिसम्बर में हुए चुनाव में व्यक्त राय का स्पष्ट समावेश हो।

बंगला देश में इतने बड़े नरसंहार के बाद बंगला देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी अस्थायी सरकार बना ली है। इस दृष्टि कोण से कनाडा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा सुझाये गये ढंग पर राजनीतिक समझौता करने का प्रयत्न करना स्वतंत्रता सेनानियों के उद्देश्य के प्रति धोखाधड़ी करना है। कनाडा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रदर्शित मत के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि वक्तव्य के पृष्ठ 2 में कहा गया है उसी के अनुरूप हमने स्वयं स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि यह तय करना बंगला देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों का ही अधिकार है कि उनके देश का भविष्य क्या होगा और हमने सदैव उनके इस अधिकार का समर्थन किया है।

श्री दशरथ देव : सुझाव अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का था। पर वहाँ सरकार का गठन होने पर वह प्रश्न उठता ही नहीं। क्या अब सरकार उस स्वतंत्र सरकार को मान्यता देगी।

श्री समर गुह : क्या विभिन्न देशों, संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों ने यहां से लौटने के बाद अपनी सरकार को इस सम्बन्ध में सूचित किया, यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? दूसरे क्या सरकार ने इस देश के तथा अन्य देशों के संसद सदस्यों समेत विभिन्न विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों का संकलन किया है और क्या उन्होंने उनके दौरों के वृत चित्र बनाए और क्या उन वक्तव्यों और वृत चित्रों को बंगला देश के सम्बन्ध में संसार की भावनाओं को जगाने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के राजदूतावासों में दिखाया और प्रचारित किया गया हैं ?

श्री स्वर्णसिंह : माननीय सदस्य द्वारा सुझाए गए ढंग से इन तथ्यों को परिचालित करने का कार्य किया जा रहा है। इन देशों के सम्बन्ध में कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं। और इनमें से कुछ को देश में तथा कुछ अन्य देशों में दिखाया गया है।

श्री समर गुह : वक्तव्यों के सम्बन्ध में क्या किया गया ?

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ को परिचालित किया गया है तथा कुछ को नहीं।

नये डेस्ट्रायरों तथा फ्रिगेटों की आवश्यकता

*1509. **श्री वी० एन० पी० सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने डेस्ट्रायरों तथा फ्रिगेटों को बदले जाने की आवश्यकता है; और

(ख) उनको बदलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) नौसेना के पुराने विध्वंसकों एवं फ्रिगेट को स्वदेश में निर्मित एवं विदेशों से मंगाये गए जलयानों के द्वारा बदला जा रहा है। इससे अधिक सूचना देना लोकहित में नहीं होगा।

पश्चिमी बंगाल में चौथी योजना के दौरान नये मेडिकल कालेजों की स्थापना

***1510. श्री सुबोध हंसदा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री देश में नये मेडिकल कालजों के खुलने के बारे में 7 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3548 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करगे कि;

(क) क्या पश्चिम बंगाल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिये कोई विशिष्ट प्रस्ताव रखा था; और

(ख) क्या सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : चौथी योजना में चिकित्सा कार्य सम्बन्धी कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि चौथी योजना अवधि में देशभर में जो दस मेडिकल कालेज खोले जाने हैं, उन में से दो मेडिकल कालेज पश्चिम बंगाल में खोले जायें। इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को लिखा गया था और उन्होंने बताया कि चौथे आयोजन के दौरान उन्हें जो दो मेडिकल कालेज आवंटित किये गये थे वे पहले ही खोले जा चुके हैं। उनमें से एक सिलगुरी में हैं और दूसरा बर्दवान में।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इनके अतिरिक्त और मेडिकल कालेज खोलने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि दो कालेज खोल दिए गए हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन कालेजों की स्थापना करते समय भारतीय मैडिकल परिषद द्वारा प्रतिपादित सभी बातों को पूरा कर दिया गया है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इन कालेजों के प्रारम्भ की स्थिति में कुछ सुविधायें आसानी से उपलब्ध नहीं थी और हम वहां कुछ कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं। परन्तु कुछ समय बाद ये कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने बताया कि इन दो कालेजों के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में और कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल में डाक्टरों की नितान्त कमी है तथा मैडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए बड़ी भीड़ रहती है ? इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या मुदालियर आयोग की इस सिफारिश के अनुसार कि 50 लाख जनसंख्या के पीछे एक मैडिकल कालेज होना चाहिए। सरकार का विचार मिदनापुर में एक मैडिकल कालेज खोलने का है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : क्या यह सच है कि और मैडिकल कालेज खोलने की आवश्यकता है पर मैडिकल कालेज खोलने का निर्णय लेते समय हमें देश भर की आवश्यकता को ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि डाक्टरी शिक्षा बुनियादी रूप में राज्य का विषय है।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या देश के कुछ मैडिकल कालेजों ने अपने स्थानों को कम कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नए कालेजों की स्थापना के सम्बन्ध में है।

श्री नवल किशोर सिंह : जबकि वर्तमान कालेज स्थानों को कम कर रहे हैं तब नए कालेज क्यों खोलने जा रहे हैं ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में मैडिकल कालेजों को अपने स्थान कम करने को बाध्य होना पड़ा है। पर मैडिकल कालेज खोलने और स्थान कम करने का प्रश्न अनावश्यक रूप से एक दूसरे से सम्बन्धित किया गया है यह एक क्षेत्र विशेष का प्रश्न है। कुछ क्षेत्रों में इनकी मांग बढ़ी है और कुछ में कम हुई है।

Shri Atal Biharl Vajpayee : May I know whether there is any proposal to open Medical Colleges at places other except than West Bengal ? Has a decision has been taken to open a Medical College in Delhi ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हां, हम दिल्ली में एक मैडिकल कालेज खोलने पर विचार कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में निर्णय लगभग लिया जा चुका है।

पाकिस्तनी नेताओं द्वारा भारत-पाकिस्तान युद्ध के बारे में प्रचार

***1511. श्री समर गुह :**
श्री आर० वी० बड़े :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम पाकिस्तान के अनेक नेता यह प्रचार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध अपरिहार्य है; और

(ख) क्या पाकिस्तान रेडियो और समाचार पत्र जानबूझ कर पाकिस्तान में युद्ध-उन्माद का वातावरण पैदा कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पूर्व बंगाल की जनता के पाशविक दमन से लोगों का ध्यान हटाने के प्रयास की नीति के अनुरूप पश्चिमी पाकिस्तानी नेता तथा उनसे नियंत्रित प्रचार-माध्यम भारत के बारे में उत्तेजक बयान देते रहे हैं। उन्हें यह पूर्ण विश्वास है कि भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष की सम्भावना के प्रचार से विश्व का ध्यान बंगला देश की समस्याओं के सही स्वरूप से हट जाएगा और ऐसा प्रतीत होने लगेगा मानों यह भारत-पाकिस्तान का मामला हो।

श्री समर गुह : क्या सरकार का ध्यान रूस की तास एजेन्सी के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पूर्व बंगाल में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं ? इन तैयारियों में पूर्वी क्षेत्र में भारत की सीमा से लगते जिलों से नागरिकों को हटाया जाना, वहां सैनिक शिविर स्थापित करना, और पश्चिम बंगाल, आसाम और मेघालय से लगने वाले अग्रिम स्थानों में टैंकों और यंत्रीकृत टुकड़ियों को भेजना, पश्चिम बंगाल से लगने वाले पूर्वी क्षेत्र में सेना का इकट्ठा करना तथा इन सीमाओं पर सशस्त्र सेनाओं का बढ़ाया जाना शामिल है।

क्या सरकार का ध्यान आस्ट्रेलिया रेडियो द्वारा प्रसारित याह्या खां की भेंट वार्ता की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि "भारत से पूर्ण युद्ध सन्निकट है।"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : तास द्वारा दी गई खबर मैंने भारतीय पत्रों में आज सवेरे पढ़ी है तथा तास ने स्वयं अन्य जगह प्रकाशित किसी अन्य खबर को प्रकाशित किया है। मैंने रिपोर्ट के उस भाग को भी देखा है जिसे माननीय सदस्य ने अभी-अभी पढ़ा। मुझे आस्ट्रेलियाई रेडियो' के प्रसारण की कोई जानकारी नहीं हैं, मैं इसकी जांच करूंगा। यह कथन राष्ट्रपति याह्या खां के एक पूर्व कथन की ही कड़ी है, जिसके सम्बन्ध में मैं वक्तव्य दे चुका हूं। यदि पाकिस्तान मुक्ति फौज की किसी सफलता को आक्रमण का एक बहाना बनाता है और इसे श्री याह्या खां ने युद्ध आरम्भ करने का एक बहाना बनाया तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि हमारी सेनाएं उसे उचित उत्तर देंगी।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि श्री याह्या खाँ ने भारत को यह धमकी दी है कि यदि मुक्ति फौज बंगला देश के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लेती है तो इसे पाकिस्तान पर हमला समझा जायेगा।

क्या मुक्ति फौज ने पाकिस्तानी सेना के अब तक लगभग 45,000 सैनिकों, जिनमें नियमित सेना के 14 बटालियन, रज़ाकार, बदर वाहिनी और अन्सार भी शामिल हैं, को समाप्त कर दिया है और कोमिल्ला और बरिसाल को लगभग बंगला देश से अलग कर दिया है; यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार मुक्ति फौज के विजय के इस कदम की प्रतिक्रिया के लिए युद्ध का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है! इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वह इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुये मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

Shri R. V. Bade : I want to tell the hon. Minister that the Radio Pakistan a part from abusing Shri Jaya Prakash Narain is also making anti-Indla propaganda is its broadcasts from morning till evening. I do not know whether the hon. Minister has listened to that Radio but the people in our villages and towns do listen to that. Dces the hon. Minister propose to make arrangement so that the people of our country are prevented from listening to it ?

Shri Swaran Singh : It seems that Shri Bade is very fond of listening to Radio Pakistan and he has got enough information in this matter. I have taken information from the hon. Member. I am not fond of listening to that Radio.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार यह समझती है कि यह सारा युद्ध प्रचार संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करवाने के लिये किया गया है; यदि हां, तो क्या सरकार ने बिना किसी संदेह के यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि वह इससे सहमत नहीं होगी ? वास्तव में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने यहां पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिये पहले ही सहमत हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसे इसके साथ न जोड़िये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस सारे युद्ध प्रचार का यह उद्देश्य हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक भी विषय से कोसों दूर है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं कह सकता हूं कि यह विषय से कतई कोसों दूर नहीं है। वास्तव में यह प्रचार उद्देश्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में अलग प्रश्न पूछ सकते हैं :

श्री जगन्नाथ राव : हम बार-बार यह कदम उठाते रहे हैं कि बंगला देश का प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच का प्रश्न नहीं है। क्या हम अपने प्रचार के माध्यम से पाकिस्तान के इस प्रचार का प्रतिकार करने के लिये, कि यह भारत और पाकिस्तान का मामला है, कोई कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पाकिस्तानी नेताओं द्वारा प्रचार के बारे में हैं।

श्री जगन्नाथ राव : क्या वे प्रचार का प्रतिकार कर रहे हैं। यह संगत प्रश्न है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के जमाव के बारे में सरकार के पास जो जानकारी है, क्या वह जानकारी इस प्रचार से मिलती है ? क्या यह साधारणतया प्रचार ही है अथवा सरकार के पास यह जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा आक्रमण की तैयारी के रूप में वास्तविक सैनिक जमाव न केवल पूर्वी क्षेत्र में ही अपितु पश्चिमी क्षेत्र में भी बढ़ाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो विदेश मंत्री से किया गया है परन्तु यहां पर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही साथ बैठे हुये हैं। यदि वह उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हम अपनी सीमाओं पर किसी भी प्रकार की सैनिक गतिविधी, जमाव अथवा सेना के लगाये जाने पर निगरानी रखते हैं और जो कोई बात हमारी जानकारी में लाई जाती है उसे देखते हुये अपनी तैयारियां करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह प्रश्न नहीं किया था। मैं जानता हूं कि वह अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उनके पास जो जानकारी है क्या वह जानकारी उनके प्रचार से मिलती-जुलती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या तथ्य जानकारी से मिलते है, क्या वाकई जमाव हो रहा है। मैं समझता हूं आपने उनका परोक्ष उत्तर देने का ही प्रयास किया। उन्हें अभी संतोष नहीं हुआ है।

श्री जगजीवनराम : मैं नहीं समझता कि जितनी जानकारी मैंने दी है उससे अधिक जानकारी देना संभव होगा।

Shri R. S. Pandey : It is true that the hon. Minister has got the full information of the speeches delivered by the leaders of West Pakistan and their propaganda, and war-mongering. But if the preparations for war are really going on, what preparations are being done from our side ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह प्रश्न नहीं उठता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee . Is it a fact that the Pakistan High Commission in New Delhi is issuing, publishing and distributing communiques which are fantamount to Pakistan propaganda in our capital? Has it been clearly pointed out to Pakistan High Commission that they should not use our land for propaganda against us ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह पाकिस्तानी उच्च आयोग को स्पष्ट कर दिया गया है। वैसे हमें यह बात माननी चाहिये कि पाकिस्तान में सरकारी नेताओं द्वारा सामान्य राजनयिक प्रथाओं के अनुसार कोई भी वक्तव्य दिया जाता है, उसका वे प्रचार कर सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और यहां पर स्थित आयोगों के मुख्य अधिकारियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों का हम प्रचार कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सभा की जो यह धारणा है कि रक्षा मंत्री किसी भी संभाव्य घटना के लिये तैयार हैं उसे छोड़कर सभा को यह जानने का हक है कि हमारे विदेश मंत्री द्वारा इस प्रचार का प्रतिकार करने के लिये जो प्रयास किये गये उनका क्या परिणाम रहा है जो प्रयास न केवल तथा कथित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के जघन्य कार्यों के बारे में बताने के लिये किये गये अपितु श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रश्न में दिये गये सुझाव जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ये कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की भावना के विरुद्ध हैं, कार्यवाही करने के पश्चात किये गये हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे मानना चाहिये कि मैं . . .

अध्यक्ष महोदय : इस प्रचार का प्रतिकार करने के लिये आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री स्वर्ण सिंह : राष्ट्रपति याह्या खां द्वारा दिये गये सामरिक वक्तव्यों पर हमने जो वक्तव्य दिये हैं उनमें अपना रूख स्पष्ट कर दिया है और विश्व में उनका काफी प्रचार हुआ है तथा हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों एवं अन्य राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैंने श्री वाजपेयी के प्रश्न, तथा, पाकिस्तान का राजनयिक प्रतिनिधित्व कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून और प्रथा के विरुद्ध है तथा वह पाकिस्तान के जघन्य व्यवहार को दर्शाता है जिसे तथा कथित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रकाश में लाया जाना चाहिये, के बारे में विशेष स्पष्टीकरण मांगा था। क्या हम ऐसा कर रहे हैं अथवा केवल निष्क्रिय, निश्चेष्ट हैं और हर समय नीति रहित प्रवृत्ति पर चलते रहेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम नकारात्मक रुख नहीं अपना रहे हैं। हम सदैव बहुत ही सक्रिय ढंग से इन वक्तव्यों, चाहें वे पाकिस्तानी उच्च आयोग द्वारा दिये गये हों अथवा पाकिस्तान के सैनिक नेताओं द्वारा दिये गये हों, के बारे में अपने विचारों पर प्रकाश डालते रहें हैं। हम इन बातों के बारे में सभी देशों से अपना रुख स्पष्ट ढंग से रख रहे हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या कभी आपने किसी व्यक्ति को अवांछित व्यक्ति घोषित किया है ?

श्री के० नारायण राव : संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर युद्ध का तो निषेध करता ही है साथ ही युद्ध की धमकी का निषेध भी करता है। क्या पाकिस्तान राज्य के प्रमुख द्वारा दिये गये वक्तव्य में धमकी की बात है अथवा नहीं। यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले जाने के लिये तैयार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अपनी व्याख्या कर सकते हैं। मुझे चार्टर की व्याख्या नहीं करनी है। वह स्वयं इसे कर सकते हैं।

इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के सम्बन्ध में मैं पूर्व अवसर पर स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारे रूख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मैक्सवेल द्वारा लिखित "इण्डियाज चाईना वार नामक पुस्तक

***1512. श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 'मैक्सवेल' द्वारा लिखित "इण्डियाज चाईना वार" नामक पुस्तक में उल्लिखित प्रतिरक्षा संबंधी दस्तावेजों के रहस्योद्घाटन के बारे में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) माननीय सदस्य कृपा करके इस सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 322 दिनांक 7 जून 1971 के संदर्भ में उत्तर को देखें। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा मामले की अभी भी छान-बीन की जा रही है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने कहा है इसकी जानकारी सदन को तारांकित प्रश्न संख्या 322 के उत्तर के अन्तर्गत दी जा चुकी है जिसमें कहा गया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। आज फिर वही उत्तर दिया गया है।

जुलाई 1970 में यह प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था और 9 नवम्बर को इस पर चर्चा की गई थी तथा गत 16 दिसम्बर को रक्षा मंत्री ने इसके सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था, फिर भी अभी तक इस मामले की जांच ही चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जांच कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या अगामी कुछ सप्ताहों में यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बहुत गम्भीर मामला है केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ठीक ढंग से अपना जांच कार्य आरम्भ कर दिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो बहुत तेजी से जांच कर रहा है। अभी उसने अपना जांच कार्य पूर्ण नहीं किया और न ही इस सम्बन्ध में कोई जल्दी करने के लिए हम उनपर कोई दबाव डालना चाहते हैं। उन्हें इस मामले से पूर्ण गहराई में जा कर दोषी व्यक्तियों का पता लगाना हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार के रहस्योद्घाटनों को पूर्ण रूप से रोका जा सके। अतः श्रीमान जी, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे इस सम्बन्ध में कुछ धैर्य से काम लेना चाहिये। हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपना जांच कार्य पूर्ण करने देना चाहिये। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपना कार्य समाप्त कर लेगा तभी उन लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री बी० के० दास चौधरी : केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच को क्या निदेश पद दिये गये हैं ? दस्तावेज की कितनी प्रतियां थी ? यह मेरा पहला प्रश्न है जिसकी जांच की जानी चाहिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरों इस बात की जांच कर रहा है कि इस कार्य के लिए कौन से व्यक्ति दोषी हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच के निदेश पद क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रकार के कोई निदेश पद नहीं दिये गए हैं। इस प्रकार के अपराधी से सम्बन्धित जितने भी मामले उनको सौंपे जाते हैं, उनमें सम्बन्धित सभी पहलूओं पर पूर्ण विचार करने की उन्हें पूर्ण छूट होती है। किसी प्रकार के निदेश पद जारी कर हम उनकी जाँच को सीमित नहीं करते। मुख्य मामले से सम्बद्ध किसी भी मामले अथवा पहलू की जिसकी कि वे आवश्यकता समझें जाँच कर सकते हैं। इस प्रकार के सभी मामलों की जांच करने की उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता है और जहां तक इस मामल का सम्बन्ध है, हम उन्हें अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेवा निवृति के बाद, रक्षा सम्बन्धी मामलों के बारे में पुस्तकें लिखने की प्रथा सुरक्षा अधिकारियों में उत्तरोतर बढ़ती जा रही है ? यह प्रथा जनरल थिम्मय्या द्वारा आरम्भ की गई थी फिर लैफ्टीनेन्ट जनरल कोल ने एक पुस्तक लिखी। इसके बाद एक ब्रिगेडियर ने "हिमालयन थलन्डर" नामक पुस्तक लिखी और अभी दो ही दिन पहले लैफ्टीनेन्ट जनरल कौल की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। सुरक्षा अधिकारियों को सेवाकाल के समय सुरक्षा सन्बन्धी जिन गोपनीय तथ्यों की जानकारी होती है, क्या सेवानिवृति के बाद उस जानकारी का प्रयोग पुस्तक लेखन के लिए करने पर, रक्षा मंत्रालय द्वारा सुरक्षा अधिकारियों पर कोई रोक लगाने की व्यवस्था की गई है ? श्रीमानजी, यह सारा रहस्योद्घाटन इन्हीं साधनों से होता है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न भी भाषण की तरह लम्बा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : भारत सरकार का एक सरकारी गोपनीयता अधिनियम है जिसके अन्तर्गत कोई भी अधिकारी (सेवा काल में या सेवा निवृति के बाद) गोपनीय दस्तावेजों का उपयोग नहीं कर सकता। यदि इस का उल्लंघन किया जाता है तो कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हरि किशोर सिंह : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आये दिन न केवल सुरक्षा अधिकारियों अपितु भारत सरकार के अन्य अधिकारियों द्वारा भी सेवानिवृति के बाद पुस्तकें लिखी जा रही हैं, तो क्या सरकार विश्व विद्यालयों आदि के शैक्षिक व्यक्तियों को भी ऐसी जानकारी उपलब्ध करवा देगी ताकि वह लोग इन घटनाओं का वर्णन अपनी दृष्टि से पुस्तकों में कर सके ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर आप अलग प्रश्न पूछ सकते हैं, मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एल०एन० मुकर्जी : गत संसद में जब इस पर चर्चा की गई थी तो सदन को यह बताया गया था कि इस प्रकार के अति गोपनीय दस्तावेजों तक केवल दो या तीन बहुत ऊंचे और अति विश्वसीनीय लोगों की ही पहुंच होती है; अतः जब इस मामले का सम्बन्ध केवल दो या तीन अधिकारियों से ही है, तो फिर यह विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस प्रकार का कोई विलम्ब नहीं हुआ। मैंने सदन में आने से पहले भी स्थिति की जांच की थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है और वह अपनी जांच पूर्ण करने वाला है क्योंकि उसने जांच की प्रक्रिया निर्धारित कर ली है, परन्तु वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लेगा, इसके बारे में मैं अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जहां तक जांच प्रक्रिया और अन्य बातों का सम्बन्ध है, मुझे इस बात का पूर्ण सन्तोष है कि इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो या हमारी ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

विदेशी तेल कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

***1513. श्री एन० ई० होरो :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य करने वाली अशोधित तेल कम्पनियों द्वारा मूल्यों के सम्बन्ध में किये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए विदेशी तेल कम्पनियों को कोई मुद्रा दी गई है; और.

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार ने तेल कम्पनियों को स्पष्ट कर दिया है कि अशोधित तेल के आयात के लिये तेल कम्पनियों द्वारा लिये जा रहे अधिक मूल्यों को पूर्ण रूप में स्वीकार करने का सरकार पर्याप्त औचित्य नहीं समझती फिर भी वर्तमान परिस्थिति में सरकार ने तेल उत्पादों को पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई तौर पर जून, 1971 में प्रचलित मूल्यों पर कच्चे तेल के आयात करने की अनुमति देना आवश्यक समझा है।

श्री एन० ई० होरो : सरकार की इस कार्यवाही की विदेशी तेल कम्पनियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ? क्या उन्होंने मूल्यों में कमी कर दी है ?

श्री पी० सी० सेठी : अभी इन कम्पनियों की प्रतिक्रिया हमें प्राप्त नहीं हुई है।

श्री एन० ई० होरो : मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन्हें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई परन्तु वास्तविकता यह है कि विदेशी कम्पनियां तेल का बहुत अधिक मूल्य ले रही हैं और विदेशी मुद्रा का प्रयोग भी वह अभी तक कर रही हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में सरकार का उन्हें विदेशी मुद्रा देने का औचित्य क्या है ?

श्री पी० सी० सेठी : यह बात कई बार स्पष्ट की जा चुकी है कि उन्हें जो भी विदेशी मुद्रा दी जा रही है, वह केवल अस्थायी तौर पर दी जा रही है। वर्तमान परिस्थितियों में अशोधित तेल के आयात को कम करना बुद्धिमत्ता का कार्य नही है और इसीलिए हम उन्हें अधिक विदेशी मुद्रा दे रहे हैं ताकि अशोधित तेल की कमी न हो।

श्री राजा कुलकर्णी : यदि विदेशी तेल कम्पनियां अपना आयात कम करने का निर्णय कर लेती हैं, तो सरकार ऐसी परिस्थिति में क्या करेगी ?

श्री अमृत नाहटा : उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा।

श्री पी० सी० सेठी : यह केवल एक काल्पनिक प्रश्न है। जब कोई इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, तो हम उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Sat Pal Kapoor : What is the difficulity with the Government in nationalising these oil companies ?

Mr. Speaker : You should have a ready made answer for this question.

Shri P. C. Sethi : It has been replied many times.

Shri Bhogendra Jha : The foreign oil companies have been demanding foreign exchange. It has been urged time and again that we should import crude oil from Arab and Middle East Countries—who are in need of our engineering goods—though Indian Oil Company. We can import oil in exchange for our goods. Moreover this trade can be carried in rupee payment. Thus we can save our precious foreign exchange also. May I know the hitch of the Government in doing so.

श्री पी० सी० सेठी : मैं यह बात कई बार कह चुका हूं कि हम अशोधित तेल के किसी दूसरे साधन की निरन्तर तलाश कर रहे हैं। जहां तक प्राईवेट कम्पनियों का तालुक है, उन्हें तेल शोधक समझौते के अनुसार अपने साधनों से अशोधित तेल मंगवाने का पूर्ण अधिकार है। मैं यह भी कह चुका हूं कि तेल शोधन समझौते की इस धारा विशेष या सम्पूर्ण समझौते में परिवर्तन करने का प्रश्न सरकार द्वारा विचाराधीन है।

चौथी योजना में आवास के लिए ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों को पृथक-पृथक आवंटन

*** 1514. श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में आवास के लिए नियत कुल 193 करोड़ रुपये की राशि में से ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक आवंटन न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्यों को उक्त आवंटन जनसंख्या के आधार पर किये गये हैं तथा राज्यों को भी बराबर की राशि देनी होगी; और

(ग) क्या राज्य सरकारें इस राशि का अपनी इच्छानुसार किन्ही योजनाओं पर उपयोग कर सकती हैं अथवा ये आवंटन किन्हीं निश्चित कार्यक्रमों के लिए किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में आवास के लिये अनुमोदित आऊट-ले को बिभिन्न योजनाओं के लिए नियत करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अनुमोदित आऊट-लेज के साथ इस प्रकार का कोई विशिष्ट कार्यक्रम सम्बद्ध नहीं है। निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा आरम्भ की गई सामाजिक आवास योजनाओं के ढांचे के भीतर, अपने आवास कार्यक्रमों को बनाने में राज्य सरकारें पूरी तरह से स्वतन्त्र हैं।

श्री राजदेव सिंह : यदि जनसंख्या के आधार पर नहीं तो फिर सरकार नगरीय आवास जैसी भीष्म समस्या का समाधान कैसे करना चाहती है ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि यह एक भीष्म समस्या है। परन्तु कठिनाई यह है कि जब से चौथी योजना आरम्भ की गई है, योजना आयोग ने यह रवैया अपना लिया है कि वह इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए नियत अनुदान भी नहीं दे रहा। वह अनुदान और ऋण को इकट्ठे रूप से दे देते हैं। फिर प्राथमिकता निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकार का रह जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं यह समझता हूं कि इससे आवास कार्य में काफी रुकावट पड़ रही है।

श्री राजदेव सिंह : क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना है कि जिस धन राशि का आवंटन आवास कार्यों के लिए किया गया था, राज्य सरकारों ने उसका प्रयोग अन्य मदों के लिए तो नहीं किया ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा हम अनुदानों का आवंटन नहीं करते। अतः इसे अलगाव नहीं कहा जा सकता। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसे आवास कार्यों पर खर्च करती है या नहीं। मैं चाहता हूं कि आवास पर अधिक खर्च किया जाये।

Shri. R. N. Pandey : In view of the fact that still there are five lakh villages in India in which conditions are not worth living whether hon, Minister will formulate any national plan for the development of these villages as is being done in Delhi ?

श्री आई० के० गुजराल : मै इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण किये हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके समक्ष आवास की अपेक्षा आवास स्थान भी नहीं है। इसीलिए अब हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें आवास बनाने के लिए भूमि अर्जित करने के लिए शत प्रतिशत सहायता देंगे और योजना के प्रथम चरण में आवास विहीन लोगों को आवास स्थान पट्टेदारी पर दिए जायेंगे।

Shri. Ishwer Chaudhry : Has the attention of the works and Housing Minister been drawn to the fact that the houses of the poor people in rural areas have been ruined by floods and rains and if so, have any directives been issued to the chief Ministers and any grants have been given to them so that shelter could be provided to the homeless people ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार का ही दायित्व है। यदि राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता की कोई योजना प्रस्तुत करती हैं, तो केन्द्र सरकार निश्चय ही उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

Shri. Ishwer Choudhry : Which are those states whose Chief Minister have asked for Central aid and what action has been taken by the Government thereon ?

Mr. Sheaker : Hon. Member should give a fresh Notice in this regard.

डा० हेनरी आस्टिन : राज्यों में भूमि सुधार क्रियान्वित कर दिया गया है और भूमिहीन लोगों को भूमि दे दी गई है। समस्या यह है कि वह उस भूमि पर आवास नहीं बना सके हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास साधन नहीं हैं। क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी जिससे कि यह भूमिहीन लोग फालतू भूमि पर गृह-निर्माण कर सकें ?

श्री आई० के० गुजराल : यह बहुत खेद की बात है कि इस योजना को बहुत कम क्रियान्वित किया गया है और यह इस बात से स्पष्ट है कि अभी तक बहुत कम गृह स्थानों का आवंटन किया गया है। जैसा कि मैंने अनुदानों की मांगों पर हो रही बहस के समय कहा था, अभी तक केवल 7 राज्यों ने इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किये हैं और गृह-स्थान देने की इच्छा व्यक्त की है परन्तु इन सात राज्यों में भी केवल 2000 गृह स्थानों का आवंटन किया गया है। यदि इस समस्या का समाधान करने के लिए गृह-स्थानों और निर्माण कार्य के लिए कोई योजना प्रस्तुत की जाती है, तो निश्चय ही हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री कार्तिक उरांव : श्रीमान, भोजन कपड़ा, आवास शिक्षा और चिकित्सा, यह पांचों ही जीवन की आधारभूत आवश्यकतायें है । आवास का प्रश्न कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है और किसी भी समाजवादी, लोकतान्त्रिक सरकार से उसके लोग आरामदेह और सम्मानपूर्ण आवास की मांग कर सकते हैं । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि वह आवासों की कमी की समस्या से अवगत क्यों नहीं और सरकार साधारण लोगों के लिए किसी किराया खरीद योजना के आधार पर सरकारी उपक्रम या आवास समितियों के माध्यम से सस्ते मकान बनवाने का कार्य क्यों नहीं करती ?

श्री आई० के० गुजराल : नागरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9 करोड़ मकानों की कमी का अनुमान लगाया गया है । इसी अनुमान से इस समस्या की विषमता का अनुभव किया जा सकता है । फिर भी सीमित साधनों के साथ जो कुछ भी संभव है, वह किया जा रहा है । चौथी योजना में इस कार्य के लिए 243 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है हम कलकत्ता जैसे नगरों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं । उदाहरणार्थ कलकत्ता में हमने चौथी योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया था अब इसे बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि कम से कम कलकत्ते में तो यह समस्या सुलझाई जा सके ।

जकार्ता को प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना

***1517. श्री पी० गंगादेव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल से भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन से पैदा हुई स्थिति से **इण्डोनेशिया** के नेताओं को अवगत कराने और बंगला देश के संकट को सुलझाने में **जकार्ता** का सहयोग प्राप्त करने हेतु सरकार ने मंत्रिमंडल स्तर के एक मंत्री को जकार्ता भेजने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह मंत्री शीघ्र ही जकार्ता जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) चूंकि इंडोनेशियाई विदेश मंत्री के आमंत्रण पर विदेश मंत्री अगस्त 1971 के दूसरे सप्ताह में सरकारी यात्रा पर इंडोनेशिया जा रहे हैं, अतः उस समय इंडोनेशियाई सरकार के नेताओं से इस मामले पर **विचार-विमर्श** करने का अवसर मिलेगा ।

श्री पी० गंगा देव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन परिस्थितियों के अन्तर्गत इन्डोनेशिया, बंगला देश और उसके शरणार्थियों की समस्या के समबन्ध में भारत का पूर्ण समर्थन करेगा ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ग सिंह) जैसा कि मेरे साथी ने कहा है मेरी इन्डोनेशिया की यात्रा के समय इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री पी० गंगादेव : यह तो बहुत अच्छी खबर है कि विदेश मंत्री इन्डोनेशिया जा रहे हैं । क्या इन परिस्थितियों में पाकिस्तान को इंडोनेशिया की सलाह मानने के लिए राजी किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रश्न केवल मंत्री महोदय की इंडोनेशिया यात्रा के बारे में ही पूछे जाने चाहिये ।

श्री समर गुह : इन्डोनेशिया की चुनावों से पूर्व जो यात्रा की गई थी, वह तो व्यर्थ सिद्ध

हुई। अब जब की वहां की परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है तो क्या सरकार इंडोनेशिया का एक प्रतिनिधि मंडल बंगला देश के शरणार्थियों के शिविरों का दौरा करने के लिए बुलायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस का भी मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

Sale of Kerosene oil at Controlled Price in Rural Areas

+

***1518. Shri. Bibhuti Mishra :**
Shri. B. R. Shukla :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have issued instructions to various state Government to control the price of Kerosene oil and ensure its sale at controlled price in the rural areas; and

(b) if so. the results there of ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को, ग्राम्य क्षेत्रों सहित प्रत्येक स्थान पर मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रय मूल्य को नियतन करने और इस अधिनियम के उल्लंघन करने के सारे मामलों पर कार्यवाही करने के अधिकार प्राप्त हैं। राज्य सरकारों का इस अधिनियम के इन उपबंधों की ओर ध्यान दिलाया गया हैं तथा उन्हें निवेदन किया गया है कि जिला अधिकारियों के लिए इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों की पुनरावृति की जाये। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों के परिणामों का उनके द्वारा, निस्सन्देह, निगरानी की जायेगी।

Shri. Bibhuti Mishra : It has been repeatedly stated by the hon. Minister that instructions have been issued to State Governments. May I know whether the hon. Minister has sen any representative to villages and specially to the villages of Bihar to ascertain whether Kerosene Oil is available at fixed price and if so, therfore at what price and if not, the reasonst and who is responsible for it ?

Shri P. C. Sethi : Mr. Speaker. Sir. two months back we had some complaints from Orissa and Uttar Pradesh about the shortage of Kerosene Oil. This shortage was due to non-availability of Railway wagons. But later on arrangements were made to supply Kerosene oil through Haldhia-Baruni pipe line. I would like to tell the hon. Member that as far as Bihar is concerned, 9216 tonnes of Kerosene oil was sent to it in May but in June, 1971 16281 tonnes of Kerosene was sent to it through pipe line and uptill now no complaint about its shortage has been received.

Shri Bibhuti Mishra : I asked whether it was enquired through any agency whether Kerosene is available in villages at fixed price and this has not been replied by the hon. Minister.

Shri P. C. Sethi : I have already stated that, that is the responsibility of the State Government. When we received complaint about shortage of Kerosene we made a study of shortage effected areas and made necessary arrangements to supply it through pipe line.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Sheaker, Sir, under the Constitution, you are supposed to get us the answers from the hon. Minister. Has the Central Government appointed any agency other than the State Government to ascertain whether Kerosene is being made available in villages at fixed price ?

Shri P. C. Sethi : I have already stated that. We fix our price according to landed cost at Bombay and Calcutta. The transportation charges, sale tax of the State Government are also taken into account by the State Government before fixing the prices. Besides to ensure the sale of Kerosene according to Control Order, is also the responsibility of the State Government. We keep an eye on the supply position and try to maintain the same.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

लाओस के संबंध में जेनेवा प्रकार का सम्मेलन

***1501 श्री पी०के० देव :** क्या **विदेश** मंत्री 14 जून 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2076 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लाओस की नवीनतम घटनाओं पर विचार करने के लिये इंडो-चीन पर जेनेवा प्रकार का सम्मेलन पुनः बुलाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : जेनेवा सम्मेलन पुनः बुलाने के बारे में दोनों सह अध्यक्षों में कोई समझौता नहीं हुआ है ।

Scheme for Development of cities

*** 1504 Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) : Whether Goverment have formulated a scheme for the development of cities; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) :

(a) and (b) : The schemes for development of cities are in the State Sector, and are formulated by the State Governments concerned. However as a result of provision of assistance by the Central Government, Comprehensive development plans have been prepared for **52** cities in the country.

Refusal by Some Countries to Repay Loans Advanced by India

*** 1506 Shri G. P. Yadav** : will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether some countries have recently refused to repay the loans advanced by India to them;

(b) if so, the names of those countries; and

(c) the reaction of Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra pal Singh) : (a) : No Sir.

(b) & (c) Do not arise.

भटिंडा में नेप्था पर आधारित उर्वरक कारखाना

*** 1507 श्री भान सिंह भौरा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भटिंडा जिले में नेप्था पर आधारित एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्र से लाइसेंस देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम से भटिंडा सरहिन्द में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव में कच्चे माल के रूप में एक नेप्था अथवा ईंधन तेल एल० एस० एच० एस० का प्रयोग किया जाना निहित है, परन्तु निगम ने नेप्था को तरजीह दी है । प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

राजधानी में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आइसक्रीम की बिक्री पर रोक

***1515. श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में बिक रही स्वास्थ्य के लिये आइस-क्रीम पर रोक लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

आहारों की स्वास्थ्य कर हालातों की जाँच के पश्चात् आइस-क्रीम बनाने तथा बेचने के लाइसेंस दिये जाते हैं । सम्बन्धित आइस-क्रीम बनाने वाली फर्मों का निरीक्षण करके तथा फेरी-वालों से भी नमूने लेकर आइस-क्रीम बनाने तथा बेचने पर प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा निरन्तर नजर रखी जाती है । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अनुबन्धों और उसके अधीन बनाये नियमों के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है ।

सेवायुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए पुनः रोजगार की व्यवस्था

***1516. श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशालय के पास उन सभी एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों का पूरा ब्यौरा नहीं है जो सेना से सेवायुक्त किये गए थे और जिनके लिए पुनः रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) उक्त निदेशालय के पास कितने ऐसे अधिकारियों के नाम दर्ज है जिनके लिए अभी पुनः रोजगार की व्यवस्था करनी है; और

(ग) उनके लिए पुनः रोजगार की व्यवस्था करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) महानिदेशालय पुनर्वास अभी तक सेवा मुक्त हुए आपात कमीशन प्राप्त अफसरों के पूरे ब्यौरों को रखता है । केवल उनको छोड़कर जो कि युद्ध में मारे गए, रिमाउंट एण्ड वैटेरीनरी कोर को स्थानान्तरिक किए गए तथा जिन्होंने स्वयं इंकार कर दिया था अनुशासिक कारणों के आधार को छोड़कर, 8,324 का पुनर्वास करना था जिनमें से 6,782 का पुनर्वास किया जा चुका है । इसमें से 1,542 अभी पुनर्वासित होने हैं । 2. इस दिशा में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट समय समय पर सदन को दी गई है । इन्हें पुनः इस विवरण के अनुलग्नक में दिया जा रहा है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी 786/71)

इजराइल द्वारा बंगला देश का समर्थन

***1519. श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल सरकार बंगला देश के लोगों को उनके संघर्ष में समर्थन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के कितने देशों ने बंगला देश के ध्येय का समर्थन किया है; और

(ग) क्या इजाइल ने कहा है कि यदि पहले भारत बंगला देश को मान्यता दे तो वह भी बंगला देश को मान्यता देने को तैयार है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इजरायल के विदेश मंत्री ने, 28 जून, 1971 को नेसेत (इजरायली संसद) में अपने एक भाषण में बंगला देश में पाकिस्तानी सैनिकों की कार्रवाही की घोर निन्दा की ।

(ख) अनेक देशों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि बल प्रयोग रोकने तथा कोई राजनीतिक समाधान ढूंढ निकालने के लिए वे पाकिस्तान सरकार पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं ।

(ग) सरकार ने इस प्रकार की अखबारी खबरें देखी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि इसरायल ने बंगला देश की अस्थायी सरकार को सैनिक सहायता तथा राजनयिक मान्यता देने का प्रस्ताव किया था और बंगला देश की अस्थायी सरकार ने इसरायली प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया ।

सेना परिवार छावनी बनाने हेतु नेफा की खावा तथा सारदुपेण आदिम जातियों का निकाला जाना

***1520. श्री सी० सी० गोहेन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के सिन्गॉंग ग्राम को सम्पूर्ण खावा आदिम जातियों तथा कामेंग जिले

को सारदुपेण आदिम जातियों को सेना परिवार छावनी बनाने हेतु उनके ग्रामों से निकाल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आदिम जातियों को पूरा मुआवजा दिया गया है;

(ग) उन्हें कुल कितनी राशि दी गई है तथा प्रत्येक परिवार को प्रति एकड़ कितनी राशि दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कामेंग जिले में लगभग 1430 एकड़ जमीन, जिसमें सिचांग ग्राम की लगभग 60 एकड़ जमीन शामिल है, जो नेफा निवासियों की है, किराये पर ली गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जमीन के दखल के फलस्वरूप निष्काशन नहीं हुआ है। जमीन किराये पर ली गई है।

(ख) जी हां, 64 एकड़ जमीन के छोटे से क्षेत्र को छोड़ कर जिसका स्वामित्व अनिश्चित है।

(ग) जमीन के किराये और पुनर्वास-मुआवजा के रूप में अभी तक लगभग 1,69,460 रुपयों की अदायगी की जा चुकी है। प्रत्येक परिवार को अदा की गई धनराशि का ब्यौरा सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनगणना सम्बन्धी फार्मों के गलत छप जाने से हुई हानि

***1521. श्री चन्द्र शैलानी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों लाखों रुपये के मूल्य के जनगणना सम्बन्धी फार्मों की छपाई का काम अलीगढ़ स्थित गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस में किया गया था फिर उन फार्मों को विभिन्न जनगणना कार्यालयों को सप्लाई किया गया था;

(ख) क्या वे सभी फार्म गलत तथा खराब पाये गये थे तथा राजस्थान, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, पंजाब तथा अन्य स्थानों के जनगणना-कार्यालयों ने उन्हें उक्त प्रेस को वापस भेज दिया था।

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कितनी हानि हुई; और

(घ) इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। 15 करोड़ वैयक्तिक पर्चियों के हिन्दी रूपान्तर की छपाई अलीगढ़ मुद्रणालय में की गई थी। इन प्रत्येक 100 पर्चियों के पैड बनाए गए थे।

(ख) जी, नहीं। जनगणना के विभिन्न कार्यालयों को मुद्रणालय द्वारा सप्लाई किये गये 15,74 496 पैडों में से कुछ पैड कटाई और सिलाई की खराबी को दूर करने के लिये वापस किये

गये थे । सिवाए 25,000 के सभी पैड सुधार करने के बाद जनगणना कार्यालयों को पुनः सप्लाई कर दिए गए ।

(ग) जिन 25,000 पैडों में सुधार नहीं किया जा सकता था, वे छपाई और सिलाई दोनों की विकृति की सामान्य अनुभेय छूट के अन्तर्गत आते हैं ।

(घ) मामले पर विस्तृत जांच-पड़ताल की जा रही है ।

डिप्थीरिया और काली खांसी का उन्मूलन

***1522. श्रीमती बी० जयलक्ष्मी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश भागों में एक वर्ष की आयु से लेकर आठ वर्ष की आयु के अधिकांश बच्चों में फैली हुई डिप्थीरिया और काली खांसी जैसी छूत की बीमारियों का उन्मूलन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यह योजना किन-किन राज्यों में चल रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) राज्य सरकारें बच्चों को इन रोगों से बचाने का काम कर रही हैं । इस काम के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये चालू वर्ष के दौरान परिवार नियोजन विभाग के बजट में 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

फिलामेंट नायलोन यार्न के निर्माण के लिए कारखाना

***1523. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पोलियामाईड कन्टीन्युअस फिलामेन्ट यार्न नायलोन 6' के निर्माण के हेतु एक कारखाने के लिए लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने को सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार की इस कथित सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि यह कारखाना पुरूलियाबांकुरा क्षेत्र में स्थापित किया जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

देश में प्राइवेट मेडिकल कालेजों को नियन्त्रण में लेना

***1524. श्री के० लकप्पा :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी प्राइवेट मेडिकल कालेजों को अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 में ऐसे किन कालेजों को नियंत्रण में लिया जायेगा; और

(ग) इस पर कितना धन खर्च होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पंजाब में पोलिस्टर फाइबर कारखाना लगाने के लिए आशय पत्र जारी करना

***1525. श्री एम० एम० हाशिम :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में पालिस्टर फाइबर कारखाना लगाने के लिए आशय पत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा इससे देश की कितने प्रतिशत आवश्यकता पूरी होगी; और

(ग) क्या नई परियोजना की निर्यात करने की क्षमता भी होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पंजाब औद्योगिक विकास निगम को एक आशय पत्र जारी किया गया है ।

(ख) प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष 6000 मीटरी टन है । चौथी योजना के अन्त तक इस पदार्थ की अनुमानित मांग प्रति वर्ष 16,000 मीटरी टन होगी । यदि इस यूनिट ने उस समय तक उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया तो गणित के अनुसार यह अनुमानित मांग के लगभग 38% भाग को पूरा करेगा । सरकार ने 30,400 मीटरी टन की कुल क्षमता का लाइसेंस दिया है तथा उसे 5 विनिर्माताओं में वितरित किया है और एक निर्यात वचनवद्धता भी है । अतः सही रूप में यह बताना संभव नहीं है कि वास्तव में देश की आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत अंश पंजाब प्रायोजना द्वारा पूरा किया जाएगा ।

(ग) आशय पत्र में यह शर्त है कि आयातित कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूर्णतया सम्मिलित करने के लिये पंजाब में बुनकरों द्वारा माल का निर्यात प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए ।

अमरीका द्वारा भारत को इलेक्ट्रोनिक उपकरण की सप्लाई

***1526. श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी शत्रु देश द्वारा वायु सीमा के उल्लंघनों पर नजर रखने के लिए अमरीका ने भारत को कतिपय इलेक्ट्रानिक उपकरण की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस उपकरण को खरीदने का विचार है; और

(ग) उस उपकरण की लागत क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोआ में कैंबेलोसिम में भूमि का अधिग्रहण

***1527. श्री इराज्युद सेवैरा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ में कैंबेलोसिम में किसी भूमि को अधिग्रहण करके अपने कब्जे में लिया है;

(ख) इसे किस तिथि को कब्जे में लिया गया था;

(ग) कितने मुआवजे की पेशकश की गई और किस तारीख को की गई; और

(घ) कितना मुआवजा दिया गया तथा किस तारीख को दिया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) कैंबेलोसिम (गोआ) में लगभग 230 एकड़ जमीन का अधिग्रहण एवं दखल अप्रैल एवं जुलाई, 1970 की अवधि के मध्य विभिन्न तारीखों में किया गया। स्थानीय सिविल अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप दिए जाने वाले मुआवजे का अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि गोआ के कलेक्टर को लेखा में (on account) अदायगी करने की सलाह दी गई है। जमीन का स्थायी रूप से अर्जन करने का निर्णय लिया गया है। अर्जन की कार्यवाही जारी है।

क्लोरोफार्म के मूल्य में वृद्धि

***1528. श्री सी० चित्ती बाबू** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लोरोफार्म जो चार रुपया प्रति सौ गोली के हिसाब से बिकती थी अब लगभग 13 रुपया प्रति सौ गोली के हिसाब से बिक रही है;

(ख) यदि हां, तो इस औषधि के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) औषधि निर्माताओं के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं। मई, 1970 में औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के लागू होने से पहले क्लोरोफार्म की 100 गोलियों वाली शीशी का फुटकर मूल्य करों के अतिरिक्त 13·80 रुपये था जब कि स्ट्रिप पैकिंग में 100 गोलियों का करों के अतिरिक्त वर्तमान मूल्य 13·55 रुपये हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डीजल आयल के मूल्य में वृद्धि

***1529. श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हाल में उत्पादन शुल्क में वृद्धि किये जाने के पश्चात डीजल आयल के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बजट के पूर्व और बजट के पश्चात् डीजल आयल का प्रति लिटर मूल्य क्या था;

(ग) बजट के पूर्व और बजट के पश्चात् डीजल आयल की लागत, उस पर उत्पादन शुल्क केन्द्रीय कर और उसके शुद्ध लाभ क्या रहे; और

(घ) मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे तीस एकड़ से कम भूमि वाले छोटे किसानों पर बुरा प्रभाव न पड़े ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) नवम्बर, 1970 से अशोधित तेल के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण, 28-5-1971 से पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई थी। अतः हाई स्पीड डीजल आयल के मूल्य में उस तारीख से 27·81 रुपये प्रति किलो लिटर के हिसाब से वृद्धि की गई थी। उत्पादन शुल्क की नई दरें 29-5-1971 से लागू हुई थीं; किन्तु हाई स्पीड डीजल आयल के उत्पादन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई थी तथा इस प्रकार उत्पादन शुल्क के कारण डीजल तेल के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई और इसलिए बजट से पूर्व और बजट के पश्चात हाई स्पीड डीजल आयल की कीमतें एक जैसी हैं। 28-5-1971 से बम्बई में फुटकर बिक्री पम्प के बाहर हाई स्पीड डीजल का मूल्य 733·34 रुपये प्रति किलो लिटर है और कलकत्ता में 745·53 रुपये प्रति किलो लिटर। एक मूल्यांकन केन्द्र से दूसरे मूल्याँकन केन्द्र के मूल्यों में थोड़ा सा अन्तर होता है।

(ग) किसी विशेष पैट्रोलियम उत्पाद की उत्पादन लागत को बताना प्राविधिक तौर पर सम्भव नहीं है क्योंकि अशोधित तेल से विभिन्न उत्पाद संयुक्त रूप से उत्पादित किये जाते हैं और इसी कारण से किसी एक उत्पाद के मुनाफे की किसी रकम को बताना सम्भव नहीं है। हाई स्पीड डीजल आयल पर कुल उत्पादन शुल्क 29·5°सी पर 505·31 रुपये प्रति किलो लिटर है। जब तक कोई विशेष राज्य सरकार केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लेती, हाई स्पीड डीजल तेल पर कोई और केन्द्रीय कर नहीं लगाया जाता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय आवास कार्यक्रम के लिए ऋण

***1530. श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और नगरीय ग्रावास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1971-72 में आंध्र प्रदेश को कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने कुल कितनी राशि मांगी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) ग्रामीण और नगर आवास कार्यक्रमों के लिए 1971-72 की अपनी वार्षिक योजना में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 162·00 लाख रुपये (जीवन बीमा निगम की निधियों सहित) के प्रस्तावित परिव्यय के विपरीत योजना आयोग द्वारा 169·00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। तथापि, क्योंकि केन्द्रीय सहायता राज्यों को खंड ऋणों और खंड अनुदानों के रूप में बिना किसी विशिष्ट योजना या विकास शीर्ष से सम्बद्ध कर दी जाती है, अतः अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के प्रकाश में अपने आवास कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाए जाने वाली रकम का निश्चय करना पूर्णतया राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व बैंक द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी की नियुक्ति

6581 श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के उस अधिकारी की सेवाएं प्राप्त करने में सफल हुआ है जो कि पहले समाजवादी देशों से प्रतिरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं की आयात की वर्गीकृत फाइलों से सम्बन्धित कार्य करता था; और

(ख) अन्य मन्त्रालयों द्वारा विदेश सेवा में नियुक्ति के लिए जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है उनके बारे में विदेश कार्यालय क्या सुरक्षा सम्बन्धी जांच करता है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश मंत्रालय की सहमति से वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 1971 में विश्व बैंक में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया था, जो पहले अर्थ कार्य विभाग में संयुक्त सचिव थे और प्रतिरक्षा सम्बन्धी आयातों से सम्बद्ध फाइलों पर विचार करते थे, जिनमें समाजवादी देशों के आयात भी शामिल हैं। विश्व बैंक से सम्बद्ध भारतीय निदेशक की पहल पर और जनहित में यह प्रतिनियुक्ति की गई थी।

(ख) मानक क्रियाविधि के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के लिए अन्य मंत्रालयों द्वारा अनुशासित प्रतिनियुक्तियों के मामले में, यह आवश्यक है कि विदेश मंत्रालय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टि से ठीक समझे। जो सरकारी कर्मचारी गुप्त विषयों पर विचार करते हैं कि उन सबके लिए यह पूर्वापेक्षा है कि वे सुरक्षात्मक दृष्टि से ठीक हों और जहां आवश्यक होता है, विशेष नियुक्तियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ठीक समझा जाना अपेक्षित है।

सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली में मार्केटिंग सैंटर की स्थापना

6582. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विकसित कालोनी, सफजदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली में कोई मार्केटिंग सैंटर नहीं है;

(ख) क्या इस कालोनी के निवासियों को इस कारण कठिनाई उठानी पड़ती है क्योंकि उन्हें बहुत दूर के बाजार में जाना पड़ता है;

(ग) क्या इस कालोनी में मार्केटिंग सैंटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ) कालोनी में सामुदायिक केन्द्र, पणन केन्द्र तथा सुविधाजनक पणन केन्द्र की व्यवस्था है। वास्तव में सामुदायिक केन्द्र में अनेक दुकानें पहले ही बन गई हैं। भविष्य में और अधिक की आशा है।

डा० भुवनेश्वर बरुआ केन्सर अस्पताल, गोहाटी के लिए अनुदान

6583. श्री रोबिन ककोटी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने डा० भुवनेश्वर बरुआ अस्पताल, गोहाटी को अनुदान देने के लिए केन्द्रीय सरकार मे अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, असम सरकार को कह दिया गया है कि वे स्थिति से अवगत करायें।

धूत कलां (पंजाब) में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र

6584. श्री भान सिंह भौरा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला होशियारपुर (पंजाब) की भुंगा पंचायत समिति ने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला उप-आयुक्त ने भी एक मत से, एक ब्लाक के प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ब्लाक मुख्यालय से एक मील दूर धूत कलां गांव में करने की सिफारशें की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर पंजाब सरकार विचार कर रही है।

लेखापानी के सैनिक छावनी मुख्यालय के चारों और बाड़ लगाना

6585. श्री रोबिन ककोटी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि लेखापानी के सैनिक छावनी मुख्यालय के चारों ओर कोई बाड़ नहीं है और जब पास के रहने वाले ग्रामीणों के पशु उसके अहाते में घुसते हैं तो सैनिक कर्मचारी प्रति पशु पर 10 रुपये जुर्माना लगा देते हैं जिसके न देने पर वे अपने ट्रकों में पशुओं को ले जाते हैं और उन्हें गाँवों से बहुत दूर पहाड़ी जंगलों में छोड़ देते हैं जिससे गांव वालों को भारी असुविधा और कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो उन निर्धन ग्रामीणों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) लेखापानी छावनी नहीं है। तथापि सामान्यतया न तो छावनियों को और न ही अन्य सैनिक क्षेत्रों को बाड़ की व्यवस्था की जाती है; केवल रक्षा संस्थापनाओं के लिये बाड़ की जाती है। आरोपों की जांच की गई किन्तु वह सिद्ध नहीं हो सके।

लेखापानी छावनी के लिये अधिकार में ली गई भूमि के लिए ग्रामीणों को मुआवजा की अदायगी

6586. श्री रोबिन ककोटी : (क) क्या सरकार को लेखापानी सैनिक छावनी के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों की ओर से उनको भूमि के अधिकार में लिये जाने पर समुचित मुआवजे की अदायगी न किये जाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : लखीमपुर जिले के लेखापानी में 687 एकड़ जमीन, जिसका प्रारम्भ में अधिग्रहण किया गया था, उसकी अधिग्रहण कार्यवाही जनवरी-मार्च 1970 में पूरी हो गई थी। स्थानीय सिविल अधिकारियों ने 300 रुपये प्रति बीघा की दर पर अर्जन मुआवजा निश्चित किया था और वह सभी भूतपूर्व भूस्वामियों को, चार को छोड़ कर जो अदायगी लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे कर दिया गया था। कुछ भूस्वामियों ने इस आशय का प्रतिवेदन दिया था कि निर्धारित मुआवजा समुचित नहीं था। ऐसे 32 व्यक्तियों के मामलों में जिन्होंने अदायगी असम्मति प्रकट करके ली थी, इसे रिक्वीजीशनिंग एण्ड एक्वीजीशन आफ इममूवेवल प्रापर्टी एक्ट, 1952, की धाराओं के अन्तर्गत, जिसके आधार पर जमीन का अर्जन किया गया था, एक वैध अधिकारी को मध्यस्थता के लिए सुपुर्द किया जायेगा।

चौथी योजना के दौरान केरल में सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिए धन का नियतन

6587. श्री मती भार्गवी तनकप्पन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल को कुल कितने धन का आवंटन किया गया;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में (एक) औद्योगिक और (दो) निम्न आय समूह के लोगों को गृह निर्माण के लिए केरल राज्य को कुल कितने धन का आवंटन किया गया;

(ग) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिए कोई योजना प्रस्तुत की हैं; और

(घ) यदि हां, तो केरल सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना में उस उद्देश्य के लिए कितने धन का नियतन किया गया है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किसी राज्य के लिए आवास के अन्तर्गत राशि (आउटले) के योजनावार नियतन का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। राज्य सरकारें अनुमोदित प्लान आउटले के भीतर अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न आवास योजनाओं के लिए नियतनों के निर्धारण करने में स्वयं स्वतन्त्र हैं।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, केरल सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में सहकारी आवास योजना के लिए 5 लाख रुपये, सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के लिए 10 लाख रुपये, तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के लिए 50 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया है।

राज्य सरकारें अपने प्लान में शामिल की गई आवास योजनाओं को बनाने और उन्हें निष्पादित करने में सक्षम हैं और सहकारी आवास निर्माण समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की वास्तविक राशि का भी निश्चय उन द्वारा किया जाता है। इस बारे में केरल सरकार द्वारा इस मंत्रालय को योजनाएं भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपहृत विमान के लिए मुआवजा

6588. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अपने अपहृत किए गए तथा जला दिए गए विमान के मुआवजे की पाकिस्तान से जो माँग की थी उसके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने देशों ने अपना सहयोग दिया; और

(ग) इस सम्बन्ध में आगे की जाने वाली कार्यवाही का व्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ग) : भारत सरकार पाकिस्तान पर इंडियन एयरलाईनस के जहाज और समान की क्षतिपूर्ति के लिए लगातार दवाव डाल रही है। अभी तक पाक सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता; क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला भारत और पाकिस्तान परस्पर ही सबसे अच्छी तरह सुलझा सकते हैं।

केरल में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोगशालाओं की स्थापना

6589. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से केरल राज्य में स्वास्थ्य संबंधी प्रयोगशालाओं की स्थापना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से सरकार ने केरल में कोई स्वास्थ्य प्रयोगशाला नहीं खोली है। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रयोगशाला सेवाओं का सुदृढ़ि-करण नामक अपने एक कार्यक्रम के अधीन एक विश्व स्वास्थ्य तकनीशियन (परामर्शदाता) शिक्षा-वृत्तियों तथा कुछ उपस्कर देकर प्रयोगशाला तकनीशियनों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए चिकित्सा कालेज, त्रिवेन्द्रम की सहायता करता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सहायता 1965 तथा 1970 के बीच दी थी और इस सहायता से चिकित्सा कालेज, त्रिवेन्द्रम में औषध प्रयोग शाला तकनीशियनों के लिए एक-वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम में पूर्णकालिक अध्यक्ष का नियुक्त न किया जाना

6590. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम सितम्बर, 1970 से अध्यक्ष के बिना कार्य कर रहा है,

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) : श्री एल० जे० जानसन की अवधि की समाप्ति के साथ ही, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रधान का पद 8 सितम्बर, 1970 को रिक्त हुआ। परन्तु श्री जानसन के स्थान पर नियुक्त होने वाले अधिकारी ने पद का कार्यभार नहीं सभाला। अतः इस पद की स्थायी आधार पर नियुक्ति के लिए, सरकार अन्य प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

इसी बीच में, अस्थायी व्यवस्था के रूप में, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के सदस्य (अन्वेषण), श्री वी० एस० नेगी, 8-9-1970 से, उक्त आयोग के स्थानापन्न प्रधान के रूप में काम कर रहें हैं तथा उनके सारे कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं।

अशोधित तेल की रायल्टी बढ़ाने के लिए आसाम सरकार का अनुरोध

6591. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अशोधित तेल की रायल्टी 10 रुपये प्रति टन से 20 रुपये प्रति टन बढ़ाने का अनुरोध किया है,

(ख) क्या आसाम के मुख्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में उनके साथ हाल ही में कोई विचार विमर्श किया था, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अशोधित तेल की वर्तमान रायल्टी (स्वत्व शुल्क) दर, प्रधानमंत्री पंचाट, 28 सितम्बर, 1968 द्वारा शासित होती है। और इसकी मान्यता 1-1-1968 से चार वर्ष के लिए बढ़ गई है। पंचाट में 1971 के अन्त तक इस दर का एक पुनरीक्षण करने का उल्लेख था। हाल ही में असम के मुख्य मंत्री के साथ हुए विचार-विमर्श में यह निश्चिय किया गया था कि इस पुनरीक्षण से पूर्व असम सरकार केन्द्रीय सरकार को सितम्बर, 1971 के अन्त में एक ज्ञापन भेजगी जिसमें भविष्य में रायल्टी (स्वत्व शुल्क) की दर में वृद्धि के लिए असम सरकार के मामले की विस्तृत व्याख्या की जायेगी।

आसाम में दूसरा तेलशोधक कारखाना

6592. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगाई गांव, आसाम में दूसरा तेल शोधक कारखाना बनाने हेतु स्थान का चयन करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डीजल के धुएं का मानव जीवन पर प्रभाव

6593. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौलाना आजाद चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने डीजल के धुएँ का मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों की मुख्य मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय इंजन परिचालक-वर्ग एसोसिएशन ने 1969 में रेलवे ड्राइवरों पर डीजल के काले धुएँ के प्रभाव के बारे में अभ्यावेदन दिया था;

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अभ्यावेदन के विवरण इस प्रकार हैं-—

डीजल इंजिन से काफी बड़ी मात्रा में निकलने वाले कार्बन कणों से श्वास मार्ग के उपरी भाग में रुकावट और जलन होने लगती है, आंखों से पानी छूटने लगता है तथा उनमें जलन होने लगती है और इस प्रकार लोकोमोटिव कैब में रहना बहुत ही कष्टदायक हो जाता है, वहां पर दम घुटने लगता है और कभी कभी उलटी भी हो जाती है ।

इस में यह भी निवेदन किया गया है कि रेल मंत्रालय से कहा जाय कि वह ऐसे इंजिनों का कम से कम उपयोग करने के लिए कदम उठाये और इंजिन पर काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ भत्ता दें ताकि वे विटामिन लेकर अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकें ।

(ङ) केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई ने, भारतीय रेलों में डीजल इंजिन पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों का अध्ययन किया । अध्ययन के उपरान्त संस्थान इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डीजल इंजिन से बाहर निकलने वाली गैसों के कारण नियन्त्रण कैबिन में जो दूषण पैदा होता है उससे डीजल इंजिन पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं है ।

नई दिल्ली स्थित विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में बेहतर कार्यकरण के लिए एक बोर्ड की स्थापना

6594. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में बेहतर कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) यदि हां, तो उस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) इसे क्या मुख्य कृत्य सौंपे जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : विलिंगडन अस्पताल तथा परिचर्या गृह, नई दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली की कार्य-दक्षता एवं सेवाओं में सुधार करने के लिए संकल्प संख्या 2-74/71-अस्पताल, दिनांक 6 जुलाई, 1971 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार एक उच्च शक्ति प्राप्त नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया है । [प्रतिलिपि ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या/एल० टी० 787/71]

आन्ध्र प्रदेश में ग्राम्य और नगरीय जल सप्लाई योजनायें

6595. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल सप्लाई और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1970-71 के दौरान आंध्र प्रदेश में कौन-कौन सी ग्राम्य और नगरीय जल सप्लाई योजनायें आरम्भ की गई हैं अथवा पहले से ही निर्माणाधीन है;

(ख) उन योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और योजना-वार उनका अनुमानित व्यय कितना है;

(ग) क्या कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और योजनानुसार उसके निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्तालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से सूचना की इन्तजारी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय सीमा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों को तैनात करना

6596. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका पूर्वी बंगाल में और सीमा के साथ भारतीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों को तैनात किये जाने के विचार को बढ़ावा दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इस आशय के अनौपचारिक सुझाव दिये हैं ।

(ख) भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से बतला दिया है कि पहला काम यह है कि पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के अन्तर्वाह को तुरन्त रोका जाए, और यह तभी हो सकता है जबकि पाकिस्तान की सैनिक दमन की नीति खत्म की जाए । लौटने के लिए शरणार्थियों को तभी राजी किया जा सकता है, जबकि उन्हें यह विश्वास हो जाये कि निरापद रूप से और बिना किसी भय के और अपनी तथा अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा की विश्वसनीय गारंटी के साथ वे ऐसा कर सकते हैं । इस बात सुनिश्चय तभी हो सकता है जब कोई ऐसा राजनीतिक समझौता हो जो पूर्वी बंगाल की जनता और उनके निर्वाचित नेताओं को स्वीकार्य हो । पूर्वी बंगाल में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को केवल तैनात करने से इस उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकती । और न सीमांत क्षेत्रों में ऐसे प्रेक्षकों के रहने से पाकिस्तानी सेना द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों में कमी आ सकती है, जिसकी आवश्यकता है । प्रेक्षकों को तैनात करने से केवल यह भ्रांति उत्पन्न होगी कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने कार्यवाही की है और इससे इस बात से लोगों का ध्यान हट जाएगा कि पूर्वी बंगाल की समस्या के उचित

राजनीतिक समाधान की प्राप्ति के लिए पाकिस्तान सरकार पर निरन्तर और जोरदार दबाव डालने की आवश्यकता है ।

सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों को तैनात करने की बात को वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी और इस आशय के प्रस्ताव को अमित्रतापूर्ण कार्य समझा जाएगा। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के हाई कमीशन के अधिकारी तथा अन्य विदेशी राष्ट्रिक भारत स्थित शरणार्थी शिविरों में लगभग नित्य ही जाते हैं, और उनमें से एक ने भी यह नहीं कहा कि भारत शरणार्थियों को घर वापस जाने से रोक रहा है या उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है ।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के बारे में अनिर्णीत मामले

6597. **श्री कुशक बकुला** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के बारे में कितने विवाद/न्यायालय के मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) उन विवादों/मामलों का स्वरूप क्या है और इसमें अन्तर्ग्रस्त पक्षों के नाम क्या हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) : समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक मामला उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है ।

(ख) मामला, भूमि की खरीद के लिए मैं० चुन्ना मल सालिगराम को दी गई पेशगी रकम की वसूली से सम्बन्धित है । मामला उच्च न्यायालय में लंबित है ।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली का उप-नियम

6598 **श्री कुशक बकुला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली के उप-नियमों में यह व्यवस्था है कि समिति के प्लाट सदस्यों को उनकी वरीयता के आधार पर दिये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो वह विशेष उप-नियम क्या हैं, उनकी संख्या कितनी है और महासभा की वह बैठक किस तिथि को हुई थी जिसमें इसका अनुमोदन किया गया था;

(ग) क्या 1957, 1958 और अगस्त, 1959 तक समिति में पंजीकृत सदस्यों को समिति का वरिष्ठ सदस्य माना गया था; और

(घ) यदि हां, तो सितम्बर नवम्बर 1959 में समिति में अपना नाम दर्ज कराने वाले सदस्यों को वरिष्ठ सदस्य न समझने के क्या कारण हैं और किस आधार पर वरीयता निश्चित की गई थी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) उप-नियम सं० 5 (क) 11 फरवरी, 1962 तथा 15 अगस्त, 1962 को हुई समिति की महा सभा की बैठक में पारित किया गया।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। सदस्य की वरिष्ठता उस तारीख से मानी जाती है, जिस तारीख से वह वास्तव में समिति का सदस्य बनाया जाता है।

गैर-सरकारी चिकित्सकों द्वारा नसबन्दी के असफल आपरेशन

6599 श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री मती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ अनधिकृत चिकित्सकों ने नसबन्धी के असफल आपरेशन किये है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नसबन्दी आपरेशन किए जाने के बारे में भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कानून के मौजूदा उपबन्धों को पर्याप्त समझा जाता है।

Request by Madhya Pradesh Government for Alternative plot for Handicrafts Emporium in Delhi.

6600 Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) Whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government for the allotment of some alternative plot for Handicrafts Emporium located in New Delhi; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No sir.

(b) The question does not arise.

भारतीय नौ सेना को आवंटित विदेशी मुद्रा का दुरूपयोग

6601 श्री के० लकप्पा :

श्री नुग्घली शिवप्पा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमांडर के० के० नैयर तथा उनके आर्ट फिल्म निर्माता श्री आर० के० नैयर के विरूद्ध भारतीय नौसेना को आवंटित विदेशी मुद्रा का दुरूपयोग करने के कुछ आरोप हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके विरूद्ध जांच करने का है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में पुर्नानियुक्त सेना के पेंशनभोगी

6602 श्री माधुर्य हालदार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में पुर्ननियुक्त सेना के कुछ पेंशनभोगियों को न्यूनतम पेंशन के 40 रुपये भी नहीं मिल रहें है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनको न्यूनतम पेंशन 40 के रुपये देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाह व्यय की उच्चतर लागत में कमी लाने के लिये समय समय पर सैनिक पेंशनरों को अस्थायी तदर्थ वृद्धि मंजूर की जाती है जब उनकी पुर्ननियुक्ति हो जाती है, तब वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भी हकदार हो जाते है। 40 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन जिसमें अस्थायी तदर्थ वृद्धि शामिल है उन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वह निर्वाह व्यय लागत में वृद्धि के लिए दूहरे मुआवजे का दावा नहीं कर सकते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं, उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए।

कोटा में माला रोड का बन्द किया जाना

6603. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा से गुजरती हुई माला रोड पर यातायात बन्द करने के लिए सैनिक कमांडर ने कितनी बार आदेश दिये हैं;

(ख) यातायात के लिए यह सड़क बन्द किए जाने से पूर्व इस आशय का समाचार किन-किन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था;

(ग) क्या सैंट पाल तथा गुड्स शैड के यातायात और सोफिया स्कूल के छात्रों को इस

सड़क के बन्द हो जाने के कारण अपने मन्तव्य पर पहुँचने के लिये 5 मील का चक्कर काटना पड़ता था; और

(घ) यदि हां, तो यातायात के लिए इस सड़क को बन्द किए जाने से रोकने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस वर्ष के दौरान इस सड़क पर यातायात को केवल 10 मिनट के लिए 3 अवसरों पर बन्द किया गया था। पहले 2 वर्षों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सड़क के बन्द होने का समाचार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) : सड़क बन्द होने के कारण यात्रा में केवल 1 किलो मीटर का अन्तर बढ़ा है, सड़क को प्रत्येक बार केवल अनिवार्य समारोह परेडों के लिए केवल 10 मिनट के लिए बन्द किया गया है। यह स्थानीय सिविल प्रशासन से परामर्श करके किया गया है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नहीं है।

दिल्ली में झोंपड़ी-एवं-विश्राम गृह

6604 श्री डी० पी० जडेजा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में झोंपड़ी-एवं-विश्राम गृह का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त झोंपड़ियों का निर्माण किन स्थलों पर किया जायेगा; और

(ग) उनका दैनिक किराया लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Value of Advertisements Published by Foreign Embassies in Indian Newspapers

6605 Shri Narendra Singh :
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) The value of advertisements got pubished by various Embassies, Consulates and High Commissions Stationed in India in the newspapers in the country during the last three years; and

(b) The names of the Indian newspapers in which the Russian, North korean, East German, Chinese and U. S. Embassies and the Pakistani High Commission have got their various jobs printed, indicating the cost thereof ?

The Deputy Minister of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) : Information is not available.

निमोनिया और श्वास रोगों से पीड़ित बंगला देश से आये शरणार्थी

6606 श्री समर गुह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये बड़ी संख्या में शरणार्थी मानसून की वर्षा में भीगने तथा कीचड़ आदि के कारण इस समय निमोनिया तथा श्वांस रोगों से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत पाक संघर्ष में हताहत हुए लोगों को भूमि का आवंटन

6607 श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पिछले भारत-पाक संघर्ष के पश्चात् राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने अमृतसर में आयोजित हुई एक विशाल सभा में सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि युद्ध में मारे गये या अयोग्य हुये सैनिकों के अश्रितों को नई कनाल की बस्तियों में एक लाख एकड़ भूमि आवंटित की जायेगी; और

(ख) यदि हां तो इस वायदे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) : आवश्यक सूचना और ब्यौरा राजस्थान सरकार से पता लगाया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल का विकास

6608 श्री बी० के० दासचौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में, विशेषकर वहां के मोफसित छोटे कस्बों और नगरपालिकाओं में बस्ती विकास वाटर वर्क्स, मल निस्सारण आदि का विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है, जैसा कि कलकत्ता महानगर जिले में चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि से आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी पांचवीं योजना में ऐसी कोई योजना 250 करोड़ रुपये या इससे अधिक धनराशि से आरम्भ करने का हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बंगला देश के मामले पर राष्ट्रमंडलीय देशों की प्रतिक्रिया

6609 श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र मंडल के किन किन देशों ने बंगला देश के संकट को दूर करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देना स्वीकार किया है जिससे कि ऐसी स्थिति पैदा की जा सके कि शरणार्थी सुरक्षित अपने घरों को पहुंच जायें तथा निर्भयता की स्थिति में रह सकें;

(ख) राष्ट्र मंडल के जो देश या तो इस बारे में निष्पक्ष हैं या फिर पाकिस्तान की सैनिक सत्ता का पक्ष लेते हैं, उन देशों की सरकारों के अध्यक्षों को बंगला देश के बारे में वास्तविक स्थिति समझाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राष्ट्रमंडल देशों की कोई आपात कालीन बैठक आयोजित किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार राष्ट्र मंडल के लगभग सभी देशों से सम्पर्क बना रही है और बंगला देश की वर्तमान स्थिति के सही तथ्यों से तथा बंगला देश में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के फलस्वरूप भागने को मजबूर हुए लाखों शरणार्थियों के भारत में आ जाने से उत्पन्न समस्याओं से उन्हे अच्छी तरह अवगत करा दिया गया है। अधिकांश सरकारें इस समस्या के माननीय पहलू के प्रति बहुत सजग हैं और हम यह समझते हैं कि इनमें से बहुत से देश पाकिस्तान सरकार से ताकत का इस्तेमाल बन्द करने तथा ऐसा राजनीतिक समाधान ढूंढने के लिये प्रभाव डाल रहे हैं जिससे शरणार्थी अपने घर सुरक्षित लौट सकें।

(ग) सरकार अनुभव करती है कि राष्ट्रमंडलीय देश सहित अधिकांश देश इस समस्या को और इसके संभावित परिणामों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए इस विषय पर राष्ट्रमंडल की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

संक्रामक रोगों को समाप्त करना

6610. श्री धर्मराव शरणप्पा अफजल पुरकार : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में संक्रामक रोगों को समाप्त करने के संदर्भ में हुई प्रगति का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना में संक्रामक रोगों के विरुद्ध अभियान तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी हाँ। सरकार को संक्रामक रोगों अर्थात मलेरिया तथा चेचक के उन्मूलन के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समय समय पर समीक्षा करती रहती है।

(ख) इस अध्ययन के परिणाम इस प्रकार हैं:—

मलेरिया

इस रोग का प्रकोप कम हुआ है। 1952 में जहाँ प्रति 10 लाख में से 2 लाख व्यक्तियों को यह रोग हो जाता था वहाँ अब 1970 में यह प्रति 10 लाख में से 1300 को ही हुआ है। इस

समय देश की 59 प्रतिशत जनता मलेरिया से मुक्त घोषित की गयी है। जहां देश की 17 प्रतिशत आबादी उन्मूलन के अग्रिम चरण वाले क्षेत्रों में है वहाँ केवल 24 प्रतिशत आबादी ही आक्रमण चरण में रह गई है वहां कीट नाशी औषधियों का छिड़काव जारी है।

चेचक

चेचक का प्रकोप कम हो गया है। पहले सन् 1967 में जहाँ 83,943 मामलों में 26,225 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी वहां सन् 1970 में इस रोग से केवल 10,786 व्यक्ति ही पीड़ित हुए और उनमें से केवल 1985 व्यक्ति ही मृत्यु के शिकार हुए। इस प्रकार रोगियों की संख्या में 87.4 प्रतिशत तथा मृत्युओं की संख्या में 92.4 प्रतिशत कमी हुई।

(ग) भारत सरकार ने मलेरिया, चेचक, फाइलेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, हैजा, रोहे तथा रति रोग जैसे संचारी रोगों के उन्मूलन / नियंत्रण के कार्यक्रम को केन्द्र पुरोनिधानित (सेण्ट्रली स्पोन्सर्ड) योजनाओं की श्रेणी में रखा है और इसके लिए चौथे पंचवर्षीय आयोजन में 12,528.08 लाख रुपये का कुल खर्च रखा हुआ है। राज्यों ने जितने खर्च का वायदा किया है उसके अलावा उन्हें ऐसी सभी योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जिस सामग्री और उपस्कर की आवश्यकता होती है वह भी उन्हें दिया जाता है। इन योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी मार्ग प्रदर्शन किया जा रहा है।

डिप्थीरिया, कुकर खाँसी और टेटनस से लोगों के बचाव करने के एक अभियान के लिए भी चौथे पंचवर्षीय आयोजन में 25 लाख रुपये रखे हुए हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ और कृमि जन्य अनेक संचारी रोगों के बारे में अनुसन्धान कर रही है।

नशीली औषधियों के उपयोग पर रोक

6611. श्री धर्मराव शरणप्पा अफजल पुरकार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नशीली औषधियों के उपयोग पर रोक लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : जी, नहीं। फिर भी मादक दवाओं और स्वापक औषधियों के निर्माण, बिक्री और गलत उपयोग में लाई जा सकने वाली दवाइयों पर ऊंची दरों पर उत्पादन शुल्क लगाने को विनियमित करने के लिये औषधि और अंगराग अधिनियम, और औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम और हानिकर औषधि अधिनियम में ऐसी दवाओं और औषधियों के बारे में उपबन्ध रखे गये हैं; एल० एस० डी० जैसे साइकोट्रापिक द्रव्यों के मामले में उनके अनुचित प्रयोग को रोकने के निमित्त एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनवरी, फरवरी 1971 में वियाना में एक सम्मेलन बुलाया था। साइकोट्रापिक द्रव्यों पर

एक समझौता किया गया जिसमें कतिपय ऐसे नियंत्रण उपाय दिये गये हैं जिन्हें इस समझौते के समर्थक राष्ट्रों के और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनाना होगा। यद्यपि साइकोट्रापिक द्रव्यों के निर्माण और बिक्री के लिये लाइसेन्स रखना, उनका हिसाब किताब रखना आदि जैसे कुछ नियंत्रण उपाय जो उक्त सम्मेलन में प्रस्तावित हुए हैं औषधि एवं अंगराग अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आ जाते हैं तथापि भारत ने इस सम्मेलन को अभी अपना समर्थन नहीं दिया है।

मैसूर में मकानों का निर्माण

6612. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफ़ज़ल पुरकार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर सरकार ने गत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि में से मकानों के निर्माण के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : निर्माण और आवास मंत्रालय की विभिन्न सामजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए 1968-69 के वर्ष के दौरान, 41.37 लाख रुपये की राशि, मैसूर सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में ली गई थी।

मंत्रालय की सभी सामाजिक आवास योजनाएं (सिवाये बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के जो 1 अप्रैल 1970 के केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तांतरित की गई है) राज्य क्षेत्र में हैं। 1969-70 से आरम्भ हुई चौथी योजना की अवधि के दौरान, मैसूर समेत राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं (आवास सहित) के लिये, केन्द्रीय वित्तीय सहायता इकट्ठी 'खंड ऋणों' और 'खंड अनुदानों' के रूप में दी जा रही है। इस खंड सहायता की कोई राशि किसी विशिष्ट योजना विकास शीर्ष से सम्बन्धित नहीं है। राज्य सरकारें केन्द्रीय खंड सहायता अपने प्लान में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर, अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर, काउपयोग करने में स्वतंत्र हैं। 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान, मैसूर राज्य द्वारा केन्द्रीय खंड सहायता में से व्यय की गई राशि अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

1970-71 के दौरान, मैसूर राज्य की, बागान कर्मचारियों के लिए, सहायता प्राप्त आवास योजना के कार्यान्वियन के लिये, 5 लाख रुपये की राशि दी गई थी, परन्तु उस वर्ष के दौरान, उन दारा, इसे व्यय नहीं किया गया।

उत्तरी/दक्षिणी कोरिया का दौरा करने वाले भारतीय

6613. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तरी कोरिया के निमंत्रण पर और/या उस देश द्वारा प्रस्तावित आतिथ सत्कार के आधार पर उत्तरी कोरिया का दौरा करने वाले वर्तमान तथा भूतपूर्व संसत्सदस्यों, बुद्धिजीवियों तथा पत्रकारों के नाम क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण कोरिया के निमंत्रण पर और/या उस देश द्वारा प्रस्तावित आतिथ्य सत्कार के आधार पर दक्षिणी कोरिया की यात्रा करने वाले वर्तमान तथा भूतपूर्व संसत्सदसयों, बुद्धिजीवियों तथा पत्रकारों के नाम क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान और भूतपूर्व संसद सदस्यों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की सूची जिन्होंने 1 जुलाई 1968 के बाद कोरियाई लोक जन गणराज्य और कोरियाई गणतंत्र की यात्रा की, सदन की मेज पर रखी है। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 788/71)

Suit Filed by Danapur Cantonment

6614. Shri. Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to State

(a) whether the Danapur Cantonment Board filed a suit against the citizens of that area under I.P.C. and C.P.C. and the Cantonment Act during 1969-70 and 1970-71;

(b) if so, the number of citizens sued and the reasons therefor;

(c) the rospective number of cases won and lost by the said Board; and

(d) the total expenditure incurred on these cases ?

The Minister of Defence (Shri. Jugjivan Ram): (a) During the years 1969-70 and 1970-71, the Danapur Cantonment Board filed seven cases under Sections 118 and 184 of the Cantonments Act, 1924.

(b) The number of citizens sued was seven and the cases related to unauthorised constructions, encroachment and letting dirty water on Government land.

(c) One case has been won, another was compounded and five are pending.

(d) So far the Cantonment Board has incurred an expenditure of Rs. 40/- only.

Scarcity of Drinking Water in Patna town

6615. Shri. Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state;

(a) whether there is a great scarcity of drinking water in the entire Patna Town on account of increase in the population of the town and old sources of supply of drinking water;

(b) whether no water pipes have been laid so far in a 'number of mohallas of the town and water is not being released in the pipes already laid several years ago;

(c) if so, whether Government of Bihar sought Central assistance for increasing water resources; and

(d) if so, the amount thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri. D. P. Chattopadhyaya) : (a) to (d) : Information has been called for from the Government of Bihar and will be laid on the Table of the Sabha.

Letter Received by P.M. from British Prime Minister

6616. Shri. Ramavatar Shastri
Shri. Devinder Singh Garcha :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to State :

(a) whether the British High Commissioner met the Prime Minister on the 8th July, 1971 and gave her a letter from the British Prime Minister Mr. Edward Heath;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri. Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) : The message is of a personal and confidential nature, and it is not customary to make public contents of such correspondence between Heads of Government.

विभिन्न पैट्रो-रसायन उद्योग समूहों के बारे में निर्णय करने के लिए एक होल्डिंग कम्पनी की स्थापना करना

6617 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, असम, बिहार तथा तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के अधीन स्थापित किये जाने वाले चार पैट्रो-रसायन उद्योग समूहों के कारखाने में वित्त लगाने, उनके आयोजन और विकास के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए एक होल्डिंग कम्पनी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लि० ने अहमदाबाद में स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान से निवेदन दिया था कि वह संगठनात्मक पैटर्न (प्रणाली) का अध्ययन करे जिसके भविष्य में प्रस्तावित पैट्रो-रसायन प्रायोजनाओं सहित देश में समस्त पैट्रो-रसायन प्रायोजनाओं की व्यवस्था हेतु आरम्भ किये जाने की आवश्यकता होगी। उक्त संस्था ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में यह सुझाव किया गया है कि देश में पैट्रो-रसायन उदयोग समूह में वित्त व्यवस्था, दीर्घावधि आयोजन, विकास एवं अनुसंधान और विकास कार्यों के संबंध में विवेचनात्मक निर्णय लेने के लिए एक नियंत्रक (होल्डिंग) कम्पनी की स्थापना की जाए। इस समय सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इस संबंध में कुछ और अध्ययन तथा इस विषय के समस्त पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

Construction of Cheap and Beautiful Houses in Delhi as Suggested by N. B.O.

6618. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to State :

(a) whether the National Buildings Organisation has furnished any details to Government regarding the cost at which a cheap and beautiful house can be constructed in Delhi;

(b) if so, whether Government have implemented the suggestion made by the National Buildings Organisation anywhere; and

(c) if so, when and where ?

The Minister of State In the Ministry of works and Housing (Shri. I. K. Gujral) : (a) to (c) : The National Buildings Organisation have submitted a design for a low cost house suitable for adoption only in areas where the cost of land is not high. For demonstration purposes, a house based on that design is proposed to be constructed in Delhi.

Progress Made by H.A.L.

6619. Shri M.C. **Daga : Will** the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) the date when the Hindustan Aeronautics Limited was set up and the total number of units functioning under it;

(b) the various kinds of aircrafts being manufactured by the said company at present;

(c) the total sale proceeds of the said company during the last three years; and

(d) the amount of foreign exchange earned through exports and other means by the said company during the last three years ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (**Shri** Vidya **Charan Shukla**) : (a) Hindustan Aeronautics Limited came into existence on the 1st October, 1964 by the amalgamation of Hindustan Aircraft Ltd. and Aeronautics India Ltd. It has six units at present.

(b) The types of aircraft being manufactured by H.A.L. at present are :-

(i) Gnat Mk. I

(ii) H.F.-24 Mk. I

(iii) Basic Jet Trainer aircraft (Kiran).

(iv) Alouette III Helicopters.

(v) MiG. 21 aircraft.

(vi) H.S.-748 aircraft.

(c) Total Sales of the Company during the last three years (including subsidy) were as follows :—

		(Rupees in crores)
1968-69	1969-70	1970-71
52·55	67·23	70·88

(d) The value of foreign exchange earned by H.A.L. during 1968-69, 1969-70 and 1970-71 on account of exports and other earnings is as follows :—

1968-69	1969-70	1970-71
(Rupees	in	Lakhs)
11·19	13·72	14·06

Defence Production Establishments in Public Sector

6620. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) the number and names of defence production establishments in the Public Sector;

(b) the total capital invested so far therein; and

(c) the names of such establishments in which shares are held by outsiders as well ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri, Vidaya Charan Shukla) : (a) and (b) : The names of the public sector undertakings under the Ministry of Defence and the total Capital invested in respect of each of them is given below :—

Sl. No.	Name of the Under-taking	Investment in Share Capital as on 31-3-1971 Rs. in crores
1.	Hindustan Aeronautics Limited	50·41
2.	Bharat Electronics Limited	5·21
3.	Bharat Earth Movers Limited	11·90
4.	Mazagon Dock Limited	3·30
5.	Goa Shipyard Ltd.	0·60
6.	Garden Reach workshops Limited	3·00
7.	Praga Tools Limited	3·00
8.	Bhrat Dynamics Limited	0·75
	Total Rs. ...	78·17

(c) Only Praga Tools Limited and Goa Shipyard Limited have some Private shareholders also.

कच्चातीवू द्वीप के मामले का निपटारा

6621 श्री मुख्तियार सिंह :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री नुग्घल्ली शिवप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्चातीवू द्वीप के मामले के निपटारे के बारे मे क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : कच्चातीवू द्वीप पर प्रभुसता से संबद्ध प्रश्न पर भारत सरकार और श्रीलंका की बातचीत बराबर चल रही है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे, भारत और श्रीलंका दोनों ने इच्छा व्यक्त की थी कि इसे मित्रता और सहयोग की भावना से निपटाया जाय।

Sale Proceeds of Bharat Electronics Ltd.

6622. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total sale-proceeds in crores of rupees of the Bharat Electronics Ltd. during 1969-70 and the estimated amount of sale-proceeds during 1970-71;

(b) its production-target by 1975; and

(c) the number and names of new development projects undertaken or proposed to be undertaken by it during 1971 ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Sale-proceeds of Bharat Electronic Ltd. during 1969-70 and the estimated sale proceeds during 1970-71 are as under :—

	In crores of rupees
1969-70	27.00
1970-71 (Estimated)	26.35

(b) The production target of the Company by 1975, for both the existing factory at Bangalore and the new factory at Ghaziabad, is approximately Rs. 60 crores.

(c) The number of projects for the development of new equipment undertaken or proposed to be undertaken in 1971 is 21. Of these, fourteen projects are for meeting the requirements of the Defence Services, the Police and the Border Security Force and it will not be in the public interest to disclose information about these projects. The particulars of other 7 projects are as follows :—

For All India Radio

Studio Consoles, Turn Tables and Mobile Broadcasting Transmitting Stations.

Solid-State 1 KW MW Transmitter.

For Meteorological Department

Cyclone Warning Radar

Wind Finding Radar

A micro-miniaturised X-Band Radar transmitter-receiver using Microwave integrated circuits for later general use.

For Civil

Midget business computers for small business houses A 100 W Solid-State transreceiver and transmitter-receiver for civilian applications.

Besides the above, Bharat Electronics Ltd. also propose to undertake development of certain new types of components.

पंजाब में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मकान की अधिकतम लागत में वृद्धि

6623. श्री भान सिंह भौरा : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र को सूचित किया है कि औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में प्रति मकान 6150 रुपये की अधिकतम लागत के बिना कोई मकान नहीं बनाये जा सकेंगे;

(ख) क्या पंजाब सरकार के अनुसार ऐसे मकान की लागत के नवीनतम अनुमान 8700 रुपये हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से मकान की अधिकतम लागत 6150 रुपये से बढ़ा कर 8700 रुपये करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) से (घ) पंजाब सरकार ने यह सूचित किया था कि औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एककृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन 6,150 रुपये प्रति मकान की वर्तमान निर्धारित लागत की ऊपरी सीमा के अन्तर्गत छेहरटा, जिला अमृतसर में दो कमरों के सामान्य दुमंजले 100 मकानों के निर्माण की अपनी परियोजना को आरम्भ करने में वे असमर्थ थे और यह कि इसे बढ़ाकर 8,700 रुपये किया जाना चाहिए। योजना के अन्तर्गत विभिन्न टाईपों के रिहाइशी एककों (सामान्य दो कमरों वाले मकानों सहित) की लागत की वर्तमान निर्धारित ऊपरी सीमा के

संशोधन के सामान्य प्रश्न पर अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान निर्माण की लागत को दृष्टि में रखते हुए ध्यान दिया जा रहा है ।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीय नागरिक

6624. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह
श्री मुहम्मद शरीफ
श्री एस० एम० कृष्ण

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1971 के आरम्भ में सीमा से अपहृत किये गये कुछ भारतीय नागरिक जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, पाकिस्तान की जेलों में पड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान यह बताने के बजाय कि वे कहां हैं और कैसे हैं, यह माँग कर रहा है कि भारत उन पाकिस्तानियों को, जिन्हें वह भारत द्वारा गिरफ्तार किया गया वताता है, रिहा कर दे और पश्चिमी पाकिस्तान वापस भेज दे ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) : जी हां ।

(ख) जी हाँ । पाकिस्तान के कब्जे में हमारे नागरिकों से सम्बद्ध विरोध-पत्रों को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है और फिर भी वह भारत में अवैध रूप से आये थोड़े से पश्चिम पाकिस्तानियों की रिहाई और वापसी की माँग करता है । इस बात को देखते हुये यह और भी आश्चर्यजनक है कि बंगला देश से पाकिस्तानी सेना की बर्बताओं के कारण घर और जमीनों से निकाले गये सत्तर लाख से ऊपर लोगों की उसे कोई चिंता नहीं है ।

हल्दिया में पैट्रो-रसायन और उर्वरक उद्योग समूह

6625. श्री सुबोध हंसदा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल में बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए हल्दिया में पैट्रोर-सायन और उर्वरक उद्योग समूह स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर समुचित रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक निर्णय कर लेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : हल्दिया में पैट्रो-रसायन समूह तथा एक उर्वरक प्रायोजना की स्थापना के प्रस्तावों पर तकनीकी-आर्थिक पहलू से जाँच की जा रही है । उन पर यथाशीघ्र निर्णय लिये जायेंगे ।

चितरंजन सेवा सदन और कैंसर इन्स्टीट्यूट पश्चिम बंगाल का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

6626. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन सेवा सदन और पश्चिम बंगाल के कैंसर इन्स्टीट्यूट, ने केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे अपने हाथ में लिए जाने के लिए अपने मन्त्रालय से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपध्याय) : (क) और (ख) : जी नहीं, परन्तु चितरंजन कैंसर अस्पताल को राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता के साथ मिलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। दूसरे का खर्च केन्द्रीय सरकार चलाती है।

पश्चिम बंगाल के नेशनल मेडिकल कालेज और हास्पीटल का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

6627. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के नेशनल मेडिकल कालेज और हास्पीटल को अपने हाथ में लेने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही दस वर्ष के लिए, 9 जून 1967 से राष्ट्रीय चिकित्सा कालेज, कलकत्ता को अपने अधीन ले चुकी है। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संख्या को अपने अधीन लेने का प्रश्न नहीं उठता।

Supply of Milk and Meat to Guard Training Centre, Kota

6628. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the name of the party, which has been given contract for the supply of milk and meat to the Guard Training Centre, Kota at present; and

(b) the terms and conditions governing the contract and the value thereof and the rate at which these articles are being supplied ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There is no contract for supply of Milk to Guards Training Centre Kota at present. Their requirements are met by Military Farm Depot Kota by procurement of supplies on a day-to-day basis from the cheapest source. The contract for supply of meat is held by M/s. Mohan Lal Oberoi & Sons, 4/7, Deshbandhu Gupta Road, Pahar Ganj, New Delhi-55.

(b) (i) **Supply of Milk**

At present cow's milk testing not less than 4% BF and SG 1.029 is being purchased at the rate not exceeding Rs. 103- per 100 litres.

(ii) **Supply of Meat**

Meat is drawn under a regular annual contract covering the financial year 1971-72. The contract has been concluded under the standardised terms for

conclusion of Army Service Corps contracts which cover the requirements of lodging earnest money, security deposit, system of rendering the supplies by the contractor at the Supply Depot (Butchery), inspection and penalty in the case of default and failure on the part of the contractor, utilization of the Unit garden produce instead of contractor's supply, when feasible, maintenance of reserve of animals, disposal of inedible offals and ASC Specification in respect of meat dressed etc. The contract rate is Rs. 418.00 per 100 Kg. and the value of the contract is Rs. 2,50,800 approximately.

Dhanwantri Dispensary at Pauri Garhwal, Uttar Pradesh

6629. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister for **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 38 on the 9th November, 1970 and state :

(a) whether the State Government have made a recommendation in connection with the Report sent to them by the Central Government concerning the grant of financial assistance to Dhanwantri Dispensary, Village Khol (Amkot), Patti Idawalsaun, P.O. Kyark, District Pauri Garhwal to the effect that the financial assistance sought for this dispensary should be granted to it;

(b) if so, the amount of financial assistance proposed to be given by the Central Government to this dispensary; and

(c) the names of the dispensaries in Garhwal likely to be given grants during 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) A copy of the application of Dhanwantri Aushdhalaya was forwarded to the Uttar Pradesh Government for consideration by the State Government on merits. The State Government were also requested that the decision taken in the matter may be communicated to the Government of India.

(c) There are no other proposals under consideration in this regard.

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों को नष्ट भ्रष्ट करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन और अन्य देशों का ध्यान आकर्षित करना।

6631. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाकेश्वरी और रमना काली बाड़ी के प्राचीन मन्दिरों तथा ढाका के लगभग सभी अन्य मन्दिरों और संखाई बजार, टांटी बाजार और ढाका के बंगशाल क्षेत्रों की सभी मस्जिदों को पाकिस्तानी सेना ने गिरा दिया है;

(ख) क्या चिटागोंग क्षेत्र के सभी बौद्ध मन्दिरों और बंगला देश के बहुत से गिरजाघरों को पाकिस्तानी सेना ने मनमाने ढंग से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है;

(ग) क्या पाकिस्तानी सेना द्वारा मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, और बौद्ध मन्दिरों को अपवित्र करने और नष्ट करने के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(घ) क्या पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगला देश के सभी वर्गों की धार्मिक भावनाओं के प्रति

किए गये इस अधार्मिक कृत्यों की ओर संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन और संसार की अन्य मानवीय संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ड) बंगला देश में अव्यवस्थित स्थिति रहने के कारण पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अपवित्रीकरण तथा बर्बरतापूर्ण कार्यों के ब्यौरे का पता लगाना कठिन है। लेकिन इस बारे में पूर्ण एवं प्रमाणिक सूचना एकत्र करने का प्रयास हम कर रहे हैं और इसकी सूचना उपलब्ध होते ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

Demarcation of Indo-Pak Borders

6632. **Shri S.D. Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the length of Indo-Pak borders in Kilometres which has since been demarcated by pillars; and

(b) the description of the border area where demarcation work is yet to be completed and the length thereof in Kilometres ?

The Dy. Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) 4762.2 Kilometres.

(b) 2234.8 Kilometres.

A statement describing the sectors of the border where demarcation work is yet to be completed is laid on the Table of the House.

Statement

Statement Describing Sectors on India's Boundary with Pakistan where Demarcation by Pillars is yet to be Completed.

Jammu & Kashmir—West Pakistan Sector

The entire length of this border, comprising 1216 Kilometres remains to be demarcated.

2. Rajasthan-West Pakistan Sector

A length of 825 metres (approximately) near the Rajasthan-Gujarat-Sind trijunction remains to be demarcated.

3. Gujarat-West Pakistan Sector.

The boundary in the Sir Greek and from the top of the Sir Greek to the point which formed the Western Terminus of the Kuch Tribunal Award (about 35 km in length) remains to be demarcated.

4. West Bengal-East Bengal Sector

About 153 kilometres remain to be demarcated.

The details are as follows :—

i) Berubari	41.8 kms (approx)
ii) Hili	9.6 kms (approx)
iii) Mahananda-Borung-Karatoa Sector	45.0 kms (approx).

iv) 24 Parganas-Jessore-Khulna sector	51.5 kms (approx)
v) Chilahati Sector	4.8 kms (approx)

In addition to these, a length of 155-kilometres (approximately) of the boundry of 24-Parganas with Jessor-Khulna is a fluid boundary. Seasonal demarcation is carried out annually over a length of 124 kilometres.

5. Assam-East Bengal Sector

310 Kilometres of this boundary remain to be demarcated. It comprises about 1.6 Kilometres fin the vicinity of Umapati village, about 10 kilometres in the vicinity of Lathitilla-Dumabari villages and the Mizo Hills-Chittagong Hill Track Sector of the boundary.

6. Tripura-East Bengal Sector.

The following sectors remain to be demarcated by pillars:

Tripura and Comilla-Noakhali Sector	32 km.
Tripura and Sylhet Sector	237 km.
Tripura and Chittagong-Chittagong Hill Tracts Sector	251 km.

Indian Officers in Napal

6633. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the number of Indian Officers working in the development projects of Napal ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):

The following are the number of officers working in the development projects of Napal--

Class I	....	69
Class II	....	136
Class III	....	834
Class IV	....	1010
Total		2049

भारतीय जवानों को अच्छे किस्म की स्वचालित राइफलों की सप्लाई

6635. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय चीन की इंफैंट्री को दी गई स्वचालित राइफलें सामान्यतया भारतीय जवानों को सप्लाई की गई राइफलों से अच्छे किस्म की हैं;

(ख) यदि हां, तो चीन और भारत की राइफलों की प्रति सैकेंड फायरिंग क्षमता क्या है; और

(ग) यदि इनमें कोई अन्तर है तो उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : जबकि चीनी रायफल, भारतीय रायफल की अपेक्षा थोड़ी हल्की है, प्रति सैकेंड फायर करने की क्षमता में भारतीय रायफल कुछ बेहतर है ।

पाक सेना के द्वारा मीजो की भर्ती

6636. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के सैनिक प्रशासन ने पाकिस्तान में पहले ही पर्याप्त मीज़ो सेना की भर्ती कर ली है और उसे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के सामने भारतीय सीमा पर रंगपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर तैनात कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस समस्या और पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा बनाई जा रही युद्ध नीति का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) (क) से (ग) : सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान सरकार बंगला देश में प्रजातन्त्रिक आन्दोलन को दबाने के प्रयत्नों में कुछ मीजो लोगों को इस्तेमाल कर रही है । इन मीजो लोगों को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने की संभावनाओं से भी सरकार अवगत है । सुरक्षा सेना सतर्क है और उसने आवश्यक कदम उठाये हैं ।

संयुक्त राष्ट्र का विशेष अधिवेशन बुलाने का प्रस्ताव

6637. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय देशों ने बंगला देश के मामले को उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अधिवेशन बुलाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में तेल क्षेत्र का पता लगाया जाना

6638. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने तेल क्षेत्रों की खोज करने के लिए दार्लिजिंग, जलपाईगुड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया है, जहाँ कि पैट्रोलियम और अन्य तेलों का भंडार मिलने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस क्षेत्र में सर्वेक्षण किये गये थे।

(ख) परिणाम प्रोत्साहक नहीं रहे हैं।

पैरेफिन मोम की आवश्यकताओं और सप्लाई के बारे में सर्वेक्षण

6639. डा० रानेन सेन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस समय पैरेफिन मोम की कुल आवश्यकताओं और उसकी वास्तविक सप्लाई के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) उड़ीसा की कितनी आवश्यकता है और इसकी वर्तमान वास्तविक सप्लाई कितनी है; और

(ग) उस कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) से (घ)। जी हां, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने मोम की आन्तरिक मांग का 1980 तक का पूर्वानुमान लगाया है। इस पूर्वानुमान के अनुसार, 1971 में देश की मांग का अनुमान 40,560 मीटरी टन है। 1971 में कुल देशी उत्पादन का अनुमान 38,000 मीटरी टन है किन्तु दिगवोई क्षेत्रों में अशोधित तेल के अपर्याप्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुये उत्पादन में कमी हो जाने की संभावना है जिसके फलस्वरूप देशी मांग को पूरा करने में लगभग 4,000 मीटरी टनों की कमी हो जायेगी। उड़ीसा में 1970 के दौरान 90 मीटरी टनों की मांग और सप्लाई थी। सरकार ने मांग, कच्चे माल की उपलब्धि तथा मोम के अतिरिक्त उत्पादन की तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता के बारे में जांच की है। देश में और उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी सप्लाई करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई योजनायें

6640. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पीने का पानी सप्लाई करने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी योजनाएं शामिल की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं के कार्यान्वियन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) योजना अवधि के दौरान योजनाओं के अन्तर्गत कितने गांवों को शामिल किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) चौथे पंचवर्षीय आयोजन के दौरान 10,369 गांवों में नलों द्वारा पानी पहुँचाने तथा 35,669 गांवों में कुओं तथा हैन्ड-पम्पों जैसे साधारण तरीकों से पीने के पानी की व्यवस्था करने का विचार है।

विवरण

भारत सरकार (स्वास्थ्य मंत्रालय) ने देहातों तथा नगरों दोनों क्षेत्रों के लिए 1954-55 में 'राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम नामक एक योजना चालू की थी और वह तब से चल रही है। ग्राम जल पूर्ति कार्यक्रम में भारत की ग्रामीण जनता को नलों द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था करने की योजना है जिसके डिजाइन तथा क्रियान्वित में तकनीकी कुशलता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम (1967-68 से जिसका नाम कूप निर्माण कार्यक्रम रख दिया गया है) और पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन भी गाँवों में साधारण कुओं तथा हैंड-पम्पों की व्यवस्था करने की एक योजना चल रही है।

चौथे आयोजन में, "जल पूर्ति क्षेत्र" के लिए योजना आयोग द्वारा निश्चित किये गये (19-5-70 को) 407.29 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था में से 124·49 करोड़ रुपये ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिए आवंटित किये गये हैं। चौथे आयोजन के प्रथम दो वर्षों के दौरान अर्थात 1969-70 और 1970-71 में, राज्य सरकारें लगभग 45.00 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और 1971-72 वर्ष में ग्रामीण जल पूर्ति के लिए लगभग 29.00 करोड़ रुपये का परिव्यय (अस्थायी) निश्चित किया गया है।

नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई योजनायें

6641. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वाथ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय क्षेत्र में पीने का पानी सप्लाई करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी योजनायें शामिल की गई है;

(ख) योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वियन में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : चौथे आयोजन के राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ साथ नगर क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधायें देने की भी व्यवस्था की गई है। यह योजना अब राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत है और राज्य सरकारें स्वयं अपनी जलपूर्ति योजना बनाती हैं और उनके लिए धन का नियतन करती है तथा उनका कार्यान्वियन करती है। राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के नगर क्षेत्र में, लगभग 277 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिनमें नगर जलपूर्ति मल निष्कासन एवं नाली योजना भी सम्मिलित है। नगर जलपूर्ति योजनाओं के लिए अलग से धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चौथे आयोजन के प्रथम दो वर्षों के दौरान अर्थात 1969-70 और 1970-71 में, नगर क्षेत्र के अन्तर्गत क्रमशः 32.22 करोड़ रुपये तथा 41.56 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया। 1971-72 में 54.48 करोड़ रुपये का अस्थायी नियतन किया गया है।

Unemployed Dentists in Madhya Pradesh

6642. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of unemployed Densists in Madhya Pradesh at present;

(b) whether the state Government have sought any financial assistance to remove unemployment among the dentists; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) to (c) The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha,

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना

6643. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य के चुने हुए नगरों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना आरम्भ की जा रही है;

(ख) उन नगरों के नाम क्या हैं और चयन का आधार क्या है; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चौथी योजना अवधि में, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना चालू करने के लिए देश के जिन 6 शहरों को चुना गया है उनमें उत्तर प्रदेश के तीन शहर भी शामिल किए गए हैं ।

(ख) और (ग) यह योजना इलाहाबाद में 25-3-69 से और मेरठ में 19-7-71 से शुरू की गई हैं । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना को कानपुर में भी लागू करने का प्रस्ताव है। शहरों को चुनने में मानदण्ड तथा सम्भावित खर्चे के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

चुनाव करने का मानदण्ड

1. इसके विस्तार के औचित्य के लिये उस स्थान पर कम से कम 7,500 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी होने चाहिएं, और

2. इस योजना का विस्तार तथा इसके अन्तर्गत विस्तृत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किये जाने पर केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अधीन प्रदान की जा रही चिकित्सा सहायता की तुलना में इसका राजकोष पर कम भार पड़ेगा ।

शहर का नाम	कितने कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत लाए गए हैं		कितना खर्चा हुआ	
	1969-70	1970-71	1969-70 रु०	1970-71 रु०
इलाहाबाद	7,500	12,100	7,26,000	13,23 000
मेरठ	यहां इस योजना को 19-7-71 से लागू किया गया है।			

मनीपुर में नागा संघीय सेना द्वारा विशेष दस्तों का तैनात किया जाना

6644. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बलों की कार्यवाहियों का सामना करने के लिए मनीपुर के युद्ध विराम वाले माओ क्षेत्र में नागा संघीय सेना ने कथित विशेष दस्ते तैनात किये है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विद्रोही नागाओं ने जबरदस्ती धन तथा खाद्य सामाग्री एकत्र करके ग्रामीणों को भयभीत कर दिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजवन राम) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि माओ-मनीपुर के युद्ध विराम क्षेत्र में नागा विद्रोहियों द्वारा कोई विशेष टुकड़ी प्रयुक्त की गई है। तथापि हाल में उस क्षेत्र में नागा विद्रोहियों के साथ कुछ हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। माओ क्षेत्र के आतंकित ग्रामीणों से नागा विद्रोहियों द्वारा रुपये एवं खाद्य सामाग्री के बलपूर्वक एकत्रीकरण के समाचार भी सरकार को मिले हैं।

भारत में विदेश औषध-निर्माण कम्पनियां

6645. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध निर्माण उद्योग में रुपये वाली बीस कम्पनियां ऐसीं हैं जिनके अधिकांश शेयर विदेशों में निगमित निकायों के हैं;

(ख) क्या विदेशों में पंजीकृत ये कम्पनियां केवल भारत में व्यापार करती हैं और अपनी आस्तियों तथा कुल बिक्री से काफी लाभ कमा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश में औषध-निर्माण उद्योग के सम्बन्ध में कोई भावी योजना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भेषजिक उद्योग का विकास सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार नियमित किया जाता है जिसमें दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा कार्य किए जाने की अनुमति

है। इंडस्ट्रीज (डिवैल्पमैन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट के अन्तर्गत गठित की गई औषधियों एवं भेषजों की विकास परिषद द्वारा किये गये मूल्यांकनों के आधार पर प्रत्येक औषधि के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और विकास न लक्ष्यों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इस देश में कार्य कर रही फर्मों में विदेशी साम्य शेयरों में उत्तरोत्तर कमी करना और सरकारी क्षेत्र को उद्योगों में सब से ज्यादा हिस्सा संभाल लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी सरकार की नीति है। औषधियों के मूल्य और उनके माध्यम से औषध उद्योग के मुनाफे औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियन्त्रित किये जाते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को उचित मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध कराना है।

स्थल सेना उड्डयन कोर की आवश्यकता

6646. श्री राजदेव सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे सैनिक विशेषज्ञों ने एक स्थल सेना उड्डयन कोर बनाये जाने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या स्थल सेना उड्डयन कोर बनाये जाने से अन्तर्सेवा सहयोग और समन्वय पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो युद्ध नीति के सभी पहलुओं को देखते हुये उपर्युक्त प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग) : थल सेना की हवाई सहायता की आवश्यकताओं को भारतीय वायु सेना पूरी करता है। इस उद्देश्य से इन दोनों सेवाओं के बीच प्रभावकारी सहयोग एवं समन्वय के प्रबन्ध एवं सुनिश्चय के लिए व्यवस्था की गई है।

लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए औषधियों के कुछ फार्मूले का आरक्षण

6647. श्री राजदेव सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही औषधियों के कुछ फारमूलों को आरक्षित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्सांहन मिलेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : भेषज उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए औषधि सूत्रयोगों (फार-मूलेशन्स) की कुछ किस्मों के आरक्षण की सिफारिश की है। सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

विलिंग्डन अस्पताल नई दिल्ली की लापता महिला डाक्टर की तलाश

6648. श्री एम० एम० जोजेफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 के दूसरे सप्ताह से विलिंग्डन अस्पताल की जिस महिला डाक्टर के होस्टल से लापता हो जाने का समाचार था उनका कोई पता लगा है;

(ख) क्या मामले की कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) उपलब्ध सूचना से ऐसा जान पड़ता है कि इस महिला डाक्टर का अभी तक पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग): इस महिला डाक्टर के माता-पिता ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस अभी इस बारे में पूछताछ कर रही है।

पेंसिलिन के टीके का प्रभाव

6649. श्री टी० बालकृष्णैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1971 को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय मोतीनगर नई दिल्ली के एक रोगी को परीक्षण के तौर पर पेंसिलिन का टीका लगाने के बाद बेहोशी की अवस्था में विलिंग्डन अस्पताल पहुंचाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं क्योंकि रोगी को इस प्रकार के टीके पहले भी लगाये गये थे;

(ग) क्या उक्त औषधालय के स्टाक में पड़े सभी टीके सम्बन्धित व्यापारी को वापिस कर दिये गये थे;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त फर्मों के नाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चटटोपाध्याय) (क) पेंसिलिन इन्जेक्शन के टेस्ट डोज से थोड़ी प्रतिक्रिया हो जाने के पश्चात मोतीनगर औषधालय के एक रोगी को 30-6-71 को विलिंग्डन अस्पताल में दिखाने के लिए ले जाया गया। किन्तु वह बेहोश नहीं था।

(ख) यह सही है कि इस रोगी को मार्च, 1971 में स्ट्रेप्टो पेंनिसिलिन के ऐसे टीके पहले भी लगाये जा चुके थे। तथापि पेंनिसिलिन के टीके की अतिसंवेदन शील प्रतिक्रिया किसी भी समय हो सकती है इसमें पहली बार का टीका भी शामिल है।

(ग) जी नहीं। निर्माताओं द्वारा सप्लाई किये गये वैच कि विशेषकर यह अन्तिम शीशी थी। अतः उस वैच विशेष में से विक्रेता को वापिस करने के लिए कुछ बाकी न था।

(घ) मैसर्स इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकलस लिमिटेड ने उक्त टीके का निर्माण किया था। यह मामला उक्त निर्माता की जाँच पड़ताल के लिए भेज दिया गया है।

गैर सरकारी सगठनों को साउथ एवेन्यू और विठ्ठलभाई पटेल हाउस में फ्लेटों का आवंटन

6650. **श्री शिवपूजन शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें साउथ एवेन्यू और विठ्ठलभाई पटेल हाउस में सरकारी फ्लैट दिये गये हैं; और

(ख) क्या ये सभी संगठन पंजीकृत सोसायटियाँ हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) साउथ एवेन्यू में किसी गैर-सरकारी संगठन को सरकारी फ्लैट नहीं दिया गया है। तथापि, संसद की कुछ राजनैतिक पार्टियों को उनके संसदीय कार्यालय के कर्मचारियों के रिहायशी प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए विठ्ठलभाई पटेल हाउस में वास स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उस होस्टल में संसदीय कार्य अध्ययन संस्थान को भी वास स्थान दिया गया है।

(ख) मालूम नहीं।

रक्षा कर्मचारी वर्ग के वेतनमानों में वृद्धि

6651. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1948 से रक्षा कर्मचारी वर्ग सैकिंड लैफ्टिनेन्ट से लैफ्टिनेन्ट कर्नल और अन्य रैंकों के वेतनमानों में कितनी वृद्धि हुई; और

(ख) उनकी वेतन वृद्धि की प्रतिशतता क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) :

सेना अफसर

(जनरल सर्विस)

रैंक		वेतनमान		प्रतिशत वृद्धि
		1948 रुपये प्रतिमाह	**1971** रुपये प्रतिमाह	
2 लेफ्टि		350	400	14%
लेफ्टि	न्यूनतम	400	450	12½%
	अधिकतम	450	540	20%
कैप्टन	न्यूनतम	450	630	40%
	अधिकतम	700	990	41%
मेजर	न्यूनतम	700	840	20%
	अधिकतम	1050	1300	24%
लेफ्टि कर्नल	न्यूनतम	1100	1100	कुछ नहीं
	अधिकतम	1400	1500	7%

अफसर रेंक से नीचे सर्विस

(इन्फेंट्री)

ग्रानरेरी कैप्टन		500	570	14%
ग्रानरेरी लैफ्टि०		400	470	17½%
सूबेदार मेजर		250	297	19%
सूबेदार	न्यूनतम	130	173	33%
	अधिकतम	160	203	27%
नायक सूबेदार	न्यूनतम	90	130	44%
	अधिकतम	105	145	38%
हवलदार	न्यूनतम	45	75	67%
	ग्रधिकतम	55	85	55%
नायक	न्यूनतम	35	65	86%
	अधिकतम	45	75	67%
लाँस नायक	न्यूनतम	30	60	100%
	अधिकतम	40	70	75%
सिपाही	न्यूनतम	25	55	120%
	ग्रधिकतम	35	65	86%

टिप्पणियाँ :--

सेना में अफ्सर रैंक के नीचे के कार्मिकों को सेवा वेतन वृद्धियाँ तथा अच्छी सेवा के लिए वेतन निम्नलिखित दरों पर भी प्राप्त करने का हक था/है :—

	1948	1971
सेवा वृद्धियां	गैर कमीशन प्राप्त अफसरों को 2.50 रुपये प्रतिमाह की दर में तथा सिपाहियों को 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त; तथा अग्रेत्तर वृद्धि 2.50 रु० प्रतिमाह की दर से 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त।	गैर कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए 1 रुपया प्रतिमाह ऐसी 15 वृद्धियों तक तथा सिपाहियों के लिये 20 तक घोषित।
अच्छी सेवा वेतन	गैर कमीशन प्राप्त अफसरों के लिये 3 वर्ष के उपरात 2.50 रुपये प्रतिमाह की दर से बशर्ते कि ऐसी वृद्धियाँ नायकों को 2 तथा हवलदारों को 3 मिलेंगी :	गैर कमीशन प्राप्त अफसरों को 3 वर्ष की सेवा के उपरान्त 4 रुपये प्रतिमाह की दर से बशर्ते कि ऐसी वृद्धियाँ नायकों को 2 तथा हवलदारों को 3 मिलेंगी।

पंजाब के मेडिकल कालेज में स्थानों की संख्या कम करना

6652. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के दो मैडिकल कालेजों में दाखिले के लिए स्थानों की संख्या में कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) पंजाब सरकार द्वारा घटायी गयी सीटों को राज्य सरकार ने फिर से पूरा कर दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बालासौर जिले में घमरा में नौसेना अड्डा

6653. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासौर जिले में चाँदबली के निकट घमरा में नौसैनिक अड्डा बनाने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Ayurvedic College for Education in Dentistry

6654. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether there is no such Ayurvedic College in the country where higher education in Dentistry could be imparted; and

(b) if so, whether Government propose to set up a Dentistry Department in Gurukul Kangri ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Palnning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) There is no special course for higher education in dentistry in Ayurveda.

(b) The Government of India do not have under consideration any proposal to set up a dentistry department in Gurukul Kangri.

संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में बंगला देश के शरणार्थियों को वापस भेजने का प्रस्ताव

6655. **श्री पी० गंगा देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में शरणार्थियों को बंगला देश भेजने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश में राजनैतिक समाधान के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन के मध्य कथित संयुक्त करार।

6656. श्री पी० गंगा देव :

श्री के० माल्लन्ना :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में राजनीतिक समाधान के लिये एक भारत-ब्रिटेन संयुक्त करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने भारत को विरोध पत्र भेजा है जिसमें उसके आन्तरिक कार्यों में अत्यावश्यक हस्तक्षेप किये जाने का आरोप लगाया गया हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत के विदेश मंत्री तथा यूनाइटेड किंगडम के विदेश एवं राष्ट्रमंडल मंत्री की बैठक के बाद जारी किए गए सहमत वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि :—

"सर ऐलक डगलस-होम एवं श्री स्वर्ण सिंह इस बात पर सहमत थे कि कोई ऐसा राजनीतिक हल अवश्य ही निकाला जाय, जो पूर्व पाकिस्तान की जनता को स्वीकार्य हो।"

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डी०डी०टी० से फेफड़ों का कैंसर तथा अन्य बीमारियां होना

6657. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि डी०डी०टी० से, जिसका अस्पतालों और घरों में बहुतायत से उपयोग किया जाता है, फेफड़ों का कैंसर, कंठ कैंसर, आंत्रशोथ, वमन आदि रोग तथा अन्य बहुत से रोग हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा इसके हानिकारक तत्वों की जांच की गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस खतरनाक कीटनाशक औषधि से होने वाली हानि से मानव शरीर को बचाने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) कीड़े मकोड़ों अथवा इनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के नियंत्रण सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा अस्पतालों और घरों में जितनी मात्रा में डी०डी०टी० का उपयोग किया जाता है उससे लोगों में कैन्सर हुआ है इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे कार्यक्रमों तथा स्थानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों में जठरांत्र शोथ, जी मिचलाना, उल्टी आदि जैसे अन्य कुप्रभाव भी ना के बराबर होते हैं। परन्तु डी०डी०टी० बहुत दिनों तक टिकने वाली दवा है और देखा यह गया है कि यह मनुष्यों तथा अन्य ऊष्ण-रक्त जानवरों की वसा में एकत्र हो जाती है और इसके कुप्रभाव स्पष्टत: परिलक्षित नहीं होते।

(ख) और (ग) संसार में बहुत सी प्रयोगशालाएं यह अध्ययन कर रही हैं कि क्या डी०डी०टी० में कोई ऐसा हानिकर अंश है जो मनुष्यों में रोग पैदा कर सकता है। डी०डी०टी० से अभी तक कोई विशेषशक्तिशाली अंश पृथक नहीं किया गया है मनुष्यों पर डी०डी०टी० के दूरगामी प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जिनमें कैंसर की सम्भावना भी सम्मिलित है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से हाल ही में एक परियोजना चालू की है। इस यूनिट ने हाल ही में अहमदाबाद में कार्य आरम्भ किया है, परन्तु अभी तक उसके अध्ययन तथा स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त जन समूह का चयन करके केवल प्रारम्भिक कार्य ही किया है। इसमें जो कार्य करने हैं वे इस प्रकार है :—

i) डी०डी०टी० छिड़कने वाले जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से डी० डी० टी० के प्रभाव में रह रहे हों उन व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करना। इस जांच कार्य में शारीरिक परीक्षण के अतिरिक्त उनके रक्त के जीव रासायनिक टैस्ट भी सम्मिलित होंगे।

ii) छिड़काव काल के तुरंत पहले तथा तुरन्त पश्चात छिड़काव करने वाले उन बहुत से व्यक्तियों का अध्ययन जो अभी तक डी०डी०टी० के प्रभावाधीन नहीं हों।

iii) छिड़काव करने वाले कुछ खास खास व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों में रोग की सम्भावना देखने के लिए 5 वर्षीय अध्ययन। इस अध्ययन के पूरा हो जाने पर आशा है कि इससे बड़ी मूल्यवान, सुव्यक्त तथा वैज्ञानिक सूचना प्राप्त होगी जो यदि आवश्यक समझा गया, तो किसी प्रकार की हानि को रोकने के लिए समुचित कदम उठाने में लाभदायक होगी।

Training of Ambassabors

6658 Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) Whether Government propose to set up any training centre for imparting training to Ambassadors; and

(b) if so the nature thereof ?

The Dy. Minister in the Minisitry of External Affairs (Shri Surendra pal Singh) : (a) Government have no such proposal under consideration. However, Ambassadors are periodically called for consultation and Conferences where they are duly briefed.

(b) Does not raise.

Demand for More Funds Form Centre by State Governments for Providing Facilities in Hospitals

6659. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) Whether various state Governments have been demanding more funds from the Central Government for providing facilities in their hospitals similar to those being provided in the Hospitals in the Union Territory of Delhi; and

(b) if so, the action taken by Government.

The Ministter of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) Government are not aware of any demand from State Governments for more funds for their hospitals for providing facilitis similar to those being provided to hospitals in the Union Territory of Delhi.

Moreover medical care is in the State Sector and Central assistance for State Sector Schemes is released as block loans and grants and not for individual Schemes.

Setting up air Base at Champaran

6660. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Defence** be pleased to State :

(a) Whether Government propose to set up an air base at Champaran in North Bihar from the security point of view; and

(b) if so, by what time and the location thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Suitability of old Bungalows of Members of Parliament

6661. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state ;

(a) Wheter the old bungalow allotted to Members of Parliament are unsuitable for them from the Indian point of view; and

(b) if so whether Government propose to moke alterations in them to suit the Indian way of living ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I- K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

6662. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी का प्रबन्ध जापान हंगरी की ओर से कर दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कारखाने की लागत में मध्य प्रदेश सरकार की पूंजी भी लगेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) कोरवा प्रयोजन की प्रविस्था विभाजन का अभी निर्णय लेना है प्रयोजन प्रविस्था विभाजन के निर्णय लेने के पश्चात ही, तकनीकी जानकारी को प्राप्त करने का प्रश्न उठेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रूफ रीडरों के मामले का प्रस्तुत किया जाना

6663. श्री आर० वी० बड़े : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्मेंट आफ इण्डिया प्रैसों के प्रूफ रीडरों के मामले को तीसरे वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जैसे कि याचिका समिति द्वारा अपने सातवें प्रतिवेदन में, जिसे 30 अप्रैल, 1970 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, सिफारिश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो वेतन आयोग को यह मामला कब सौंपा गया था ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 7 अक्टूबर 1970 को ।

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेसों में पदों के बारे में वर्गीकरण समिति की सिफारिशें

6664. श्री आर० वी० बड़े : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेसों की "रीडिंग ब्रांच" के लिये वर्गीकरण समिति सिफारिशों के आधार पर "रीडर-इन-चार्ज" के तीन पदों तथा "कापी एडिटर" के एक पद की मंजूरी दी थी;

(ख) क्या अब तक ये पद नहीं भरे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और ये पद कब तक भरे जाएंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां । पदों को भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली में जनवरी, 1970 में बनाया गया था ।

(ख) तथा (ग) प्रशासनिक कारणों से पदों को अभी तक भरा नहीं गया है, परन्तु (उनके) शीघ्र ही भरे जाने की आशा है ।

मनीपुर में स्कूल के भवन का निर्माण

6665. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग को मनीपुर में भवन रहित स्कूलों की सूची प्राप्त हुई है जिसमें प्राथमिकता क्रम स्पष्ट रूप में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जिलेदार इन स्कूलों की संख्या कितनी है तथा भविष्य में इमारते बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग के "स्टोर्स एण्ड वर्कशाप डिवीजन"

6666. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार मनीपुर लोक निर्माण विभाग में "स्टोर्स एण्ड वर्कशाप डिवीजन" को अत्यधिक तकनीकी स्वरूप वाला होने के कारण विशेष रूप देने के प्रश्न की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब निर्णय किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) मनीपुर लोक निर्माण विभाग का "स्टोर एण्ड वर्कशाप डिवीजन" एक अर्हताप्राप्त यांत्रिकी इंजीनियर के अधीन पहले ही एक विशिष्ट डिवीजन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर लोक निर्माण विभाग के "स्टोर्स एण्ड वर्कशाप डिवीजन" में हुई अनियमिततायें

6667. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गत कुछ वर्षों में "स्टोर्स तथा" मनीपुर के लोक निर्माण विभाग के वर्कशाप में गम्भीर अनियमिततायें घटित हुई हैं; और

(ख) क्या इन अनियमितताओं की उचित ढंग से जांच कर ली गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) इन अनियमितताओं की जांच की जा रही है।

Construction of Siddhartha Raj Marg on U. P. Nepal Border

6668. Shri Nageshwar Dwivedi : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether some Siddhartha Raj Marg' is proposed to be constructed to connect the western border of Uttar Pradesh with Kathmandu (Nepal); and

(b) if so, the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) The road connecting Sonauli on Indo-Nepal border (District Gorakhpur, Uttar Pradesh) with Pokhara in Nepal is named as Siddhartha Raj Marg. The project is nearing completion and is estimated to cost about Rs. 15 crores.

रक्त की बीमारियों के इलाज के लिए रुधिर विज्ञान के उच्चस्तरीय केन्द्र

6669. श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त की जटिल बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के इलाज के लिये रुधिर विज्ञान का कोई उच्चस्तरीय केन्द्र है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस केन्द्र में उपयुक्त उपकरणों की व्यवस्था है (एक) क्या इस केन्द्र, में देश के दूरस्थ और बाहरी क्षेत्रों से भेजे गये रोगियों का इलाज किया जाता है; और (दो) क्या यहां देश के डाक्टरों को आवश्यक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) सफदरजंग अस्पताल का रुधिर विज्ञान और न्यूक्लिअर चिकित्सा विभाग जटिल रक्त रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए रुधिर विज्ञान के समुन्नत केन्द्रों में से एक केन्द्र है ।

(ख) रक्त विकार के रोगियों के विस्तारपूर्वक उपचार के लिए इस विभाग में नेदानिक, प्रयोगशाला और न्यूक्लिअर रुधिर चिकित्सा की अच्छी सुविधायें उपलब्ध हैं । इसमें आधुनिक और अच्छी किस्म के यंत्र और औजार आदि हैं जिनमें रेडियो एक्टिव आकूसोटापों से निदान और उपचार के लिए इलैक्ट्रानीय औजार सम्मिलित हैं ।

यह विभाग इस समय केवल सफदरजंग अस्पताल में नियुक्त डाक्टरों को रुधिर विज्ञान का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दे रहा है ।

दूसरे विशिष्ट रुधिर विज्ञान केन्द्र स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता, के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई और क्रिश्चियन मेडिकल कालेज वेल्लोर में हैं ।

भारतीय तेल निगम द्वारा अनुसन्धान प्रयोगशाला की स्थापना

6670. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को लुवरिकेटिंग आयल के सम्बन्ध में अपनी अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने की अनुमति दी गई है,

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी ।

(ग) क्या भारतीय पैट्रोलियम संस्था, देहरादून द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान कार्य कम खर्च पर किया जा सकता है; और

(घ) यदि हाँ, तो भारतीय तेल निगम और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आवश्यक रूप से दोहरा कार्य किये जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) भारतीय तेल निगम द्वारा अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव से संबंधित समस्त पहलुओं पर भारतीय पेट्रोलियम संधान, देहरादून तथा भारतीय तेल निगम के प्रस्तावित अनुसंधान केन्द्र के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के क्षेत्रों सहित विचार किया जा रहा है तथा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आयातित रुस्तम अशोधित तेल का मूल्य

6671 **श्री मुख्तार सिंह मलिक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन तेल शोधक कारखाने केलिये गत तीन वर्षों में, वर्षवार ईरान से रुस्तम अशोधित तेल का किस मूल्य पर आयात किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : रूस्तम अशोधित तेल के मूल्यों को बताना हाइड्रोकार्बन्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के व्यापारिक हित में नहीं हैं। भारत में रूस्तम अशोधित तेल के केवल दो पोतभार (कारगो) आयात किये गये थे। इस का मूल्य अन्य अशोधित तेल मूल्य के समान था।

संयुक्त उद्यम के अन्तर्गत ईरान द्वारा भारत में अमोनिया कारखाने की स्थापना

6672. **श्री मुख्यार सिंह मलिक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेहरान के एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल ने हाल में भारत का दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अमोनिया के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम आरम्भ करने के बारे में भारत सरकार से बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हाउसिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड का केन्द्रीय सरकार से ऋण के लिये अनुरोध

6673. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हिमायतनगर स्थित हाउसिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक अपना मुख्यालय दिल्ली में ले आये हैं और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से 2 करोड़ रुपये का ऋण देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) निर्माण और आवास मंत्रालय को यह मालूम नहीं है, कि क्या हाउसिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया (प्राईवेट) लिमिटेड के प्रबंधक-निदेशक ने अपने मुख्यालय को दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया है, या नहीं। उन्होंने निम्न और मध्यम आय वर्गों के लिए मकानों के निर्माण के लिए आवास और नगर विकास निगम से वित्तीय सहायता लेने के लिये इस मंत्रालय से अनुरोध किया था। आवास और नगर विकास निगम केवल सां-विधिक निगमों आदि को वित्तीय सहायता देने के लिये विचार कर सकता है। इस प्रकार, फर्म के अनुरोध को आवास और नगर विकास निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जरनल याहया खां और प्रधान मंत्री के बीच बातचीत

6675. श्री सुरेन्द्र महन्ती :
श्री पी० गंगा रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल याहया खां ने प्रधान मंत्री के साथ बंगला देश के मामले पर बातचीत करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने ये खबरें देखी हैं कि जरनल याहया खां प्रधान मंत्री से मिलने को तैयार हैं।

(ख) बंगला देश की समस्या पाकिस्तानी सैनिक शासकों द्वारा पूर्व बंगाल की जनता की की वैद्य आकांक्षाओं को मान्यता देने से इंकार करना तथा उनकी आकांक्षाओं को पाशविक शक्ति द्वारा दबाने के प्रयत्न का प्रश्न है। अत: यह पाकिस्तानी सैनिक शासकों तथा पूर्व बंगाल की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच का मामला है। बंगला देश के प्रश्न पर भारत-पाकिस्तान वार्ता का कोई भी सुझाव बिल्कुल असंगत है और साफ तौर पर इसे भारत-पाकिस्तान संघर्ष का रूप देने का प्रयास है, जो सच नहीं है।

दुर्गम क्षेत्र भत्ते के बारे में उधमपुर के एम० ई० एस० कर्मचारियों से अभ्यावेदन।

6676. श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ऊधमपुर (जम्मू और काश्मीर राज्य) में एम० ई० एस० कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि उक्त स्थान पर जीवननिर्वाह की लागत अत्याधिक होने के कारण उन्हें "दुर्गम स्थान भत्ता" दिया जाये;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को संहिता में उल्लिखित फील्ड सर्विस रियायत को समाप्त करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि ऊधमपुर के सभी प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि मुआवजे के तौर पर उनको कुछ भत्ता दिया जायेगा; और

(ग) कर्मचारियों की मांगे किस प्रकार पूरी करने का सरकार का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ऊधमपुर में स्थित एम०ई०एस० कर्मचारियों से इस आशय का कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है; तथापि एम० ई० एस० वर्कर्स यूनियन (क्षेत्रीय समिति) अम्बाला जो ऊधमपुर में स्थित एम०ई०एस० कर्मचारियों की कठिनाइयों को प्रतिदर्शित करती है, ने 8/12 अक्तूबर 1969 को एक वार्षिक सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया था कि ऊधमपुर में स्थित एम०ई०एस० सिविलियन कर्मचारियों को "दुर्गम स्थान भत्ता" की अदायगी की मांग फील्ड सर्विस रियायतों को 1 मार्च 1968 से वापस लिए जाने के फलस्वरूप की गई थी। इस प्रस्ताव की एक प्रति यूनियन के द्वारा कार्यवाही हेतु इस मंत्रालय को तथा सेना मुख्यालय को भेजी गई थी।

(ख) ऐसा कोई आश्वासन नहीं था।

(ग) फील्ड सर्विस रियायतों को वापस लेने के फलस्वरूप कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम पहले ही उठाए गए थे जो कि समुचित समझे गए थे :—

(i) 1-7-68 से एक वर्ष के लिए आधा मुफ्त राशन तथा 1-7-69 से चौथाई मुफ्त राशन एक वर्ष तक के लिए दिया जाना।

(ii) कुछ शर्तों पर जो टेंट वास में थे उनको किराये से छूट।

अतः यह मांगे मान्य नहीं हैं।

भ्रष्टाचार, गबन और अधिकारों के दुरुपयोग के लिये अम्बाला के कैंटोनमेंट बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कथित आरोप

6677. श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों और अम्बाला के कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने कैंटोनमेंट बोर्ड, अम्बाला के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन, शक्ति के दुरुपयोग से कैंटोनमेंट को वित्तीय हानि पहुंचाने आदि के गम्भीर आरोप लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की कोई जांच की गई है जिससे इन आरोपों के ठीक होने का अथवा गलत होने का पता लगाया जा सके; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन सी अन्य कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) पश्चिमी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ ने मामले की जांच की थी। आरोपों में से एक मामला स्पेशल पुलिस एस्टैबलिश्मेंट की जांच के लिए सुपुर्द किया गया है।

पीवाई, बम्बई में नेवल हाउसिंग कालोनी में सेंट्रल स्कूल की स्थापना

6678. श्री राजा कुलकर्णी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेवल हाउसिंग

कालोनी पीवाई, बम्बई में सेन्ट्रल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारियों और नौसेना मुख्यालय बम्बई की सिफारिश को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : इन्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टैक्नालाजी, पवाई में एक केन्द्रीय स्कूल पहले से ही स्थित है। पवाई हाउसिंग कालोनी में अतिरिक्त प्रारम्भिक कक्षाओं को, जो कि इन्डियन इन्स्टीच्यूट आफ टैक्नोलाजी, पवाई, स्थित केन्द्रीय स्कूल के भाग के रूप में होंगी, खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली में अध्यापकों के लिये सरकारी आवास का आवंटन

6679. श्री अमरनाथ चावला : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कितने अध्यापक कार्य कर रहें है;

(ख) उनमें से कितनों को सरकारी आवास दिया गया है;

(ग) दिल्ली में कितने प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया गया है तथा सरकारी आवास प्राप्त अध्यापकों की प्रतिशतता की तुलना में यह प्रतिशतता कितनी न्यूनाधिक है; और

(घ) क्या सभी अध्यापकों को उनके शैक्षणिक संस्थाओं के निकट ही आवास देने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां. तो उनको सरकारी आवास दिये जाने में सम्भवतः कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत पात्र-जोनों में स्थित सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों सहित पात्र सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न टाइप के लिए हर महीने बनाई गई सम्बधित प्रतीक्षा सूची में उनकी स्थिति को देखते हुए सामान्यमूल वास का आवंटन किया जाता है। दिल्ली के विभिन्न सरकारी स्कूलों में काम कर रहे कुल अध्यापकों की संख्या के सांख्यकीय आंकड़े सम्पदा निदेशालय में उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि आवेदन सीमित आधार पर, अर्थात किसी आवंटन-वर्ष विशेष में आवंटन हो सकने वाली अग्रता की तिथियों तक, मांगे जाते हैं।

(ख) फिलहाल सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 344 अध्यापक विभिन्न टाइप के सामान्य पूल वास के दखल में हैं।

(ग) क्योंकि पात्र-जोनों में स्थित स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है अतः सरकारी वास का दखल ले चुके अध्यापकों की प्रतिशतता की गणना नहीं की जा सकती।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों को सरकारी आवासका आवंटन

6680. श्री अमरनाथ चावला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी नर्सों को सरकारी आवास दे दिया गया है;

(ग) सरकार का विचार शेष नर्सों को सरकारी आवास, जो उनके काम करने के स्थान के निकट भी हों, कब देने का है; और

(घ) क्या नर्सों को सरकारी आवास के आवंटन के लिये कोई अलग कोटा निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) सरकारी अस्पतालों/और उन अस्पतालों जिनका खर्च सरकार चलाती है, उनके बारे में आवश्यक सूचना का एक विवरण सलंग्न है ।

(ग) जब कभी साधन सुलभ होंगे, नर्सों के लिए और होस्टल बनाये जायेंगे ।

(घ) जी नहीं ।

विवरण

क्र०सं०	अस्पताल का नाम	दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रही नर्सों की कुल संख्या ।	उन नर्सों की संख्या जिन्हें सरकारी आवास दिया गया है ।
1	2	3	4
1.	लेडी हार्डिन्ग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नई दिल्ली तथा कलावती सरन बाल अस्पताल नई दिल्ली ।	264	175
2.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ।	427	38 विवाहित नर्सों के लिये आवास । 258 होस्टल आवास ।
3.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ।	357	15 विवाहित नर्सों के लिए आवास 260 होस्टल आवास ।
4.	इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली ।	453 (260 छात्र नर्सों सहित)	310 (260 छात्र नर्सों सहित) ।

5. गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।	98	61
6. हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली।	140	94
7. विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली।	230	17 (विवाहित नर्सों के लिए आवास) 200 होस्टल आवास।
8. नई दिल्ली नगर पालिका	10	8

दिल्ली में मकानों के लिए स्थाई पट्टा

6681. श्री अमर नाथ चावला : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बहुत से मकान अस्थायी पट्टे पर हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनसे प्रीमियम की कुछ उचित राशि वसूल करके उनको स्थायी पट्टा देने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ। 1271

(ख) और (ग) जी, हां। अब यह निर्णय किया गया है कि जब कभी ज़ोनल प्लानों को अन्तिम रूप दिया जाय तथा अनुमोदित किया जाए, तो निर्धारित भूमि-उपयोग के अनुसार तथा परीमियम आदि के बारे में, कतिपय शर्तों पर लम्बी- अवधि के पट्टे देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।

Employees of C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries

6682. Shri Sat Pal Kapur : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the employees in the C. G. H. S. Ayurvedic dispensaries are temporary; and

(b) if so, whether there is any proposal to declare them permanent ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) Some of them are temporary.

(b) Cases of eligible persons will be processed for confirmation.

Pay Scales of Employees of C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries

6683. Shri Sat Pal Kapur : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the pay scales of the employees working in C. G. H. S. Ayurvedic Dispen-

saries stores are at par with those of their counterparts in allopathic and homoeopathic dispensaries; and

(b) if not, whether there is any scheme to grant any allowance to them and if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D.P. Chattopadhyaya) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

Working of C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries in Delhi

6684. Shri Sat Pal Kapur : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries in Delhi and New Delhi at present together with dates on which each one of them was set up;

(b) the dates on which scales were provided in the stores of these dispensaries for weighing unpacked medicines;

(c) the number of cases in which medicines were found short of their quantity prior to the provision of scales there and the action taken thereon; and

(d) the rule under which such action was taken in the absence of scales there ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) At present there are five C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries in Delhi and New Delhi which were opened in the following areas on the dates given against each :—

1. Gole Market.	1-4-1963
2. Kidwai Nagar.	8-3-1966
3. R. K. Puram.	14-2-1969
4. North Avenue.	31-3-1969
5. Dev Nagar.	2-6-1969

(b) Weighing scales were provided to these dispensaries on the dates given against each :—

Name of the dispensaries	Quantity of scales supplied.	Date on which supplied.
1. Gole Market.	One	16-2-1963
	Two	6-7-1964
	One	6-9-1969
2. Kidwai Nagar.	One	11-3-1966
3. R. K. Puram.	Three	13-2-1969
		17-10-1970
		4-11-1970
4. North Avenue.	One	11-6-1969
5. Dev Nagar.	One	30-5-1969

(c) Nil.

(d) Does Not arise.

Provision of Housing and other Facilities to Employees of C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries

6685. Shri Sat Pal Kapur : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the employees of the C. G. H. S. Ayervedic dispensaries in the Country

are provided with the same housing and other facilities as are provided to the employees of Allopathic Dispensaries; and

(b) if not, the reasons thereof?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya): (a) The facilities provided to employees of the C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries in the country are at par with the facilities given to those of Allopathic Dispensaries except that they are not considered for allotment of accommodation from the C. G. H. S. Pool. They are however eligible for general pool accommodation.

(b) As Vaids and members of the staff working in the C. G. H. S. Ayurvedic Dispensaries are not required to attend duty in the Dispensaries during night and holidays, they are not considered for allotment of accommodation from the C. G. H. S. Pool.

चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में तेलशोधक कारखानों की स्थापना

6686. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :
श्री एम० एम० हाशिम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का विचार है,

(ख) तेल शोधक कारखानों की प्रस्तावित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या उपर्युक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायगी जो दीर्घ-काल से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं,

(घ) स्थानों के चयन कसौटी क्या है और क्या इस बारे में अन्तिम चयन की व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल की हल्दिया परिष्करणशाला, जिसका इस समय भारतीय तेल निगम द्वारा निर्माण किया जा रहा है, के अतिरिक्त असम में बोंगे गांव नामक स्थान पर एक परिष्करणशाला और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में एक और परिष्करणशाला स्थापित किये जाने के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) हल्दिया परिष्करणशाला की क्षमता प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन होगी जबकि बोंगेगांव तथा उत्तर पश्चिम की प्रस्तावित परिष्करणशालाओं को क्षमता क्रमशः प्रतिवर्ष एक मिलियन मीटरी टन तथा 5 से 6 मिलियन मीटरी टन होगी ।

(ग) और (घ) प्रस्तावित परिष्करणशालाओं के स्थान एवं स्थलों का चयन तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करेगा ।

कटरा बल्लामल वार्ड नं० 6 दिल्ली का सुधार

6687. श्री अमरनाथ चावला : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 14 अप्रैल 1958 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2389, 12 अगस्त 1958 के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 और 12 दिसम्बर, 1958 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1463 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी कटरा बल्लामल वार्ड नं० 6, दिल्ली में कोई सुधार नहीं किया गया है;

(ख) क्या वहां परिस्थिति प्रतिदिन खराब होती जा रही है और वह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं रह गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या गन्दी बस्ती सफाई अधिनियम के अधीन इस कटरे को अर्जित करने का विचार है या उस स्थान पर नये रिहायशी मकान बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) जलयुक्त शौचालयों की व्यवस्था, आंगनों में ईंटों के फर्श, नालियों की व्यवस्था, छज्जे के स्थान पर बरामदा बनाना तथा निचली मंजिल की छतों को सुदृढ़ बनाने जैसे कतिपय सुधार मालिकों द्वारा कर दिये गये हैं। वास्तव में बिजली की रोशनी सभी भागों में मौजूद है ।

(ग) इस कटरे के अर्जन अथवा इस स्थान पर नये रिहायशी वास बनाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिये वैकल्पिक आवास की व्यवस्था

6688. श्री अमर नाथ चावला : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर झुग्गी निवासियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) किस क्षेत्र में झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या अधिकतम है;

(ग) झुग्गी निवासियों को उनकी झुग्गियों के स्थान पर या उसके निकट बहु-मंजिलें वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(घ) सभी झुग्गियों के लिये वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कब तक करने का विचार है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) लगभग 100,000 ।

(ख) (I) गंदारनाला के पुल से पश्चिमी यमुना नहर तक सढोरा खुर्द ।

(II) दिल्ली परिवहन के डिपो के पीछे का आनन्द पर्वत क्षेत्र ।

(ग) से (ङ) झुग्गी निवासियों को उनकी झुग्गीयों के अथवा निवास स्थानों पर बहु-

मंजिले मकानों में पुनः बसाने के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक पाईलाट परियोजना तैयार करने के लिए कहा गया है, बशर्ते कि अनुमोदित भूमि-उपयोग में ऐसे पुनर्वास की अनुमति है। क्योंकि परियोजना अभी निर्माणात्मक तथा आरम्भिक अवस्था में है, योजना की विशेषताएं बताना अथवा उसके कार्यान्वियन पर, लगने वाला समय बताना असामयिक है।

Katholi Water Supply Scheme in Himachal Pradesh.

6689. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the time by which the Katholi Water Supply Scheme being formulated in Himachal Pradesh with foreign assistance will be completed; and

(b) the expenditure incurred by Government on the scheme so far ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) The required information is awaited from the Government of Himachal Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

रोह्डेशिया में अफ्रीकी बहुमत वाला शासन

6690. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्य की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि रोह्डेशिया में शासन की बागडोर बहुमत प्राप्त अफ्रीकियों को हस्तांतरित किये जाने के बाद ही इस समस्या का उचित समाधान हो सकता है; और

(ख) राष्ट्र मंडल का सदस्य होने के कारण रोह्डेशिया में बहुमत वाले अफ्रीकियों को शासन की बागडोर सौंपने की दिशा में बेरोकटोक प्रगति जारी रखने हेतु भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटिश विदेश मंत्री ने 12 जुलाई, 1971 को हाउस आफ कामन्स में कहा था कि रोडेशिया में जो भी समझौता हो वह अनिवार्यतः पाँच सिद्धान्तों की रूपरेखा के अन्तर्गत ही होगा। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इसमें से एक यह है कि बहुमत के शासन की बेरोकटोक प्रगति के सिद्धान्त को कायम रखना होगा और उसकी गारंटी देनी होगी। भारत सरकार के विचार में, प्रशासनिक शक्ति के नाते रोडेशिया में बहुमत का शासन सुनिश्चित करने की अन्ततः जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम की ही है और वहां के गैर-कानूनी शासन को हटाने के लिए उसे बल प्रयोग सहित सभी प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस विचार से यूनाइटेड किंगडम की सरकार को सीधे ही तथा जनवरी, 1971 में सिंगापुर में हुए राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन में तथा अन्य मंचों पर, अवगत करा दिया गया है। आवश्यक समझे जाने पर और राष्ट्रमंडल के दस अन्य सदस्यों के परामर्श से इस दिशा में और कदम उठाए जाएंगे।

पंजाब सरकार द्वारा सीरा खरीदने में अनियमिततायें

6691. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने देहाती शराब बनाने में काम आने वाला सीरा बहुत बड़ी मात्रा में 175 रुपये प्रति क्विटल की दर से खरीदा था और 40 और 60 पैसे प्रति क्विटल की नियंत्रित दर से डिस्टिलरियों को बेच दिया था।

(ख) क्या सौदे के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 2.61 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ग) क्या सीरा खरीदने के लिए टेण्डर मंगवाये गये थे और क्या सीरा सप्लाई करने के लिये जनसम्पर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापन देने में बहुत सी अनियमिति की गई थी;

(घ) क्या इस फर्म ने जिसको सप्लाई क्रियादेश दिये गये थे निर्धारित समय के भीतर पूरा माल सप्लाई कर दिया था; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार का विचार इस सौदे की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने का है :

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1968-69 में उन्होंने प्राइवेट पार्टियों से 175 रुपये प्रतिक्विटल की दर से 1,45,341.75 क्विटल सीरा तथा 160 रुपये प्रतिक्विटल की दर से 42,880.16 क्विटल सीरा खरीदा। वह सीरा, राज्य में आसवनियों को 67 पैसा प्रतिक्विटल की नियन्त्रित दर से सप्लाई किया गया था।

(ख) पंजाब सरकार ने बताया है कि समग्र रूप में कोई हानि नहीं हुई। सरकार लाइ-सेन्स प्राप्तकर्ताओं को देशीय पाइप की 12 मिलियन प्रूफ लिटर की सप्लाई करने के लिए वचन बद्ध थी। क्योंकि सरकार के पास इस मद्य की इस मात्रा के उत्पादन के लिए पर्याप्त सीरा नहीं था, इसलिए उन्हें प्राइवेट पार्टियों का आग्रह लेना पड़ा।

(ग) सीरे की पहली खरीद बात-चीत करके की गयी थी और इसके पश्चात टैण्डर आमन्त्रित करके शेष सीरा खरीदा गया था। व्यापक प्रचार के लिए टैण्डर नोटिस, चण्डीगढ़ के दी ट्रीब्यून और दिल्ली के दी हिन्दुस्तान टाइम्ज (दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों) में प्रकाशित किये गये थे।

(घ) 1,93,000 क्विटल सीरे की ठेके पर तय हुई सप्लाई की तुलना में कुल 1,88,221,92 क्विटल की सप्लाई की गई। यही सप्लाई निर्धारित समय के अन्तर्गत की गई। फर्मों को कम सप्लाई के लिये 62,559.50 रुपये दण्ड के रूप में अदा करने पड़े।

(ङ) पंजाब सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं समझा है।

सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति नई दिल्ली की रिहायशी बस्ती में पीने के पानी की सप्लाई

6692. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति, नई दिल्ली की रिहाइशी बस्ती में नगरपालिका द्वारा पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या इस वस्ती के निवासियों को साफ किया हुआ पानी सप्लाई किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली नगर निगम के जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने सूचित किया है कि :—

(1) इस क्षेत्र के निकट फिलहाल साफ पानी उपलब्ध नहीं है; और

(2) इस कालोनी के सर्विस-प्लान की स्वीकृति कालोनाइजर को खास तौर पर यह बताकर की गई थी कि;

(i) वह पर्याप्त पानी वाले गहरे नलकूप लगाकर 41,000 गैलन पानी की क्षमता वाले 50 फुट ऊंचे एक ओवर हैड टैंक की व्यवस्था करेगा; और

(ii) इस कोलोनी के निकट साफ पानी की सप्लाई के लिए कोई म्युनिसिपल मुख्य नाली नहीं थी, अत: कालोनाइजरों को अपने खर्चे पर इसे बिछाने के बाद वितरण-नलों को म्युनिसिपल मुख्य नाली के साथ जोड़ना होगा।

(ग) कैलाश जलाशय योजना के अधीन साफ पानी देने की व्यवस्था की जा रही है। इस कालोनी को मालवीय नगर ओवरहैड टैंक से जिसके दिसम्बर 1972 तक चालू हो जाने की आशा है, साफ पानी दिया जाना है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to A matter of urgent Public Importance

कुर्जी (पटना) के सामने गंगा नदी में पूर्वोत्तर रेलवे की स्टीमर सेवा हाल में अव्यवस्थित हो जाने का समाचार

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह (छपरा) : श्रीमान्, मैं रेल मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"कुर्जी (पटना) के सामने गंगा नदी में पूर्वोत्तर रेलवे की स्टीमर सेवा हाल में अव्यवस्थित हो जाने के समाचार है जिसके कारण हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।"

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : 27-7-71 को महेन्द्रू घाट से पहलेजाघाट जाने वाला 487 अप स्टीमर यमुना कुर्जी के सामने लगभग 18.30 बजे पहुंचा। उस समय उसके बांयलर फीट पम्प में कुछ मामूली खराबी आ गयी थी और बॉयलर में भाप का पर्याप्त दबाव पैदा करने के लिए वहीं पर लंगर डाल दिया गया। पम्प को थोड़े ही समय में ठीक कर लिया गया, लेकिन लंगर को बाहर न निकाला जा सका, क्योंकि नदी में कुछ अवरोध के कारण वह फंस गया था। महेन्द्रू घाट की तट-स्थापना से सहायता करने को कहा गया और महेन्द्रू घाट के सहायक यान्त्रिक इन्जीनियर

(समुद्री) एक डीजल टग में बैठकर तुरन्त रवाना हो गये। लगभग 7 घण्टे तक प्रयास करने के बावजूद, लंगर नहीं निकाला जा सका और अन्ततोगत्वा जंजीर को ही नदी में डाल देना पड़ा। लंगर और जंजीर को छोड़ देने के बाद ही स्टीमर आगे चल सका। स्टीमर 02.45 बजे पहलेजा घाट पहुंचा। उस रात नदी की हालत बड़ी भयानक थी; नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी।

लगभग मध्य रात्रि में, महेन्द्रू घाट से भोजन और पीने का पानी भेजने की व्यवस्था की गयी, लेकिन स्टीमर के यात्रियों तक ये चीजें नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उस भयानक हालत में नदी को पार करने के लिये कोई उपयुक्त जलयान उपलब्ध नहीं था।

'स्टीमर यमुना' की सामान्य क्षमता लगभग 1500 यात्रियों की है। यद्यपि यह पता लगाना संभव नहीं हो सका है कि उस दिन स्टीमर में कितने यात्री थे, फिर भी अनुमान है कि उसमें 1000 से कम ही यात्री रहे होंगे।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आने जाने के लिए केवल रेलवे स्टीमर सेवा पर निर्भर किया जा सकता है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच प्रतिदिन 4 या 5 स्टीमर चल रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों से ये स्टीमर बिना किसी कारण नदी में रूके पड़े हैं। गत पखवाड़े में लगभग 6 बार स्टीमर रूके रहे। स्टीमर बहुत पुराने हो गये हैं। उन्हें ठीक प्रकार चलाया नहीं जा सकता और ये जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। कभी कभी ये स्टीमर गंगा के बीचो बीच रुक जाते हैं और लोगों को वहां 15 घटे से अधिक समय तक रुके रहना पड़ता है और इतने लोगों को स्टीमर में खाना भी सप्लाई नहीं किया जा सक ा। सेवा में रूकावट आने के कारण जो यात्री नदी में रुक जाते है उनके लिये रेलवे क्या व्यवस्था करती है। इस समय वहां जलपान गृह का भी प्रबन्ध नहीं है। पलेज धाट के उत्तर में जलपान गृह खोलने चाहिये। इन स्टीमरों की बहुत खराब दशा को देखते हुए क्या सरकार का विचार इन स्टीमरों के स्थान पर अन्य स्टीमर प्रयोग करने का है जिससे ऐसी दुर्घटनाएं फिर न हों ?

श्री हनुमन्तैया : उक्त दुर्घटनाएं अधिकांश बाढ़ के मौसम में होती हैं। स्टीमरों को बाढ़ के स्तर में वृद्धि होने के कारण रोका गया था।

जहां तक स्टीमर की आयु का सम्बन्ध है उन्हें 20 वर्ष तक चलाया जा सकता है। मुझे बताया गया है कि उन्हें 50 वर्ष तक चलाया जा सकता है। मुझे सूचना मिली है कि वे संतोष-जनक सेवा प्रदान कर रहे हैं। यदि जांच करने पर यह विदित हुआ कि ये स्टीमर बहुत पुराने हो गये हैं तो उनके स्थान पर मैं नये स्टीमर चलाने के लिए तैयार हूं। स्टीमर में वास्तव में 300 व्यक्तियों ने टिकट खरीदे थे और उसमें 1000 व्यक्ति सवार थे और टिकट खरीदने वाले 300 व्यक्तियों को खाना सप्लाई कर दिया गया था। हमने बाकी व्यक्तियों के लिये भी खाने का प्रबन्ध किया था। लेकिन पानी का प्रवाह तेज होने के कारण दूसरा स्टीमर पानी में फंसे स्टीमर तक नहीं पहुंच सका।

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह : माननीय मंत्री ने यह बताया कि तेज प्रवाह और वर्षा के कारण ऐसा हुआ। लेकिन निजी ठेकेदारों द्वारा चलाये जा रहे स्टीमर संतोषजनक ढंग से और समयानुसार चल रहे थे।

श्री हनुमन्तैया : मैं इस बारे में जांच करूंगा।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) This steamer service fails not only during rainy season but also during winter season.

Arrangements for bath rooms should be made for 1stclass, second class and third class passengers of the steamers.

The tugs of the steamers are very old. So when the steamers are stranded in the current of the river it is not posible to pull the steamers with the help of those tugs. These tugs should be replaced. Food should also be supplied to the ticketless passengers.

People intending to go from Palezaghat to Mahendru ghat have to face great difficulties. The Railway Minister should himself visit that place.

Patna hospital is the biggest hospital of Bihar. People in large number come from North Bihar for their treatment in this hospital. They have to face great difficulties while getting in the streamers. The old streamers should be replaced. Arrangements should be made for supplying food to passangers during emergency in the streamers. Arrangement should also be made to check ticketless travelling.

श्री हनुमन्तैया : टग 1950 में खरीदा गया था और मुझे पता लगा है कि वह अच्छी दशा में है मैं उस स्थान का स्वयं दौरा करने के लिए सहमत हूँ।

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को खाना सप्लाई करने सम्बन्धी सुझाव जांच योग्य है। दक्षिण के किसी भाग में भी इतने बड़े पैमाने पर बिना टिकट यात्रा नहीं की जाती जितनी बिहार, उत्तर प्रदेश के एक भाग और बंगाल में।

बिना टिकट यात्रा रोकने के लिये जनता को रेलवे प्रशासन को सहयोग देना चाहिये। स्टीमरों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किये गये हैं। आशा है उक्त बुरी प्रवृति कुछ ही महीनों में कम हो जायेगी। पर्याप्त स्नानगृहों की सुविधा के बारे में भी मैं अनुदेश जारी करूंगा।

Shri R. P. Yadav (Madhepura) Assistance can be given to the people stranded in flood in Patna Boats and private steamer service runs as usual inspite of heavy flood. It is a weakness on the part of Railway. It is not proper to say that food was not supplied because there were ticketless travellers in the sreamers.

The hon. Minister should visit that place within a week so that he may know the actual position. Government should make some plan to remove these difficulties. Proper arrangement of bath rooms and drinking water should be made in the streamers.

Private streamer service runs efficiently in Bihar but it is not understood why Government streamer services are not run smoothly. Government should make such arrangements that all these difficulties may be removed.

श्री हनुमन्तैया : सौभाग्य से वहां कोई दुर्घटना नहीं घटी। मैं इस बारे में किए गए प्रबन्धों की जांच करूँगा। स्नानगृहों तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

महेन्द्रू घाट के दोनों ओर खान-पान की व्यवस्था है। बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए भी खाना तैयार था लेकिन यमुना का तेज प्रवाह होने के कारण दूसरे स्टीमर पर खाना नहीं पहुंचाया जा सका। ऐसी घटना कभी कभी होतीं है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : इस बात की शंका है कि हमारे कर्मचारियों को गैर-सरकारी स्टीमरों के मालिकों द्वारा रिश्वत दी जा रही है।

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्य ने मुझे उपयोगी जानकारी दी है। मैं इस बारे में कार्यवाही करूंगा। मैं उस स्थान का स्वयं निरीक्षण करूंगा। मैं इस बात के आदेश जारी करूंगा कि

स्टीमर पर खान-पान की पर्याप्त व्यवस्था की जाये और उन पर स्नान गृहों की उचित व्यवस्था हो ।

जहाँ तक पीने के पानी का सम्बन्ध है गंगा नदी पर इस बारे में कोई समस्या पैदा होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता । फिर भी मैं इस बारे में जाँच करूंगा ।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : There have been so many accidents since the steamer service had stareted. It is very strange that in this scientific age Government is not able to control these accidents.

The rule is that all the three streamers should be repaired properly before the start of the rainy season. It is useless to say that the current was very swift

The Government should enquire whether the old parts of the steamers were replaced or not. There is no body to look after this. The Government should take immediats steps in this connection.

It is said that the steamer was started late. There must be some reason behind it. Even then it was indulged in flood. It clearly shows that the engineers were responsible for it.

I want to know whether these are not the old steamers and the Government have no policy of replacing them ? I also want to know whether the Government will construct a bridge on the Ganga soon so that this trouble may be removed ?

I also want to know whether Governmet will make such arrangements to compensate the loss of life and property ? More steamers should run in the Ganga till the construection of the bridge on the Ganga is not completed,

श्री हनुमन्तैया : हम इस समस्या का हल निकालेंगे । माननीय सदस्य ने स्टीमर सेवा में पाये जाने वाली त्रुटियों का जो उल्लेख किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं ।

जहाँ तक स्टीमर की मरम्मत का सम्बन्ध है सम्बद्ध अधिकारियों ने बताया है कि स्टीमर की मरम्मत कर स्टीमर को 25 मई, 1971 को सेवा में लगाया था । स्टीमर की दशा बहुत अच्छी थी ।

पुल के निर्माण के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है लेकिन मैं इस विषय की ओर ध्यान दूंगा । स्टीमरों का अच्छी हालत में चलाने और बिना टिकट यात्रा को रोकने के बारे में पूरा ध्यान दिया जायेगा ।

Shri Mohammad Yusuf (Siwan) . Railway administration is responsible for ticketless travelling. The evil of ticketless travelling is flourishing beacause of the weakness of the officers of the railway administration.

The steamers should be repaired and replaced in due time.

The private steamer service never stops. Where as the Government steamer service closes very often.

There is no arrangement at Pahlezaghat for waiting rooms and catering for the people coming by buses from Chamaran, Muzafferpur or taran. So they have to face great difficulties.

The Government have to suffer a loss or Rs. 5,000 to 10,000 per day dueto interruption in steamer service.

The work of construction of that bridge should be taken by Railways. So that all our diffIculties may be removed with the construction of that bridge.

An hotel on the line of janta hotel should be opened at Pahlezaghat where people can get food at cheap rates. A waiting room should also be opened there.

श्री हनुमन्तैया : स्टीमर सेवा के घाटे में चलाने की मैं जाँच करूंगा। प्रतीक्षालयों में यात्रियों को और अधिक सुविधायें दिये जाने की बात से मैं सहमत हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है, परन्तु रेल दुर्घटनाओं का यह मामला बहुत गंभीर है। यह पांचवी ऐसी घटना है। कम से कम इसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में ही स्वीकार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी दशा में मंत्री महोदय एक वक्तव्य दिया करते हैं। श्री हनुमंतैया भी शायद ऐसा करेंगे।

श्री हनुमंतैया : जी हां। मेरा वक्तव्य तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : कार्य सूची में इसे पहले ही रख दिया गया है।

Shri Bhagendha Jha (Jaynagar): Bihar Government has sent two ordinancs to the Centre for issue regarding ceiling on urban Property and land consolidatin in the state.

Shri A.B. Vajpayee : The state can enact Legislation in this regard.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

मद्रास रिफाइनरीज़ लिमिटेड और भारतीय पेट्रो-रसायन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनकी सरकार द्वारा समीक्षा

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री प्रकाशचन्द बी० सेठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास के 1 अप्रैल, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास का 1 अप्रैल, 1969 से 30 जून, 1970 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। **(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 782/71)**

(2) (एक) भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड के 22 मार्च, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड का 22 मार्च, 1969 से 31 मार्च 1970 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन

पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। **(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 781/71)**

प्राग टूल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद, के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखाप रीक्षक की टिप्पणियाँ सभा पटल पर रखता हूं। **(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 784/71)**

राज्य सभा से संदेश
Messages from Rajya Sabha

5. **सचिव** : मैं जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 तथा पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक 1971 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त दो संदेशों की सूचना देता हूं।

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति ·
Leave of Absence of Members from Sittings of the Hause

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुसार दो सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान करने के बारे में आशा है सभा सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सम्बन्धित सदस्यों को इसकी सूचना दे दी जायेगी।

उल्टाडांगा स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर के बारे में वक्तव्य
Statement Recollision of Railway Trains at Ultadanga Station

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : श्रीमन्, बड़े खेद और दुख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि 31-7-71 को लगभग 20-30 बजे जब उपनगरीय गाड़ी न० पी-398 डाउन पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में उल्टाडांगा रोड स्टेशन की डाउन उपनगरीय लाइन पर खड़ी थी

तो नं० के-62 डाउन उपनगरीय गाड़ी पीछे से आई और पी-398 डाउन के पिछले भाग से टकरा गई। इसके परिणामस्वरूप के-62 डाउन का अगला डिब्बा पी-398 डाउन के सबसे पिछले टी०एल० आर० (तीसरा दर्जा सामान एवं ब्रेक यान) में अंशतः धंस गया। इस दुर्घटना में 7 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, 8 गम्भीर रूप से घायल हुये और 12 को साधारण चोटें आई। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति बाद में अस्पताल में मर गया। इसके अलावा 39 व्यक्तियों को मामूली रगड़ और खरोंच जैसी बहुत हल्की चोटें आईं और उन्हें मरहम पट्टी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही सियालदह से रेलवे डाक्टर दुर्घटना स्थल के लिये तुरन्त रवाना हो गये। पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक और मुख्य परिचालन अधीक्षक भी अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल के लिये रवाना हो गये। रेलवे बोर्ड के परिवहन सदस्य हवाई जहाज द्वारा कलकत्ता गये और उन्होंने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा अस्पतालों में जाकर घायलों को देखा।

मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों और घायलों को अनुग्रह के रूप में रकम का भुगतान कर दिया गया है।

कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।

समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
Motion for Election to Committee

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायंड हार्बर) : मैंने इस में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वह तो स्थानापन्न प्रस्ताव था, जिसे मैंने अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि यह बहुत देर से मिला था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह न तो स्थानापन्न प्रस्ताव है और न ही से देर भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ट्यूबर्क्यलोसिस एसोसिएशन आफ इण्डिया के नियमों और विनियमों के खण्ड 3 (सात) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, ट्यूबर्क्यूलोसिस एसोसिएशन आफ इण्डिया की केन्द्रीय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was Adopted

कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) (संशोधन तथा विधिमान्यकरण विधेयक

Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amemdment and Validation Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन भूमि के या भूमि में या उस पर अधिकारों के कतिपय अर्जनों को विधिमान्य करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति भी दी जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक संशोधन की सूचना भेजी थी क्योंकि इस विधेयक द्वारा राज्य सरकारों के क्षेत्र के विकास में हस्तक्षेप तथा बाधा पड़ेगी जो बहुत आपत्तिजनक है। मुझे इस के पेश किए जाने पर आपत्ति है।

श्री शाहनवाज खां : ये समाचार पत्रों की कतरनें, सर्वदा निराधार हैं। मैं ये आरोप नहीं मानता। (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। प्रश्न यह है :

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री शाहनवाज खां) मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करते तथा उक्त अधिनियम के अधीन भूमि में या उस पर अधिकारों के कतिपय अर्जनों को भूमि कें या विधिमान्य करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति भी दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted

श्री शाहनवाज खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की दर के बारे में संकल्प

Resolutions re : Rate of Dividend payable by Railway undertakig to General Revenues.

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री हनुमन्तैया द्वारा पेश किए जाने वाले संकल्पों पर विचार करेंगे। इसके लिए डेढ़ घण्टे का समय है।

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : मैं ये संकल्प पेश करता हूं : 'कि यह सभा संकल्प करती है कि रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनरावलोकन करने तथा इस

संबंध में सिफारिशें करने के लिये इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जायें जिसका नाम-निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाये।"

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य आनषगिक मामलों का पुनरावलोकन करने तथा इस सम्बन्ध में सिफ़ारिशें करने के लिये बनायी जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा के 6 सदस्य सम्मिलित करने के लिये सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

इन संकल्पों के पक्ष में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा।

रेलवे के राजस्व सामान्य राजस्व से 1924-25 में पृथक कर दिया गए थे। इसके दो उद्देश्य थे—एक रेलवे प्राक्कलनों की भारी घट-बढ़ से सामान्य राजस्व को बचाना और दूसरा रेलवे को सरकार द्वारा सामान्य राजस्व में से व्यय की गई राशियों के बदले निश्चित रकम लौटाने की क्षमता प्राप्त करना। यह प्रबन्ध अभी तक लगभग संतोषजनक ढंग से चलता रहा है और गत 4-5 समितियों ने भी ऐसा ही पाया है। रेलवे अब तक सामान्य राजस्व को 1605 करोड़ रुपये दे चुकी है और एक विधि के अनुसार यदि दिया गया कुल ब्याज मूलधन जितना हो जाये तो मूल-धन लौटा दिया गया माना जाएगा।

इस करार को चौथी योजना के साथ साथ चलाने के लिए एक समिति बनाई गई थी जो लोक सभा के चुनावों के कारण अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी। ऐसी समिति के गठन की अब भी आवश्यकता है। जून 1971 में रेलवे बजट पर हुई चर्चा में भी सदस्यों ने इस करार पर पुन-र्विचार करने के लिए कहा था।

रेलवे बोर्ड ने प्रशासनिक सुधार आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि रेलवे संसदीय नियन्त्रण में रहते हुए अपना कार्य सुदृढ़ व्यापारिक एवं वाणिज्यिक आधार पर चलाएं। इस आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि सरकार रेलवे को विकास के लिए काफी धन दे। आशा है सम्बन्धित समिति इन दोनों सिफारिशों पर भी ध्यान देगी। आशा है कि बनने वाली यह समिति अपनी सिफारिश छः मास के अन्दर अन्दर पेश कर देगी।

अध्यक्ष महोदय : अब ये दोनों सभा के समक्ष हैं।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हू। जहां संसद यह समिति बनाना चाहती है वहां रेलवे बोर्ड शायद ऐसा नहीं चाहता।

गत वर्ष और इस वर्ष भी रेल मंत्री ने कहा था कि रेलों के विकास के लिए धन नहीं है। इस समिति का धन का प्रबन्ध करना ही कार्य है और रेल मंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों इसके सदस्य हैं परन्तु खेद है कि धन की व्यवस्था नहीं हो पाई।

हर बजट के समय सामान्य व्यक्तियों पर कर लगाये जाते हैं परन्तु बाद में यह कह दिया जाता है कि रेलवे के विकास के लिये धन नहीं है। धर्मनगर से अगरतला तक छोटी सी लाइन के लिये भी धन की कमी बतायी जाती है।

पिछले बजट में रेलवे मंत्री ने सामान्य बजट को 4·5 प्रतिशत अंशदान देने की बात कही है। क्या सरकार रेलवे वित्तीय व्यवस्था के पुनर्निर्माण पर दृढ़ता से विचार करेगी। रेलवे बोर्ड

के सुझावों को उसी रूप में स्वीकार करने से कार्य नहीं चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : रेलवे कन्वेनशन समिति जो 1968 में नियुक्त हुई थी, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। समिति की पिछली रिपोर्ट 1965 में प्रस्तुत की गई थी। मैं आशा रखता हूँ कि प्रस्तावित नई समिति शीघ्रता से अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। पूर्व रेलवे मंत्री श्री नन्दा ने रेलवे बजट के समय बताया था कि यदि रेलवे को सहायता न दी गई तो उन्हें ऐसी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनका समाधान कठिन है। मैं समझता हूं कि रेलवे अपने स्रोतों को इकट्ठे करके तथा अनावश्यक खर्चों को कम करके स्थिति में सुधार ला सकती है।

श्री नन्दा जी ने बताया था कि चौथी योजना के लिये रेलवे कार्यक्रमों का वित्तीय विकास, 585 करोड़ रुपए योजना निधि से तथा 940 करोड़ रुपये रेलवे के आंतरिक स्रोतों से पूरा किया जाना था। रेलवे द्वारा अपने स्रोतों से 940 करोड़ न जुटा सकने के फलस्वरूप 200 करोड़ रुपए की कमी आ गई जिसे पूरा किये बिना कोई भी महत्वपूर्ण योजना हाथ में नहीं ली जा सकती। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करना। यदि सरकार यह समझती है कि लगाई गई पूंजी से 6 प्रतिशत लाभांश की आशा करना उचित नहीं है तो इसे परिवर्तित किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में व्यवहारिक समाधान अपनाने चाहिए।

प्रशासन सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सामान्य राजस्व में रेलवे के योगदान को हर समय के लिए पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता।

इन सभी मामलों पर रेलवे कन्वेन्शन समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

प्रशासन सुधार आयोग ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि 1 करोड़ रुपये से अधिक व्यय की परियोजनाओं के लिए लाभांश देने के लिए पंचवर्षीय विलम्ब काल रखा जाना चाहिए।

मै समझता हूं कि रेलवे कन्वेनशन समिति तथा रेलवे मंत्री इन बातों को ध्यान में रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि कन्वेन्शन समिति अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करेगी तथा अपने कार्य को यथाशीघ्र पूरा करेगी और विद्यमान समस्याओं का समाधान करेगी।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : क्या कारण है कि रेलवे तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका मूल कारण यही है कि उन पर पूंजी अधिक लगायी जाती है तथा उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।

अधिक पूंजी लगाने के लिए दोष योजना आयोग का है तथा उससे उपयोग न लेने में मंत्रालयों का हाथ है।

रेलवे लम्बे समय से कार्य कर रही है। खेद है कि वे इतने समय तक कार्य करने के बाद भी हानि पर चल रही हैं। उसके परिणामस्वरूप रेलवे के हर एक उपभोक्ता को किराए भाड़े के लिए अधिक धन देना पड़ता है।

रेलवे की बिगड़ी हुई वित्तीय स्थिति के लिए सभी स्तरों पर अक्षमता कुप्रबन्ध, तथा भ्रष्टाचार की विद्यमानता उत्तरदायी है।

रेलवे सामान्य राजस्व से धन लेती हैं। यदि हम उनसे लिए जाने वाले ब्याज अथवा लाभाँश

को घटा देते हैं तो उससे सामान्य राजस्व को हानि रहेगी। इसका अर्थ तो यह होगा कि रेलों में सुधार लाया ही नहीं जा सकता।

यदि हमारे पास उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति हों तो रेलवे में सुधार लाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमें लाभांश घटाने अथवा उसके लिये विलम्ब वर्ष निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

रेलों को अपने महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिये बाजार से सीधे धन लेना चाहिए। तभी वे आत्मनिर्भर हो सकती है। कोयले के मूल्य देश के भिन्न-भिन्न भागों में बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए भावों एवं कोयले की कमी के लिए रेलें स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि कोई समिति नियुक्त होती तो उसे बहुत कम समय में अपना प्रतिवेदन देना चाहिए।

मैं आशा रखता हूं कि समिति अपना उपयोगी कार्य तत्परता से करेगी तथा मंत्री महोदय को किराये भाड़े नहीं बढ़ाने पड़ेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

***श्री आ०पी० उलग नम्बी** (वेल्लोर) : रेलवे मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि वर्ष 1950-51 में रेलों पर 827 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी जो वर्ष 1970-71 में बढ़कर 3473 करोड़ रुपए हो गई। सामान्य राजस्व में रेलवे का योगदान 1950-51 में 32 करोड़ रुपए था जो वर्ष 1970-71 में 173 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले बीस वर्ष में रेलवे का सामान्य राजस्व में योगदान 1605 करोड़ रुपए रहा जोकि लगी पूंजी का 50 प्रतिशत है।

मैं इस वित्तीय सकट काल में रेलवे कन्वेशन समिति का स्वागत करता हूं। जिन रेल लाइनों की परियोजना का सर्वेक्षण बहुत समय पूर्व किया गया था वे भी धनाभाव के कारण आरम्भ नहीं की जा सकी हैं। चालू विकास क्रिया कलापों से यातायात बहुत अधिक बढ़ गया है जिससे उपरि पुलों पर अधिक भीड़ रहने लगी है। यह पुल इतने पुराने हो गये हैं कि इनके ढह जाने का भय पैदा हो गया है। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि इन पुलों का पुनर्निर्माण किया जाए।

वीलुपुरम विल्लोर नगर को दो भागों में बांटता है। वहां के लिए कई दर्शकों से उपरि पुलों के निर्माण की माँग करते रहे हैं। उसे भी धनाभाव के कारण स्वीकार नहीं किया गया है। मद्रास से चलने वाली केरल एक्सप्रेस अम्बूर पर नहीं रुकती जबकि वहां पर बहुत से कारखाने हैं। मैं चाहता हूँ कि रेलवे कन्वेशन समिति नई लाइनों उपरि लाइनों के निर्माण तथा लाखों कर्मचारी रहित लेवल क्रासिंगों पर कर्मचारी नियुक्त करने के कार्य में उदारता बरते। जब तक आवश्यक विकास कार्य पूरे नहीं किये जाते और तीसरी श्रेणी के यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पातीं रेलों पर सामान्य राजस्व को अधिक योगदान देने का भार न डाला जाये।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैं समझता हूँ कि रेलें राष्ट्र की महत्वपूर्ण नसें हैं। जितनी ही रेलें सक्षम होंगी उतनी ही देश में प्रगति होगी। परिवहन का देश के लिए महत्व है और मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarized transcetation version based on english translation of the speech delivered in Tamil.

लगभग 15 वर्ष पूर्व इस सभा के सदस्य श्री पद्मपत सिंहानिया ने कहा था कि यदि रेलवे उनके अधीन निजि उद्योग में होती तो वे उससे दुगना लाभांश दे सकते हैं।

मैं सरकारी क्षेत्र और उद्योगों के समाजीकरण में विश्वास रखता हूँ। परन्तु दुर्भाग्य से यह कहते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्योग प्रायः घाटे पर चल रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का नियन्त्रण सिविलियनों, प्रशासकों, आदि के हाथों में दिया जाता है जिन्हें वाणिज्यक अर्थव्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में हमें समाजवादी देशों का अनुसरण करना चाहिये। हमें एक आर्थिक सेवा समिति बनानी चाहिये जिसके अन्तर्गत सभी परियोजनाओं का कार्य भार सम्भालने के लिये पूरी तरह प्रशिक्षण दिया जाये। इसके साथ ही हमें श्रमिकों को प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे वह इस बात को महसूस करें कि यह काम उनका अपना काम है और वे जितना उत्पादन अधिक करेंगे और दक्षता से काम करेंगे, उनको उतना ही लाभ होगा।

रेल मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि रेलवे में जितनी राशि खर्च होती है उसके अनुरूप ही उसको लाभ भी हो। समाजवादी देशों में सरकारी उपक्रमों के लाभ पर ही निर्भर किया जाता है। परन्तु हमारे देश में सरकारी उपक्रमों के लिये भी अतिरिक्त राशि जुटानी पड़ती है। अतः मुझे आशा है कि नई अभिसमय समिति रेलवे में अपव्यय, भ्रष्टाचार, बिना टिकट यात्रा आदि मामलों पर ब्यौरेवार विचार करेगी।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : रेलवे को घाटा हो रहा है। बात यह है कि सामान, निर्माण और मजूरी पर व्यय बढ़ता जा रहा है। यह पता लगाने के लिये बहुत पहले एक कन्वेशन किया गया था कि रेलवे को अब जनता की 4000 करोड़ रुपये की पूंजी के निवेश पर राजकोष को किस दर पर लाभांश देना चाहिये। रेलवे को अपना कार्य अधिक दक्षता पूर्वक करना चाहिये। उन्हें निर्माण लागत आदि को घटाना चाहिये। यदि भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता तो कम से कम उसे कम तो किया ही जाना चाहिये। भ्रष्टाचार इस सीमा तक पहुंच चुका है कि कभी-कभी वाणिज्य समुदाय रेलवे तथा जनता दोनों को धोखा दे जाता हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि इन सभी मामलों पर विचार करने के लिये अभिसमय समिति स्थापित की जा रही है। और मैं आशा करता हूँ कि उसका प्रतिवेदन सभा में शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैय्या) : मैं इस बात के लिये प्रयत्नशील हूँ कि आगामी बजट को तैयार करने के समय तक हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाये। रेलवे प्रशासन का भी यही लक्ष्य है। मैं स्वीकार करता हूं कि रेलवे में भ्रष्टाचार और अदक्षता है। हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं और दोषी व्यक्तियों को अवश्य दण्ड दिया जायेगा। कई बार लोकतंत्र में दोषी व्यक्ति दंड से बचने के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों पर दबाव डलवाते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे कार्यकाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और यदि इसी नीति का सख्ती से पालन किया गया तो हमारा प्रशासन कुशलता से कार्य कर सकेगा और हमारी वित्तीय स्थिति काफी सुधर जायेगी।

रेलवे सुरक्षा बल के बारे में, मुझे बड़ी हैरानगी है, जिसे चोरी आदि रोकने के लिये बनाया गया था। इस पर लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि चोरी की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है और इस बल पर व्यय भी बढ़ गया है। 8 करोड़ रुपये के माल

की चोरी रोकने के लिये हम 12 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इस प्रकार की बुरी प्रवृतियों को रोक कर हम लाभ दिखा सकते हैं। मुझे पता चला है कि केवल बिना टिकट यात्रा से 25 करोड़ रुपये का घाटा होता है। अतः इस को रोकने के लिये सब से अधिक प्रयत्न करना होगा। हमें ये सभी कार्य करने हैं परन्तु अभी समय समिति ने इन सभी मामलों पर विचार नहीं किया है। उन्हें तो दक्षता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने के उपायों पर विचार करना है जिससे रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि रेलवे बोर्ड उक्त समिति को सब प्रकार से सहयोग देगा। मुझे आशा है कि नियुक्त की जाने वाली उक्त समिति कम समय में और गम्भीरतापूर्वक अपना कार्य करेगी। वस्तुतः समिति द्वारा शीघ्रतापूर्वक कार्य किया जाना समिति के सभापति पर निर्भर करता है। मैं चाहता हूँ कि समिति का सभापति ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो रेलवे की समस्याओं से परिचित हो। यदि हमें कर्मठ और दक्ष व्यक्ति मिल जायें तो मेरे विचार में समिति का कार्य 6 महीने से भी कम समय में पूरा हो सकता है। सभापति के चुनाव की जिम्मेदारी लोक-सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति पर है। इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा प्रस्तावित दो संकल्पों का अनुमोदन कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय वर्तमान लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनरावलोकन करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये इस सभा से 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिसका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाये।

संकल्प स्वीकृत हुआ

The resolution was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेलवे वित्त से सम्बन्धित अन्य अनुषांगिक मामलों का पुनरावलोकन करने तथा इस सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये बनायी जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा के 6 सदस्य सम्मिलित करने के लिये सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The resolution was adopted

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक

Medical Termination of Pregnancy Bill

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से प्रस्ताव करता हूँ "कि कतिपय गर्भों की रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा

व्यवसायियों द्वारा समाप्ति और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

इस विधेयक में भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अधीन लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों को उदार बनाये जाने की व्यवस्था है। उक्त धारा के अनुसार गर्भ समाप्ति की सुविधा उन्हीं स्त्रियों के लिए उपलब्ध थी जिनके जीवन की रक्षा के लिये ऐसा करना आवश्यक होता था। इस प्रतिबन्ध में ढील देने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसे राज्य सभा ने पहले ही पास कर दिया है। शान्तिलाल शाह समिति ने इस मामले पर ब्यौरेवार विचार किया है। उक्त समिति की सिफारिशों को ही उस विधेयक में सम्मिलित किया गया था जो 17 नवम्बर, 1969 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस मामले पर अधिक गहराई में विचार करने के लिये इस विधेयक को 24 दिसम्बर, 1969 को संयुक्त समिति के पास भेजा गया। संयुक्त समिति ने कई सुझाव प्रस्तुत किये थे। इस सभा में प्रस्तुत इस विधेयक में उन्हीं सभी सिफारिशों को सम्मिलित कर लिया गया है। मोटे तौर पर पांच सिफारिशें की गई हैं। पहली सिफारिश में यह सुझाव दिया गया है कि जब तक इस विधेयक के खण्डों के अनुषंगिक नियम तथा विनियम न बनाया जाये तब तक यह विधान लागू नहीं होगा।

दूसरे संरक्षक की परिभाषा को, जिसकी उसके आश्रित व्यक्ति का गर्भ समाप्त करने के लिये सहमति आवश्यक होगी, और उदार बना दिया गया है।

तीसरे गर्भवती स्त्री के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह नाजुक और खतरनाक आपरेशन करने वाले चिकित्सा व्यवसायिकों की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है। केवल रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायिकों को ही इस प्रकार के आपरेशन करने की अनुमति दी जायेगी।

चौथे संयुक्त समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि गर्भ की अवधि 12 सप्ताहों से कम है तो एक डाक्टर की राय काफी होगी परन्तु यदि गर्भ की अवधि 12 सप्ताहों से अधिक और 20 सप्ताहों से कम है तो दो डाक्टरों की राय आवश्यक होगी यद्यपि वास्तविक आपरेशन एक ही डाक्टर अर्थात शल्यचिकित्सक कर सकता है।

पांचवां सुझाव यह दिया गया है कि जीवन बचाने के आपातकालीन मामले में, दो डाक्टरों की राय वाली शर्त में ढील दी जा सकती है। माननीय, स्वास्थ्य और सुजनन सम्बन्धी कारणों से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। विश्व भर में अनावश्यक गर्भ को समाप्त करने की मांग बढ़ती जा रही है। जहां तक मानवीय पहलू का सम्बन्ध है, कुछ स्त्रियाँ परिस्थितियों के दबाव में गर्भवती हो जाती हैं। उन्हें गर्भ समाप्त कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। देश के विभाजन के समय ऐसी स्थिति थी। इसके अतिरिक्त उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार औसतन 65 लाख लोग गर्भ समाप्त करवाते हैं। इनमें से केवल 25 लाख वैध मामले हैं। इस कानून की अनुपस्थिति में भी लगभग 40 लाख गर्भ समाप्त होते में। माननीय पहलू के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी पहलू है। कई बार परम्परागत निरोध असफल हो जाते हैं और कुछ स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। वर्तमान कानून के अनुसार वे ऐसे अवांछीनय गर्भ को समाप्त नहीं कर पातीं। यह उद्देश्य भी हमारे सामने था। कुछ स्त्रियों के बच्चे विकलांग होते हैं, उन्हें भी हम गर्भ समाप्ति का लाभ पहुंचाना चाहते थे। राज्य सभा में इस विधेयक का स्वागत किया गया है। संयुक्त समिति में भी 26 में से 22 सदस्यों ने इसका हार्दिक स्वागत किया था।

इस विधेयक के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का विचार है कि यह विधेयक बहुत संकीर्ण है और अन्य लोगों का विचार है कि यह बहुत उद्धार है। इस विधेयक की सफलता सामाजिक प्रवृत्ति पर अधिक निर्भर करती है। हमारा कानून जनता की आवश्यकता को पूरा करने वाला होना चाहिये। कई कानून ऐसे हैं जिन्हें जनता ने स्वीकार नहीं किया और उनका कोई प्रयोग नहीं किया जाता है।

बात यह नहीं है कि मेरे विचार इस सम्बन्ध में प्रगतिशील हैं या नहीं। किन्तु प्रश्न यह है कि यदि समाज इन विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो उनके बारे में सभा में वाद-विवाद करने से क्या लाभ। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अन्तर्गत लगे कुछ प्रतिबन्धों को हटाना है। यदि माननीय सदस्य विधेयक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उन्हें वे कुछ बातें विधेयक में ही मिल जायेंगी, जिनकी वे कमी महसूस कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के सामने प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कतिपय गर्भों की रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा समाप्ति और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाय।"

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : श्रीमन्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे समाज में कुछ बन्धन हैं जिनके कारण अनचाहे बच्चों और उनकी माताओं को बहुत अधिक दुखी होना पड़ता है। इस विधेयक से ऐसे बच्चों की होने वाली माताओं को राहत मिलेगी और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरे इससे इस क्षेत्र में अनुसंधान की नयी दिशायें उपलब्ध होंगी और उपचार विज्ञान में अग्रेतर विकास की सम्भावना बढ़ेगी। इस दृष्टि से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I welcome the Medical Termination of Pregnancy Bill brought forward by the Minister, but I would like to ask him as to why the aims and objects have not been mentioned in the Bill. This Bill is more concerned with family planning programme than anything else, but no mention of it has been made in the Bill. A number of aspects moral, social, political, humtarian and economic can be attached to it but the most important one it the family planning. This Bill is directly connected with family planning and it should have been made very clear. For this the government should have stated in the statement of objects and reasons that this Bill is necessary to make our family planning programme a success. As regards the family planning, we have not achieved much success though a sum of Rs. 93.3 crore has been spent thereon. Various experiments have been made and several schemes have been undertaken, but they did not prove successful. If we are serious about making the family planning programme a success, we must make an all-out effort for it. The services of All India Radio and other allied departments should be fully utilised in furthering this cause.

Abortion is a crime under the provisions of Indian Penal Code. They provide penalty for it. These provisions of IPC should be deleted. There was no need of taking shelter under the plea of the mental health of the pregnant woman. The need was to delete Sections 312 to 316 of the Indian Penal Code. Unless it is done, the object of the Bill will not be achieved.

Another point I would like to make is that this kind of law is left to the States for implementation. But the State Governments donot take much initiative in this regard, because they do not want to involve themselves in any such controversial matter which may make them unpopular. I would like to know the safeguards our Government is thinking to adopt in order to get this act implemented in tots.

The Bill no doubt provides protection to women who use to fall prey to quacks and other unqualified persons but the Bill is silent about the so-called unwanted children. Today such children have no place in the society. The Bill is ambiguous and not clear in this regard. The Bill should legalise the action of the father and mother of the so-called unwanted children. We loudly talk about social reforms and radical measures but when the time comes to translate our talks into action, we hesitate and withdraw our steps. To sum up, the Bill should be very clear on all there issues·

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वर्तमान परिस्थितियों में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के खंड 3 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें गर्भ को रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा समाप्त किया जा सकता है और उनका भी, जिनमें ऐसा नहीं किया जा सकता। इस खंड के साथ कुछ स्पष्टीकरण दिये गये है। एक स्पष्टीकरण में लिखा है कि परिवार नियोजन के उद्देश्य से प्रयोग में लाये जा रहे उपाय के असफल हो जाने के परिणामस्वरूप होने वाले गर्भ से जो मानसिक क्लेश गर्भवती महिला को होगा उसे गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गम्भीर चोट समझा जायेगा। मेरे विचार से ऐसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही न थी। यह परिवार नियोजन के लिए अपनाये गये उपायों पर आक्षेप है। विधेयक के खंड 4 में उन स्थानों का उल्लेख किया गया है जहां गर्भ को समाप्त किया जायेगा। यह स्थान सरकारी अस्पताल या कोई ऐसा स्थान होना चाहिए, जिसका सरकार इस प्रयोजन के लिए अनुमोदन कर दे। इसके अनुसार किसी भी स्थान को इस काम के लिए उपयुक्त ठहराया जा सकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय विधेयक के ऐसे उपबन्धों पर पुनर्विचार करें। ऐसा स्थान वह होना चाहिए जिसे इस प्रयोजन के लिए अस्पताल के रूप में मान्यता दी जा सके।

श्रीमती सावित्री श्याम ने जो प्रश्न अनचाहे अथवा अनाथ बच्चों के बारे में उठाया है, वह उठना स्वाभाविक है। ऐसे बच्चों के सम्बन्ध में भी कोई उपबन्ध विधेयक में होना चाहिए। इन बातों पर मंत्री महोदय पुनः विचार करें।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : Sir, I rise to support the Medical Termination of Pregenancy Bill, 1971. There was need of such a measure and I congratulate the Minister for bringing forward such a Bill. There is nothing wrong in it. The Bill provides for the termination of pregnancy by a registered medical practioner on the consent of pragnant woman, if the life of the pregnant woman is in danger on account of such pregnancy. This Bill is a step towards eradicating poverty by way of limiting the number of children in a family. In this connection I would like to give one suggestion. In sub-section 2(a) of Section 3 the period of twelve weeks should be reduced to period of eight weeks, because pregnancy can normally be detected after eight weeks.

This Bill is related to Indian Penal code and the IPC is not applicable to the State of Jammu and Kashmir. So, this Bill will also not be applicable to that State and thus the people of Jammu and Kashmir will be deprived of the benefits of this legislation. I, therefore, request the Government to see that the Indian Penal code is made applicable to Jammu and Kashmir also so that the people of that State may be benefited. This Bill is a step towards socialism and progress.

उपाध्यक्ष महोदय : हमने यह चर्चा 1.55 पर प्रारम्भ की थी और अब तक 50 मिनट हो चुके हैं। अभी भी 10 सदस्यों को भाषण करना है। उसके बाद खण्डवार विचार होगा और तृतीय वाचन होगा। इस पर विचार 3.25 तक समाप्त हो जाना चाहिए। इसलिये प्रत्येक सदस्य को केवल 5 मिनट ही भाषण करना चाहिए श्री जे० एम० गौडर।

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक द्वारा कुछ परिस्थितियों में गर्भपात को कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान है। मैं माननीय उप मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का सामाजिक सुधार सम्बन्धी विधेयक पेश किया है।

गर्भपात को कानूनी संरक्षण देने में अवांछित हिचक के कारण हमें परिवार नियोजन कार्य-क्रम पर करोड़ों रुपये व्यय करने पड़ रहे हैं। आयरलैंड को छोड़ कर, लगभग सभी पश्चिमी देशों में गर्भपात को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। आज लोग छोटे परिवार की आवश्यकता को महसूस करने लगे हैं। इस विधेयक द्वारा सरकार अब उस कमी को पूरा करने जा रही है।

यह सर्वसम्मत दृष्टिकोण हैं कि सरकार का प्रमुख उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक गतिविधियों में अपनी सारी शक्ति केन्द्रित करना है। इस प्रकार के कानून के अभाव में अनेक युवतियाँ आत्महत्या कर लेती थीं। यह उचित ही होगा कि जो भी युवती गर्भ को समाप्त करने की इच्छुक हो, उसे गर्भपात कराने की छूट होनी चाहिये।

इस विधेयक की धारा 6(1)(क) में इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई पंजीकृत चिकित्सक इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भ की समाप्ति का कार्य करना चाहता है, तो उसे अपेक्षित अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये। मैं चाहूँगा कि किसी भी डाक्टर को यह कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपने क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। गर्भपात कराने वाले व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित करने के लिये सरकार को इस बारे में समुचित नियम बनाने चाहिये।

जनसंख्या नियंत्रण के हमारे प्रयासों में इस उपाय की उपयोगिता के बारे से मुझे कतई सन्देह नहीं है। विधेयक बहुत आवश्यक है और इससे उपयोगी परिणाम उपलब्ध होंगे। हमारे देश में अधिकांश ग्रामीण जनता अशिक्षित है। अतः उन्हें जानकारी देने के लिए रेडियो प्रसारणों, विज्ञापनों और पुस्तिकाओं द्वारा व्यापक प्रचार करना चाहिए।

Shri N. K. Sinha (Muzaffarpur) ; If a woman wants to terminate her pregnancy, she would have to give one or the other reasons stated in the Bill. They should have been given full freedom- otherwise we are forcing them to give wrong statements. They would bribe the doctors to certify that pregnancy would cause grave injury to their health.

It would have been better if women were given full freedom for madical termination of their pregnancy, but it is probably a bit difficult for the hon'ble Minister to bring such a legislation in the background of Indian culture and civil'sation.

Previously it was provided in the original Bill that Doctor's name should have been entered in a State Medical Register, now the Select committee has added the following words "who has such experience or trainning in gynaecology and obsteties as may be prescribed by rules made under this Act. There is no need for such a provision in this Bill.

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित

Translated from English translation of speech delivered in Tamil

An M. B. B. S. student has to take training for three months in Gynaecology and obsteties.

The Select Committee had aded word 'grave' before injury in clause 3, 2(B)(1), Injury to her physical or mental health was enough for allowing an abortion, otherwise the different doctors would interpret the word "grave" differently.

It has also been provided in the Bill that doctors would judge whether there would be mental torture to the mother. How can a doctor make a judgement about this. It is only the mother who can know about her mental torture. Such provisions would lead to wide-spread bribery. The hon'ble Minister would give due consideration to this aspect also.

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : The present Bill has already been discussed in detail in the Joint Committee of Parliament. The purpose of the bill is ambigious. This bill is against the cultural conventions of the country. Indirectly the medical termination of pregnancy is being added as a means of family planning.

Unfortunately about 50 to 60 lakhs of abortions are carried out in our country. Many of pregnant women commit suicide. We have also to bear in mind whether the circumstances and cultural conventions of our country are suitable for the legislation, we have brought forward here.

We do not have even proper arrangements for small operations like basectomy. There are a number of deaths after operations due to lack of proper care. We do not have proper medical facilities in our country for operations of women for various complications arising out of pregnancy. It would have been better if the Government had paid attention to this matter first. The operation for termination of pregnancy, particularly at an advanced stage i.e. after fivd months is a very serious one and proper arrangements are necessary for that. It is wrong to leave the decision about abortion to the doctors. We have heard of so many cases where doctors did not take proper care in performing operations. Many a time allegations are made against the doctors. We have to provide a safeguard against such carelessness on the part of the doctors.

All Acts should be made applicable to Jammu and Kashmir also. Jammu and Kashmir is an integral part of our country. If there is any constitutional obstacle, the steps should be taken to remove such an obstacle.

The married women have already got some sort of protection for termination of pregnancy under section 312 of the I.P.C. But unmarried women do not have any protection under that law or under the present Bill. The unmarried women should have been provided some protection under this Bill.

If the powers provided through this Bill are used as a measure of family planning, the aim of this Bill would be defeated. I hope that the views expressed by the Members would be kept in mind while framing rules under this measure.

उपाध्यक्ष महोदय : 3.25 तक इस विधेयक पर चर्चा पूरी होना संभव नहीं जान पड़ता। अत: मैं सदन की सहमति से विधेयक पारित करने के लिए समय 4 बजे तक बढ़ा देता हूँ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मैं गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति का स्वागत करती हूँ। संसार के बहुत से देशों ने गर्भपात को कानूनी बनाने वाले विधेयक बना रखे हैं। हमारे समाज में न तो कण्व महर्षि जैसे व्यक्ति हैं जो व्यक्त सन्तान का पालन करें और न ही हमारा समाज अभी आधुनिकता की उस अवस्था तक पहुंचा है जहाँ पर यहां के लोग ब्रिटिश संसद सदस्या की तरह यह कहने का साहस कर सकें कि हमारी नैतिकता हमारा व्यक्तिगत मामला है।

यह बात भी नहीं कि केवल अविवाहित स्त्रियां ही गर्भपात का सहारा लेती हों। एक रिपोर्ट के अनुसार गर्भपात करवाने वाली महिलाओं में 80 से 95 प्रतिशत विवाहित महिलाएं होती हैं और उनके इस कार्य के कारण सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य होते हैं। फिर जैसा कि कहा गया है, या तो गर्भपात को कानूनी बनाया जाय अथवा स्त्रियों के भाग्य को नीम हकीमों के हाथों सौंपा जाय क्योंकि गैर-कानूनी कार्य के डर से डाक्टर तो यह कार्य करते नहीं, नीम हकीमों का यह कार्य स्त्रियों के जीवन से खिलवाड़ होती है।

इस विधेयक की कानूनी खामियों का उल्लेख यहां पर किया गया है। मुझे विश्वास है कि संशोधनों के द्वारा उन खामियों को दूर किया जायेगा। इसके साथ ही इसके लिए सुविधाओं का भी विस्तार किया जाना चाहिये।

यह ठीक है कि सन्तान मूल्यवान होती है परन्तु उस स्त्री की स्थिति की कल्पना करें जो अपने पहले बच्चों को तो खिला न सके परन्तु उसके पेट मे फिर सन्तान हो।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : डाक्टर के रूप में मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस युग में आचरण के मानदंड में परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ पीढ़ियों पुराने विचार आज बदल चुके हैं। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली नई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की आवश्यकता इस विधेयक से सामने आती है।

इस विधेयक में दो बातें हैं। एक तो यह है कि आवांछित बच्चे के जन्म को रोकना तथा दूसरी बात है अनावश्यक बच्चे को जन्म ग्रहण करने से रोकना। दोनों बातों में पर्याप्त अन्तर है। अनावश्यक बच्चे को जन्म ग्रहण करने से रोकना परिवार नियोजन के उद्देश्य के अनुरूप है। दूसरे सामाजिक परिस्थितियों के कारण अनेक महिलायें गर्भ को समाप्त करना चाहती हैं। परन्तु कानूनी रुकावट के कारण डाक्टर उनकी सहायता नहीं कर सकते। इसी रुकावट को दूर करना इस विधेयक का उद्देश्य है।

हमारे समाज में आवांछित बच्चों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। आवांछित बच्चों की माताओं को उनके परिवार में, समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। अतः इस प्रकार के विधेयक की बहुत ही आवश्यकता है।

इस विधेयक की कानूनी खामियों पर जिन की ओर यहाँ ध्यान आकर्षित किया गया है। मंत्रालय ध्यान देकर उन्हें दूर करे।

श्री शिवनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा कुछ परिस्थितियों में गर्भ समाप्त करने की व्यवस्था है। इस बात की व्याख्या कर दी जाए कि यह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कौन-कौन से हैं? ऐसा करने से विधेयक की एक बहुत बड़ी खामी दूर हो जायेगी।

इस विधेयक को परिवार नियोजन के उपाय के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिये। वस्तुतः इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके द्वारा परिवर्तनशील समाज के प्रति सरकार का दृष्टिकोण प्रकट होता है।

कुछ व्यक्तियों ने रूढ़िगत दृष्टिकोण के अनुसार, इस विधेयक का विरोध किया है। परन्तु मेरा यह कहना है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध करते हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति को

पूरी तरह जाना ही नहीं है । भारतीय संस्कृति ने कभी भी ऐसी बातों की अनुमति नहीं दी जो समाज के विरुद्ध हों अथवा मानव के लिए अकल्याणकारी हों । महाभारत में भी उल्लेख है कि सार्वजनिक कल्याण के विचार से प्रशासन समाज को नया रूप दे सकता है ।

इस विधेयक की धारा 3(4) (ख) में जो यह व्यवस्था है कि 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के मामले में उसके पिता की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, इसके स्थान पर पर यह होना चाहिए कि ऐसी स्त्री के मामले में उसकी स्वयं की और अभिभावक दोनों की सहमति आवश्यक हो । इसके कारण इस प्रकार की स्त्री को अभिभावकों द्वारा गर्भपात के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा ।

श्री मती मुकुल बैनर्जी (नई दिल्ली) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं । इस विधेयक में तीन खण्ड हैं । अर्थात् मानवता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सृजननतत्व के आधार पर ।

मेरा मत यह है कि मानविक आधारों को और भी उदार बनाया जाए । आर्थिक कारणों से आज अधिक से अधिक युवतियाँ नौकरियां कर रही हैं । यौन विषयों में अज्ञानता एवं समाज में दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियां शादी से वंचित रह जाती हैं और फिर बाद में कुचक्रों में फंस कर गर्भवती हो जाती है । यह उनका दोष नहीं । यह दोष तो समाज का है । ऐसे मामलों में भी थोड़ा मानवीय आधार होना चाहिये । ऐसा हो सकता है कि कुछ वास्तविक गलतियां हों । कभी कभी वे जानबूझ कर गलतियां कर बैठती हैं । ऐसी गलतियों पर मानवीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए ।

स्वास्थ्य के आधार पर भी गर्भपात कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से गर्भपात करवाने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

हिन्दू विवाह अधिनियम के पारित होने के बहुत से लोगों ने सोचा था कि सभी विवाहित स्त्रियां तलाक मांगेंगी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ । हमारी परम्परा को ध्यान में रखते हुए सभी स्त्रियां इस विधेयक के पारित होते ही गर्भपात नहीं करवायेंगी ।

Shri. R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I rise to support this Bill. Only that society can progress which can mould itself according to the changing circumstances, breaking through all the traditions.

The Bills. which are passed here, cannot be implemented for want of adequate funds. First of all we should have termination of pregnancy fund and we must approach the Planning Commision in this respect. Whoever comes forward Comageously for abortion must be credited. To day illegal abortions take place. They must be stopped. The modernised countries of the world have advanced on the basis of moral fibre. They do not hesitate in specking the truth. The marriage system is an old institution. There was no such system in primitive society. The laws have been enacted by the rationalised society If any body boldly says that she wants to abortion, she must be appreciated.

No provision has been made on health ground because for abortion one has to undergo severe pains. This is a right step in the right direction because abortion was conducted illegaly uptil now.

An hon. Member has referred to an unmarried hon. Member of House of Commons who conceived. That lady frankly spoke the truth and she was given premium. We should give up all the hollow presumptions which create suffocation and follow the truth.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : गर्भ धारण के कुछ मासों के पश्चात् गर्भपात कराना बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस समय तक अमरीका में भी यह समस्या विद्यमान थी और इससे जीवन को गम्भीर खतरा बना हुआ था। चूँकि देश में सीमित जानकारी उपलब्ध है, सरकार को या तो अमरीका से विशेषज्ञों की सहायता मांगनी चाहिए या संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए जो गर्भधारण के कुछ महीनों के अन्दर ही एक नई प्रक्रिया से गर्भपात कराने में सफल हुये हैं और यह नई प्रक्रिया पूर्ण रूप से खतरे से खाली पाई गई है। हमारे लोगों को विदेशों में भेजने की अपेक्षा अन्य देशों से सहायता प्राप्त की जा सकती है और हमारे डाक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए किसी प्रकार के दौरे के कार्यक्रम की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री विक्रम चन्द महाजन (कांगड़ा) : इस बारे में दो राय नहीं हैं कि हमारे देश में स्त्रियों के साथ सदैव बुरा व्यवहार किया गया है। वर्तमान विधेयक से आधा प्रयोजन ही सिद्ध होगा। इससे समस्या पूरी तरह नहीं निपटाई जा सकती। यद्यपि यह विधेयक सही कदम है परन्तु यह अधूरा है।

विधेयक के कुछ खंडों के अनुसार, अविवाहित अथवा विधवा स्त्रियों को इसके अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य कष्ट अथवा दुःख अथवा अनचाहे बच्चों के जन्म को रोकना है अथवा यूं कहिये जनसंख्या पर नियंत्रण करना है। अभी तक इस विधेयक को पारित नहीं किया गया है, अतः अविवाहित और विधवा स्त्रियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये।

स्पष्टीकरण एक दो आदि निरर्थक है। विधेयक में एक ही वाक्य रखा जाना चाहिए कि जो स्त्री गर्भपात करवाना चाहती है उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाये।

दूसरे स्त्रियों को गर्भपात करवाने का पूरा अधिकार नहीं दिया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक का प्रयोजन अधूरा है और इसमें संशोधन किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि अगली बार पूरा और सही विधेयक लाया जायेगा।

*** श्री एम० एम० जोजफ** (पीरमाडे) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस विधेयक के द्वारा वे महान् आदर्श और नैतिक आदर्श नष्ट हो जायेंगे जो इस देश द्वारा गत हजारों वर्षों से स्थापित किये गये हैं।

इस विधेयक में जो गर्भपात कराने के कारण दिये गये हैं वे निरर्थक हैं। विधेयक के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध को गर्भावस्था के अगणित मामलों में किसी पर भी लागू किया जा सकता है यह कहा गया है कि यदि जन्म लेने की स्थिति में शिशु के विकलांग होने की सम्भावना हो तो गर्भपात कराया जा सकता है। प्राचीन स्पार्टा में एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार वहां के लोग विकलांग शिशुओं की हत्या कर सकते थे। इस विधेयक के द्वारा सरकार स्पार्टा निवासियों द्वारा किये जाने वाले इस अत्याचार से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन है। इस विधेयक में कहा गया है कि यदि गर्भ से मां को शरीरिक अथवा मान-

* मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malaylam.

सिक रूप से क्षति होती हो तो उसे समाप्त किया जा सकता है। क्या हम में से कोई सिर-दर्द को दूर करने के लिये सिर को काट देता है ?

गर्भपात वास्तव में हत्या ही है। गर्भाशय में भ्रूण के प्रवेश करते ही इसमें जीवन आ जाता है। यदि यह विधयक पारित हो जाता है तो हम केवल हत्या करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति देंगे। यह जानकर दु:ख होता है कि क्या ऐसे विधेयक को जो लाखों निर्दोष शिशुओं की हत्या करने हेतु कानूनी मंजूरी देने के लिये लाया गया है: पुरःस्थपित किया जाना चाहिये था जब कि हमारी प्रधान मंत्री इस महान देश के भाग्य का मार्ग दर्शन करती हैं और भारतीय मातृत्व का एक आदर्श हैं।

जिन देशों में यह कानून लागू किया गया है वहां यह मांग बढ़ती जा रही है कि इस पर पुर्नविचार किया जाना चाहिये। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि ब्रिटिश संसद के 250 संसद सदस्यों ने मांग की है कि इस कानून पर फिर से विचार किया जाये। हमारे देश में जहां गो-हत्या भी अपराध माना गया है वहां सरकार लाखों निर्दोष बच्चों की हत्या करने का कानून लागू करने जा रही है। मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूँ।

श्री मुहम्मद शरीफ (तेरियाकुलम) : गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक, कतिपय गर्भों की पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा समाप्ति एक साधारण बात लगती है परन्तु जब इसे पारित कर दिया जायेगा और उसे लागू किया जायेगा तो मानव समाज पर इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

इस विधेयक के उपबन्धों से स्पष्ट होता है कि इसके प्रस्तावकों ने नैतिक सिद्धान्तों और आदर्शों की ओर, जो मानव समाज के ढांचे की सुरक्षा करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। न ही ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस बात पर विचार किया हो कि क्या किसी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में मानव जीवन को समाप्त करने का अधिकार है।

खंड 3 (2) के स्पष्टीकरण दो से स्पष्ट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने के लिये गर्भपात को एक उपाय के रूप में लागू करने का जानबूझ कर प्रयास किया गया है।

वास्तव में कृत्रिम गर्भपात से परिवार नियोजन का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इस से देश के लोगों के लिये जटिलतायें, स्वास्थ्य संकट, कष्ट और दु:ख उत्पन्न होंगे।

इस विचाराधीन विधेयक के बारे में संयुक्त समिति में प्रकट हुये प्रसिद्ध चिकित्सा अधिकारियों ने यह विचार व्यक्त किया है और बल दिया हैं कि हमारे देश में पर्याप्त उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है जो इस विधेयक में प्रस्ताविक नाजुक आपरेशन कर सकें। संयुक्त समिति के समक्ष विशेषज्ञों ने आग्रह किया कि विशेषज्ञों द्वारा किये जाने वाले ऐसे आपदेशन थोड़े खतरे वाले होते हैं और रोगी के स्वास्थ्य पर गहरा आघात पहुंचा सकते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में विधेयक का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इस विधेयक के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान में रखी जानी चाहिये कि गर्भपात को उदार बनाये जाने के कारण नैतिकता को आघात पहुँचेगा। अतः इस विधेयक का समर्थन नहीं किया जा सकता।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं सभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का उल्लेख न कर सकूँ तो इसका यह तात्पर्य नहीं

है कि वे विचार महत्वपूर्ण नहीं है। समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए मैं बहुत महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करूंगा।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान अविवाहित माताओं तथा विधवाओं की राहत का प्रश्न उठाया गया है। इस विधेयक का विशेषकर इसके खंडों के आशयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अविवाहित माताओं तथा विधवाओं की राहत की व्यवस्था की गई है। खंड 3 (4) में केवल पागलपन अथवा आयु के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गए हैं। केवल उस स्त्री को जो पागल नहीं है तथा व्यस्क नहीं है अन्तिम रूप से यह अधिकार दिया गया है कि क्या वह अपने अनचाहे गर्भ को गिराना चाहती है अथवा नहीं।

खंड 4 (ख) के सम्बन्ध में यह आशंका व्यक्त की गई है कि क्या किसी भी स्थान को जिसमें संसद्भवन भी सम्मिलित हो गर्भ समाप्ति की शल्य चिकित्सा के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा? ऐसी बात नहीं है। खंड 4 (ख) को केवल इसी उद्देश्य से शामिल किया गया है, हो सकता है कि दूरस्थ देहाती क्षेत्रों में हर स्थान पर अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न हों।

यह भी कहा गया है कि यह कानून जम्मू तथा कश्मीर में लागू नहीं होगा। इस कानून द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 312 का एक प्रकार से संशोधन किया गया है। जब भारतीय दंड संहिता ही जम्मू तथा कश्मीर पर लागू नहीं है तो इस संशोधन के लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जम्मू तथा कश्मीर विधान सभा में इस समय लगभग एक ऐसे ही विधेयक पर विचार किया जा रहा है। अतः वह सब कानूनी सहायता जो भारतीय स्त्रियों को उपलब्ध होगी जम्मू तथा कश्मीर की स्त्रियों को भी उपलब्ध होगी।

कई माननीय सदस्यों द्वारा यह भी पूछा गया है कि क्या यह विधेयक परिवार नियोजन का एक उपाय है। इस विधेयक का उद्देश्य परिवार नियोजन को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का नहीं है। इस विधेयक का परिवार नियोजन पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ सकता है परन्तु मुख्य रूप से यह परिवार नियोजन का उपाय नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने गर्भपात के लिये धन राशि एकत्रित करने का सुझाव दिया और कहा कि योजना आयोग से इस बारे में कहा जाना चाहिये। परन्तु केवल धनराशि एकत्रित करने पर ही इसकी सफलता निर्भर नहीं करती है। इसके लिये प्रचार की आवश्यकता है।

हम प्रायः भूल जाते है कि प्रगतिशील कानूनों को इसलिये सफल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे देहाती जनता की जानकारी में नहीं होते हैं। इस कानून को भी सफल बनाया जा सकता है यदि देहातों में इसका प्रचार किया जाये।

इसी प्रकार एक प्रश्न उठाया गया है कि नैतिकता अथवा चिरस्थाई आदर्शों के नाम पर गर्भ समाप्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह समझना कठिन है कि चिर आदर्शों का अर्थ क्या है? हम सामाजिक मान्यताओं की अवहेलना नहीं कर सकते हैं साथ ही साथ हम अवांछित गर्भों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति की भी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह एक अधूरा प्रयास है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ जब तक समाज इस प्रगतिवादी मार्ग को स्वीकार नहीं करता तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा। हम यह दावा नहीं करते कि इस विधेयक के द्वारा आमूल परिवर्तन होगा, परन्तु यदि इसे जनता द्वारा स्वीकार किया

जाता है तथा इसे अमल में लाया जाता है तो इससे काफी हद तक भारतीय महिलाओं का उद्धार हो सकेगा। इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय गर्भों की रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा समाप्ति और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2—8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खंड 2—8 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 2—8 were added to the Bill.

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।
Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मै प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

Gujarat State Legislature (Delegation of Powers) Bill

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के विधानमण्डल की विधियाँ बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किये जाये।"

13 मई, 1971 की राष्ट्रपति की गुजरात राज्य संबंधी घोषणा की सभा को जानकारी है। इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति को राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो किसी भी राज्य के सम्बन्ध में अपनाई जाती है। विधेयक में राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये विधानों में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति भी दी गई है।

मैं सभा से वैधानिक प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूँ।

श्री गदाधर साहा (बीरभूमि) : इस प्रकार से राज्यों की शक्तियों को एक आदमी अर्थात राष्ट्रपति के हाथ में देते चले जाना संसदीय प्रजातन्त्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

पिछले तीन चार महीनों से केन्द्रीय सरकार का यह रवैया हो गया है कि वह राज्यों में किसी अन्य दल की सरकार को किसी भी हालत में सहन करने को तैयार नहीं है। और परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार गिराई गई और अब विधान सभा को कानून और व्यवस्था की आड़ लेकर समाप्त कर दिया गया। किन्तु गुजरात में क्या कठिनाई थी। वहां तो कोई कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। वास्तविकता यह है कि सत्ताधारी दल सभी राज्य शक्तियों पर अपना एकाधिकार चाहता है और यही कारण है कि उसने अपने ही दल के एक विरोधी गुट की सरकार को गुजरात में गिराया।

किसी समय में गुजरात को बड़ा प्रगतिशील राज्य माना जाता था पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां अभी भी पिछड़े लोग हैं तथा अस्पृश्यता बरती जाती है। यदि सरकार अपने आपको प्रगतिशील कहती है तो वह इस दिशा में कार्यवाही करे। पर हम देखते हैं कि रवैया इससे उल्टा ही है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने गुजरात में दसवीं तक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त का आदेश जारी किया था पर केन्द्रीय सरकार ने क्या किया ? उसने उस आदेश को रद्द कर दिया। वह अपनी प्रगतिशीलता का प्रदर्शन राज्यों की तमाम शक्तियों को अपने हाथ मे लेकर कर रही है और लोगों को बेवकूफ बना रही है।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria) : It is correct that centre should not have the power to topple the majority Government in the States but even then we should differenciate. There is no reason to feel sorry for the fall of Gujarat Government.

I do not say that whatever is done by the party in power is correct but the fall of the Gujarat Government is good. It is good that a Consultative Committee of Members of Parliament is being constitute. But it is also necessary to form all party committees at the block level district level and the state level, so that the members of these committees could place the real difficulties and griveances of the people before the administration and also give them their suggestions.

Gujarat is the highest tax paying state, the Taxation Enquiry Committee has also accepted this fact. We shall, therefore, take care to see that members of the Consultative Committee keep themselves aware of the problems of the state so that the tax burden on the people do not increase. We must also to know that Gujarat is dominated by capitalists and Zimindars. One thing which the present administration has to do is to under the domination of the capitalists and ensure better life for the poor, the harijans, the adivasis and the workers.

There is a proposal to set up a petro-chemical complex in Gujarat but it has come in to light that it is going to be set up in collaboration with America and England on the basis-

of equity shares. We would like to know why this complex is not taken up in the public sector.

There should not be any delay in setting up an Atomic Power Plant in Saurashtra.

Some land has been given by the government to harijans, adivasis etc. on a temporary base. It should be given to them permanently.

Land reform laws should be introduced in the state and the present limit of land holding which is quite high should be reduced.

In the end I would like to ask what is being done regarding all weather part in Gujarat. It is very necessary.

Shri Vekaria (Jhunagadh) : It is quite wrong to say that Hitendra Desai government was a progressive government. It has done a great loss to the harijans, adivasis and backward classes.

It is not correct to say that down fall of the Hitendra Desai government was brought about by the ruling Congress. The fact is that it lost its mejority once but after that he gave inducements to some M L A's by giving them some thing or other. Can such a government be called a progressive government ? The M L A's who did not get any thing defected and joined the other party. At that stage our party could have formed government, but it would not have been in the interest of the state and so the President Rule was imposed and it was the only right step at that moment.

It is correct that no meeting of the Consultative Committee has been called so far. It should be convened at the earliest and it should be decided as to at what internals the meetings will be called.

For the development of agriculture it is essential to set up an Atomic Power Plant.

A medical college should be opened at Rajkootas early as possible, steps should also be taken to connect Porbandar into all-weather port.

* **श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मेरे इस विरोध के कई कारण है। ज्यों ही हितेन्द्र देसाई ने त्याग पत्र दिया त्यों ही बिना सभा का अधिवेशन बुलाए राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। इस प्रकार उन्होंने विधान सभा के अधिकार को अपने हाथ में लिया। क्योंकि हो सकता था कि इस प्रकार दल बदल करने से कोई अन्य दल बहुमत में आ जाता और सरकार बना सकता। दूसरी ओर वही रास्ता उत्तर प्रदेश में श्री वी० एन० सिंह द्वारा त्याग पत्र देने के बाद क्यों नहीं अपनाया गया ! सम्भवत: ऐसा सरकार ने अपनी सुविधा को देख कर किया कि कहीं उसका दल सरकार बना सकता है और कहां नहीं। इस प्रकार विरोधी दलों की सरकारों को गिराने के अपने रवेये पर कभी सत्ताधारी दल ने इस दृष्टिकोण से भी विचार किया है कि उसके बारे में राज्य विशेष के लोग क्या सोचते हैं। और क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए हम अपने आप को प्रजातांत्रिक कह सकते है।

भूतपूर्व गृह मंत्री ने दल बदलुओं के सम्बन्ध में एक समिति बनाई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक उस समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया तथा उसकी सिफारिशों पर क्या कार्रवाइ की गई ? मुझे डर है उसमें सत्ताधारी दल की इन हरकतों की निन्दा की गई है और इसी कारण उसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

---

* तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarized Translation version based on English Translation of Speech delivered in Tamil

लोक सभा के चुनावों में सत्ताधारी दल को बहुमत मिला और उसकी सरकार बनी तथा अभी तक कायम है, इसी प्रकार हम चाहते हैं कि राज्यों की बहुमत से निर्वाचित दलों की फिर चाहे वे विरोधी दल ही क्यों न ही सरकारों को पूरे समय तक चलने दिया जाये।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bandare *in the Chair*]

सत्ताधारी दल ने अपना बहुमत खो दिया है इसका निर्णायक केवल राज्यपाल नही हैं। होना यह चाहिए कि विधान सभा का सत्र बुला कर उन्हें इस बात को पक्का करना था कि क्या वास्तव में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि बहुत से विधान सभा सदस्य अपना दल बदलने के लिए फिर से उसमें वापिस चले गये हैं।

राज्यपाल जनता का प्रतिनिधि नहीं होता। उसे जनता चुनकर नहीं भेजती वह तो केन्द्र द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसे वैसा ही करना पड़ता है जो केन्द्र उससे कहता है अन्यथा वह अवांछित व्यक्ति हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह केन्द्र का पिट्ठू होता हैं और अपना हित देखते हुए वह वही करता है जो केन्द्र उससे कहता है। अतः केन्द्र द्वारा नियुक्त मात्र राज्यपाल की सिफारिश पर विधान सभा भंग करना प्रजातंत्र की हत्या करना है। अगर केन्द्र ऐसा ही करता रहा तो राज्य की जनता चुप नहीं बैठेगी उसका वज्र शीघ्र ही केन्द्र पर गिरेगा।

श्री भालजी भाई परमार (दोहद) : यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है कि हमें यहां इस विधेयक पर विचार करना पड़ रहा है। यह स्थिति विधान सभा सदस्यों के दल बदलने के कारण पैदा हुई अतः हमें कोई ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिसके द्वारा दल बदल पर रोक लगाई जा सके क्योंकि सदस्यों को किसी भी दल द्वारा खरीदा जा सकता है। मैं समझता हूं गुजरात के राज्यपाल ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी।

अब क्योंकि गुजरात में राष्ट्रपति का शासन लागू हो गया है इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के हित के लिए विधान बनाने की शक्तियाँ दी जायें। हितेन्द्र देसाई की सरकार एक लोकप्रिय सरकार थी पर उसे इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि वह संगठन कांग्रेस की सरकार थी।

राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों का उचित उपयोग किया जायेगा और हितेन्द्र देसाई की प्रगतिशील नीतियों को गति दी जायेगी। आशा है पूर्वमाध्यामिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ आय वाले वर्गों में ही इसे लागू किये जाने के अपने संशोधन पर सरकार पुनः विचार करेगी।

नर्मदा न्यायाधिकरण के कार्य को पूरा करने में हो रही देरी की जाँच की जानी चाहिए उसे पूरा करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाये जाने चाहिये तथा राज्यों के बीच के झगड़े को प्रधान मन्त्री मध्यस्थता कर समाप्त करने का प्रयत्न करें।

राजधानी को गांधीनगर ले जाने के निर्णय को अगली लोकप्रिय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

आदिवासियों की स्थिति को सुधारने, जो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते फिरते हैं, का प्रयत्न किया जाना चाहिए। शिक्षित लोगों को पर्याप्त और उचित रोज-गार नहीं मिल रहा है उनमें असंतोष व्याप्त है। आदिवासी बहुत पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों

की स्थापना की जानी चाहिये ।

आदिम जाति क्षेत्रों में पशुपालन उद्योग का विकास किया जाना चाहिये । पूरे राज्य में परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए ।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : शक्तियों के राष्ट्रपति के हाथ में आने के बाद अब सरकार को राज्य की समस्याओं को शीघ्रता से हल करना चाहिए ।

काण्डला से विभिन्न स्टेशनों तक के माल भाड़े के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए । सौराष्ट्र में अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने का मामला लम्बे समय से खटाई में पड़ा है । इस पर अब विचार किया जाना चाहिए । मणिपुर विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में सरकार को टाटा बन्धुओं के समक्ष ऐसी शर्तें नहीं रखनी चाहिए जिन्हें मानना असम्भव हो । अतः इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए । कदाना, माही और नवागांव बांधों पर, जो काफी समय से विचाराधीन पड़े हैं, राज्य के हित को देखते हुए निर्णय किया जाना चाहिए ।

गुजरात के उद्योगों से सबसे अधिक राजस्व मिलता है फिर वे चाहे गैर-सरकारी क्षेत्र में हों अथवा सरकारी क्षेत्र में परन्तु सरकार ने वहां उद्योगों में पूंजी नहीं लगाई है । गुजरात को राजस्व से उसका उचित भाग मिलना चाहिये ।

चाय बोर्ड, काफी बोर्ड जूट बोर्ड आदि के समान रुई बोर्ड भी होना चाहिए । गुजरात और महाराष्ट्र भारत के कुल रुई उत्पादन का $\frac{1}{3}:\frac{1}{3}$ भाग उत्पादित करते हैं । अतः उनके बीच कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे दोनों अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठा सकें और रुई के आयात को रोका जा सके ।

तम्बाकू से भी पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति होती है पर इसमें पूंजी बहुत कम लगाई जाती है । अतः सरकार को इसमें कम से कम 5 से 10 प्रतिशत धन लगाना चाहिये जिससे आय बढ़ सके ।

बड़ौदा-अहमदाबाद क्षेत्र में, जिसमें सबसे अधिक रेडियो लाइसेन्स धारी है एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए ।

अहमदाबाद का हवाई अड्डा बहुत ही पुराने ढंग का है उसके सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ।

कोयाली तेल शोधक कारखाने को तेल निगम को दे दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उसकी आय से वंचित हो गया है और इस कारण अन्य राज्यों में छिद्रण तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों के लिए गुजरात पर भार पड़ रहा है और वहां तेल और गैस अधिक मूल्य पर बिकता है । यह अन्याय है ।

कैम्बे और सूरत के बीच एक बड़े बन्दरगाह का विकास किया जाना चाहिए । इस समय काण्डला में एक बन्दरगाह ही है । इस प्रश्न को भी सरकार अपने हाथ में ले ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमान, माननीय सदस्यों ने गुजरात की कुछ विकास-परियोजनाओं का उल्लेख किया । मैंने उनकी तत्सम्बन्धी टिप्पणियों को लिख लिया है और इन सारे सुझावों को गुजरात प्रशासन को भेज दिया जायेगा तथा वह इन पर विचार करेगा । उत्तर देते हुए मैं इन सुझावों के विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाऊंगा । हां उन तथ्यों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा जिनके कारण गुजरात में राष्ट्रपति शासन की नौबत आई । 31 मार्च, 1971 को विधान सभा में अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार किया जाना था । इससे पूर्व ही गुजरात के मुख्य मन्त्री श्री देसाई ने अपना

त्यागपत्र दे दिया। किन्तु साथ ही यह दावा भी किया कि वह दूसरी मन्त्रि-परिषद बनाने की स्थिति में हैं और 7 अप्रैल 1971 को उन्होंने अपना दूसरा मन्त्रिमण्डल गठित किया, क्योंकि बहुमत उसके साथ था। मई के महीने में उसके दल के कई सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। इस पर मुख्य मन्त्री ने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह दी। इस समय भी वह बहुमत में थे। राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री की सलाह मान ली और परिणामतः विधान सभा भंग कर दी गयी। राज्यपाल ने इस कार्य में जल्दी भी नहीं की। इस घटनाचक्र में शंका के लिए गुंजाइश नहीं है।

जहाँ तक गुजरात राज्य के बजट का सम्बन्ध है राज्य की विधान सभा ने प्रथम चार महीने अर्थात जुलाई 1971 तक के लिए बजट पारित किया था अतः राज्य के शासन-कार्य को चलाये रखने के लिए बजट का पास करना आवश्यक था। राज्य की विधान सभा के भंग किये जाने के पश्चात यह कार्य संसद द्वारा ही किया जा सकता था इसी कारण से वहाँ राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा ताकि वहां का बजट पारित किया जा सके। जहाँ तक वहां जिला-स्तर पर समिति के गठन की बात है वहाँ अब भी जिला परिषदें काम कर रही हैं। जहां तक भूमि-सुधार तथा आदिवासियों और हरिजनों की सहायता का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य सरकार की तत्सम्बन्धी नीतियों से अवगत हैं जहां तक दल बदल सम्बन्धित विधेयक का सम्बन्ध है, इस विषय पर सम्बद्ध समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, कुछ सुझावों और प्रस्तावों का प्रारूप तैयार किया गया है और प्रधान मन्त्री ने इस विषय पर प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ विचार-विमर्श भी किया था किन्तु इस विषय पर मतभेद समाप्त न हो सके। इस दिशा में प्रयास जारी है। मैं समझता हूं कि मैंने सभी प्रमुख बातों को ले लिया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के विधान मण्डल की विधियाँ बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
Th Motion was adopted.

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 2 and 3 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियम न सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clause 1,the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमँड हार्बर) : गुजरात राज्य के गांधीवादी राज्यपाल श्री श्रीमन्नारायण के लिए केन्द्रीय सरकार ने आठ मास के लिए 8,44,000 रुपये की राशि नियत की है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत आय 1 रुपया भी नहीं है और प्रति व्यक्ति का औसत खर्च लगभग 36 पैसे है और दूसरी ओर गुजरात के राज्यपाल को 8 महीने के लिए 8,44,000 रुपये की राशि मंजूर की गई है। क्या यही मार्ग है समाजवाद तक पहुंचने का और गरीबी हटाने का ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, वह तर्क संगत नहीं है। यदि वह सामान्य रूप से खर्च कम करने की बात कहते हैं तो वह ठीक हैं और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं यह बात तो गुजरात राज्य के बजट पर चर्चा के समय कही जानी चाहिये थी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

Statutory Resolution Regarding Proclamation be President in relrtion to Punjab and the Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Bill

सभा पति महोदय : अब हम मद संख्या 13 और 14 को एक साथ लेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : श्रीमान मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 15 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल की सलाह पर राज्यपाल ने जिन परिस्थितियों में राज्य की विधान सभा भँग की, उन से माननीय सदस्य अवगत हैं। विधान सभा के भंग किये जाने के बाद की स्थिति मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। विधान सभा का अंतिम सत्र जनवरी 1971 में हुआ था जिस में वित्त वर्ष 1971-72 के प्रथम तीन मास के लिए बजट पास किया गया था। शेष बजट पास करने के लिए सत्र 14 जून 1971 को बुलाया गया था। किन्तु इस सत्र के शुरु होने से पूर्व ही विधान सभा भंग कर दी गई। इस परिस्थिति में राज्य का शासन कार्य 30 जून 1971 के बाद रुक जाता। इस लिए पंजाब राज्य का बजट पास करना आवश्यक था और यह कार्य संसद द्वारा ही किया जा सकता है। परिणामतः राष्ट्रपति को राज्य का शासन अपने हाथ में लेने की यह उद्घोषणा करनी पड़ी जो सभा के अनुमोदनार्थ अब प्रस्तुत की गई हैं। अनुच्छेद 356 (3) के अधीन यह उद्घोषणा 15 अगस्त 1971 से प्रभाव में नहीं रहेगी और 2 महीने की अवधि में पंजाब में चुनाव भी नहीं कराये जा सकते है। अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह पंजाब राज्य में राष्ट्रपति के शासन की अवधि का अनुमोदन करे।

श्रीमान, साथ ही मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ :

'कि राष्ट्रपति को पंजाब राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।"

यह विधेयक राज्य विधान मण्डल की विधियाँ बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। यह विधेयक उस राज्य के सम्बन्ध में संसद के सामने लाया जाता है जिसके बारे में राष्ट्रपति उक्त उद्घोषणा करता है। संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति के गठन का प्रावधान कर दिया गया है, जिसके परामर्श से पंजाब राज्य के लिए कानून बनाये जायेंगे। अन्य आवश्यक प्रावधान भी इस सम्बन्ध में कर दिये गए हैं। मैं सभा से इस विधेयक को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Mr. Chairman, the ruling congress party has been playing a drama in the country since 1967. The drama is to topple the non-congress State Governments. In this way the congress party is making mockery of democracy. I recently visited Punjab and found that jagirdars and rich peasants still have their say in the State. The poor farmers, agricultural labour and harijans are still suffering there and are not getting any facilities. Government waste land has not been distributed so far. Also the land reforms have not been implemented. There are a number of Zamindars in Punjab State, who still possess big farms each covering more than two thousand acres. Neither congress Government nor Akali Government passed any law in regard to land ceiling. Now there is Presidents rule in the Punjab State so I want that the Central Government must immediately issue an ordinance introducing land reforms and fixing a ceiling on land in the State, so that the domination of rich Zamindars and farmers is put to an end. At present there are only small scale industries in Punjab. The Central Government should take steps to establish big industries in the State.

Another point I would like to make is the repression of the people by the police in Punjab State. People are harassed, beaten up and even murdered there under the pretext of curbing naxalite movement. On complaints being made in this connection no enquiry is held. The repression of people by police continued during reign of Akalis and congress Governments and it is still continuing. Corruption is also rampant in administrative circle in Punjab. I request the hon. Minister to look into these matters and touch these points while replying.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Mr. Chairman, I am glad to see that a Bill extending the term of Presidents rule in Punjab has been brought by Government.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

It is not correct to say that the centre caused the Punjab Government to collapse. The Akali Government in Punjab tumbled down on account of its internal disharmony. It was a corrupt and dishonest Government. A memorandum presented to the President by Shri Trilochan Singh Riyasti, gives details of corruption rampant during the regime of Badal Ministry. A Commission of Inquiry should be set up to go into the charges of curruption levelled against Badal Ministry.

There are a number of loopholes in the Land Reforms Act in Punjab. There is a clause 21 (A), which exempts the gardens and well-run farms from land ceiling. I request the Government that this exemption should be taken away by issuing an ordinance and all surplus land thus obtained should be distributed among landless people, who are the actual tillers of the land. This should be done as soon as possible so that the people come to know that changes are taking place to achieve the goal of socialism.

In regard to interim relief I would like to say that the employees of subordinate services in Punjab resorted to an agitation for interim relief. In this context Akali Government took a decision and issued orders of transfer a large number of teachers. It created large scale resentment among teachers. I request the Central Government to take a general decision for cancellation of all such transfers. A relief of Rs. 11 has been given to certain categories of employees. This has not satisfied the employees. The centre should ask the Punjab Administration to review it and do something for satisfying of employees.

The power was decentralised in Punjab under the Panchayati Raj programme. But it was again centralised by Akali Government and the whole power was given to the Deputy Commissioner. The power should again be decentralised. Moreover, the disputes between Punjab and neighbouring States in regard to sharing of power and water should be settled amicably,

Now Akali Dal has no programme to offer to the people during the coming elections. So Akali Dal has started an agitation for taking control of Delhi Gurdwaras. A jutha of 101 people has already left Punjab for Delhi. Though the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee is meant for Punjab gurdwaras, yet they want control of gurdwara in Delhi while the people of Delhi them selves want to manage the affairs of Delhi gurdwaras. Though I donot want that there should be unnecessary delay in holding elections to the Committee to manage Delhi gurdwaras. But I want that before holding elections it should be ensured that various matters connected with the administration of Delhi gurdwaras are set right so that new management is able to administer the gurdwaras properly.

———

*लीड बैंक योजना

**Lead Bank Scheme

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैंने लीड बैंक की कार्य प्रणाली के कुछ पहलूओं और उनमें अपेक्षित सुधारों पर प्रकाश डालने के लिए यह चर्चा आरम्भ की है। हम सभी इस बात से भली भांति अवगत है कि रिजर्व बैंक ने लीड बैंक प्रणाली डा० गाडगिल द्वारा किये गये अध्ययन और सिफारिशों के आधार पर स्थापित की है। इसका उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में बैंक की शाखा खोलना, ऋण सम्बन्धी सुविधयें देना और अपेक्षित क्षेत्रों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में व्यापक बैंक व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। अतः इस योजना का उद्देश्य भी काफी अच्छा है परन्तु अब वास्तविक प्रश्न यह है कि यह योजना किस सीमा तक सफल हुई है और किस सीमा तक सफल बनाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, हमारे यहां आज भी साहूकार-समस्या है। लीड बैंकों का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि साहूकारी पद्यति को समाप्त किया जा सके। परन्तु हाल ही में रिर्जव बैंक के बुलेटिन में प्रकाशित समीक्षा के अनुसार यह उद्देश्य लीड बैंकों द्वारा प्राप्त नही किया जा रहा। लोगों द्वारा पहल करने की भावना का हनन इस योजना द्वारा कैसे किया जाता है, इस के कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य श्रम-प्रधान योजनायें बनाना है। परन्तु केरल में क्या हुआ? वहां बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों द्वारा एनकोज नामक एक सहकारी समिति स्थापित की गई है। इस समिति द्वारा 6 लाख रुपया एकत्रित किया गया और केरल सरकार ने उन्हें 18 लाख रुपया देने

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an hour discussion

का वचन दिया। परन्तु वह केवल 6 लाख ही दे सकी शेष 12 लाख के लिए उन्होंने राज्य सरकार को गारन्टी देने के लिए कहा। कुछ अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से भी इस समिति की सहायता का अनुरोध किया गया परन्तु लीड बैंक ने इन योजनाओं का किसी प्रकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया। लीड बैंक धन देने के लिए केवल उस समय सहमत हुआ जब कि केन्द्र सरकार को इन योजनाओं के बारे में पूर्ण विश्वास हो गया और मंत्री महोदय भी धन देने के लिए सहमत हो गये। मंत्री महोदय इस पूरे मामले से भली भांति अवगत है।

दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि आज बैंक संचालन के दृष्टिकोण तथा देश की आवश्यकताओं के बीच काफी अन्तर है। रिजर्व बैंक ने भी लीड बैंक के संचालन के बारे में यही कहा है कि यह बैंक पुराने रूढ़िवादी तरीकों से धन उधार दे रहे हैं किन्तु आज की आवश्यकताएं बिलकुल भिन्न है। आज अधिक जटिल और तकनीकी दृष्टि से विकसित उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। हमें इन उद्योगों की सहायता इस प्रकार करनी चाहिए कि इनसे देश को लाभ हो सके। इन बैंकों को किन्ही विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करना है, इसे अपने ही ढंग से सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। परन्तु मैं समझता हूं कि इन बैंकों के पास समस्याओं का अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है। प्रशिक्षित कर्मचारियों को कुछ विचित्र समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ ये उद्योग लाभ के आधार पर नहीं चलते, यह तो देश के हितों को दृष्टिगत रखते हुए चलाये जाते हैं क्योंकि यहां लाखों लोग काम करते हैं। अत: मैं समझता हूँ कि हमें ऋण सम्बन्धी नीतियों का पुर्नविन्यास करना चाहिए तथा इसके साथ ही बैंकों के सँचालन सम्बन्धी दृष्टिकोण की भी समीक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तभी इन योजनाओं के संचालन से कोई लाभ हो सकता है।

लीड बैंक योजना केवल दो वर्ष पूर्व आरम्भ की गई थी। अत: अभी यह कहना कि यह योजना सफल रही है या असफल कुछ कठिन बात है। परन्तु अभी तक रिजर्व बैंक द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है उससे तो यही पता चलता है कि यह कार्य अभी काफी दोषपूर्ण ढंग से चल रहा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि लीड बैंक किस प्रकार शिक्षित लोगों के लिए नये रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है ताकि उससे परम्परागत उद्योग भी लाभ उठा सके।

Shri. K. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Chairman, Sir, my friend Mr. Chandrappan has raised some very important question about Lead Bank. I would simply like to know whether Government has Checked out any plan through which a report regarding functioning of Lead Bank is put up before Lok Sabha for perusal ? What are the districts which have been taken up under this scheme from Bihar. Whether any representation has been given to public representatives such as M. Ps and M. L. As in the working Committees of these Banks ?

श्री के० लाकप्पा (तुमकुर) : यह खेद की बात है कि राष्ट्रीयकरण के बाद लीड बैंकों से समाज के कमजोर वर्ग को कोई सहायता नहीं दी गई है। अगर समाज का कमजोर वर्ग इन बैंकों से लाभ नहीं उठा सकता तो इनकी स्थापना का उद्देश्य ही असफल हो जाता है। अत: समाज के कमजोर वर्ग की सहायता के लिए, राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों में क्या व्यवस्था की गई है ?

Shri. M. C. Daga (Pali) : Mr. Chairman Sir, since the begining of Lead Bank Scheme whether loan has been sanctioned to a single poor or scheduled caste person of Pali district ? Is it not a fact that Lead Bank Branches are opened only in such villages or cities which are

connected with road and light ? Is it not a fact that poor farmers or small Co-operative socities are not getting loans from these Banks ? These Banks are full of untrained people and neither any proper survey has been carried out, nor any progress has been made by these Banks.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : लीड बैंकों की स्थापना कमजोर वर्ग की सहायता के लिए की गई थी अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में इन बैंकों को कोई स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और भूमिहीन हरिजनों को विशेष रूप से ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए ? उड़ीसा का एक फूलबानी जिला ऐसा है जहां एक भी बैंक नहीं है, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यहां अभी तक एक भी वाणिज्यिक या स्टेट बैंक न खोले जाने का क्या कारण है ?

वित्त मंत्रलय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लीड बैंकों की स्थापना के उद्देश्य को समझने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी हुई है। वैसे लीड बैंकों की स्थापना का प्रयोजन विकास के क्षेत्रों का पता लगाना, विकास के क्षेत्रों के लिए आवश्यक सूक्ष्म ढांचे ढूंढ निकालना, उन विवरणों को तैयार करना, जिनके आधार पर अन्य बैंक, जो वहां हैं, अपना संचालन कार्य शुरू करें और विभिन्न खंडों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की स्थूल रूपरेखा बनाना है। लीड बैंक एक ऐसा बैंक है जो वाणिज्यिक बैंक, स्टेट बैंक, सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों का समन्वय करेगा और इसके साथ ही जिला प्राधिकारियों और राज्य सरकारों का भी समन्वय किया जायेगा ताकि वहां की आवश्यकताओं के वास्तविक स्वरूप का पता लग सके।

जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली केवल शहरों तथा महा नगरीय केन्द्रों तक ही सीमित थी। इनके ग्राहक तथा कार्य समाज के एक बहुत छोटे वर्ग तक ही सीमित थे। अब यह पहला अवसर आया है जब कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और स्टेट बैंक की गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है। अब इस बात की आवश्यकता का विशेष अध्ययन किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्यायें क्या हैं, किन क्षेत्रों में नये बैंक खोले जाने चाहिए तथा किसी क्षेत्र विशेष की सामाजिक आवश्यकतायें क्या हैं और क्षेत्र विशेष की अच्छी सेवा किस प्रकार की जा सकती है। क्षेत्र के सभी बैंकों के संयुक्त संस्थानों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, वास्तव में इन सभी पहलुओं का अध्ययन करना ही लीड बैंक का उद्देश्य है। "विभिन्न बैंकों को ऐसी ही समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न जिलों का कार्य सौंप दिया गया है। लीड बैंक को 300 जिले आवटित किये गये थे जिनमें से अब तक 160 जिलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 50 का और सर्वेक्षण किए जाने का अनुमान है। कुछ सर्वेक्षणों में और अधिक सघन कार्य की आवश्यकता है। बैंकिंग विभाग की कमियों का पता लगाने के लिए एक प्रभाग है। उन सर्वेक्षणों में केवल राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों तथा सामग्री का संग्रहण नहीं होना चाहिए ऐ। सर्वेक्षणों से जिले की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को मालूम किया जा सकता है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बैंकों की सहायता से किस प्रकार जिले का आर्थिक पुनरुत्थान किया जा सकता है।

यह ठीक है कि लीड बैंक द्वारा 300 जिलों में से 160 जिलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के लिए मद्रास, कलकत्ता, पटना और भोपाल में जिलें स्तर पर बैठकें बुलाई गई हैं। लीड बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं में वृद्धि हुई है। इस कार्य को पूरा करने के लिए तथा

उन उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिए जिनके लिए लीड बैंक का गठन किया गया था, समन्वय के लिए एक तन्त्र की आवश्यकता है। यह तभी व्यवहार्य हो सकता है जब कि जिलों में लीड बैंक के आवश्यक संगठनात्मक ढांचे का विकास किया जाए। विकासात्मक भूमिका के लिए इस बैंक की शाखाओं की पर्याप्त संख्या होगी और प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए यह बैंक नेतृत्व करेगा।

श्री डागा ने उस बैंक के सम्बन्ध में अनेक प्रश्नों को उठाया है। मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पाली जिले का सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही यह शिकायत भी की गई है कि समाज के कमजोर वर्ग को ऋण नहीं दिया जा रहा। यह भी कहा गया है कि जिला परिषद के साथ कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया और जहां कहीं सड़कें और बिजली आदि नहीं है वहां बैंक नहीं खोले गये हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने और भ्रष्टाचार को दूर करने के कार्य का लीड बैंकों की स्थापना के उद्देश्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

बैंकों की सुविधाओं और कृषक वर्ग के बहुत बड़े भाग को इस नीति से लाभ दिलवाने का प्रश्न निश्चय ही बहुत व्यापक है। इन क्षेत्रों में जो मांगें की जा रही हैं उनके प्रति हम पूर्णतया जागरूक है और हमें मालूम है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्य करना शेष है। परन्तु हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं के द्वारा हम राष्ट्रीयकृत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्प करते है।

(समाप्त)

इसके बाद लोक-सभा मंगलवार, 3 अगस्त 1971 / 12 श्रावण 1893 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday August 3, 1971/ Sravana 12, 1893 (Saka)

Printed at Sumer Printing Press, New Delhi-18